Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ४३वां दिवस [संख्या ३६

शनिवार, १६ अप्रेल, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, गृह, आबकारी एवं कर, शक्ति (विद्युत), स्वायत्त शासन, आयुर्वेद, सिंचाई एवं राजस्थान नहर-विभाग]

प्रश्न संख्या १०७५

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०७६

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०७७

श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०७८

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

सेवर से हेलक होती हुई कुम्हेर को जानेवाली सड़क की मरम्मत

१०७९. श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना-मु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सेवर से हेलक होती हुई कुम्हेर को जाने वाली सड़क की इस समय कैसी दशा है ?

(२) यदि इस सड़क को ठीक कराने की सरकार द्वारा कोई योजना है, तो इसमें कितना व्यय होगा और यह कब तक बन कर तैयार हो सकती है ?

(३) क्या इस सड़क को ठीक कराने हेतु सम्मेलनों द्वारा प्रस्ताव पास करके सरकार के

(श्री गोवर्धनसिंह केन)

पास भेजे गये हैं और महजरनामें भी काफी भेजे गये हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, यह सड़क इस समय कच्ची है ।

(२) जी नहीं । यह सड़क १२ मील लम्बी है व इसको पक्का बनाने में ३ लाख रु० व्यय होंगे ।

(३) इस विभाग को अवगत नहीं है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : ३ लाख रु० खर्च होने के बारे में क्या कोई सर्वे किया गया है जिसके अनुसार एस्टिमेट बनाया गया है? क्या ऐसी कोई योजना है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं ।

श्री गोवर्धनसिंह केन: सर्वे कब कराया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : सर्वे का सवाल नहीं है । फर्स्ट और सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में नहीं है ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : ३ लाख रु० खर्च होने का बता रहे हैं, इसकी जानकारी कब कराई गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : माइलेज के हिसाब से रखा है ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : कितने माइल है ?

श्री हरिश्चन्द्र : १२ माइल ।

प्रश्न संख्या १०८०

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम मुलाणियां ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

तहसील बामनवास के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में राजमार्ग निर्माण कार्य

१०८१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर में लिवाली तथा उसके आसपास का क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख है ?

(२) क्या यह क्षेत्र यातायात की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और क्या इस क्षेत्र में कोई राजमार्ग नहीं है ?

(३) क्या सरकार इस बहुसंख्या क्षेत्र के विशाल उत्पादन और व्यापार के विकास हेतु कोई नये राजमार्ग का निर्माण का विचार रखती है ?

(४) क्या सरकार लालसोट से बिनोरी, बिचपुरी, शुकार और अमावरा होती हुई गढ़मोरा तक एवं बिनोरी से लिवाली होते हुए बामनवास तक राजमार्ग के निर्माण को तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थान देने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है ।

Page No.3

(श्री हरिशचन्द्र)

(२) बामनवास तक पक्का मार्ग है।

(३) अभी तक यह कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

(४) तृतीय पंचवर्षीय योजना अभी विचाराधीन है, अतः निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : थर्ड फाइव इयर प्लान अभी तक फाइनेलाइज़ नहीं हुआ है। कोशिश यह की जा रही है कि जल्दी से जल्दी हो। जब तक यह नहीं मालूम हो जाय कि कितनी धनराशि मिलेगी, कुछ अर्ज नहीं किया जा सकता।

प्रश्न संख्या १०८२

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

सन् १९६१ से पूर्व जयपुर-मकराना बिजली लाइन

१०८३. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister in charge of Power be pleased to state:—

1. Is it correct that the Government intend to supply electric energy on Jaipur-Makrana line before July, 1961 ? If not, when ?

2. Is it correct that the Government intend to instal a transformer and sub-station at Phulera from which power will be supplied to Phulera town ? If so, when the erection work for the sub-station and the transformers will be started ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : The original proposal of supplying power to Makrana may be revised in view of the proposed review of Chambal Transmission system. The work will be taken in hand as soon as a final decision is taken about the revised transmission system.

3. Phulera is to be supplied from Makrana after power is available at Makrana.

श्री पी.के.चौधरी : When the power is expected to be available and when it will be supplied to Phulera ?

श्री हरिश्चन्द्र : We hope that it will be in the first year of the 3rd. Plan.

श्री पी. के. चौधरी : Why this plan for supplying it from Jaipur is reversed ? Was not there a plan of about 5 thousand Klw. that the power will be supplied from Jaipur ?

श्री हरिश्चन्द्र : Lateron it was chosen that after the Chambal power will be received the power will go to Ajmer and from Ajmer we hope to take it to Makrana.

श्री पी. के. चौधरी : Is the Government aware that the General Manager is prepared to supply power to Phulera and they used to supply to the Railway Colony previously ?

श्री हरिश्चन्द्र : I am not aware.

श्री पी. के. चौधरी : Will you try to find out whether they are prepared now...

श्री हरिश्चन्द्र : If they are prepared to supply, we will look to it.

श्री अध्यक्ष : श्री सुगनचन्द जैन।

नगरपालिकाओं पर जमीन बेचने के अधिकारों पर रोक लगाने पर भी बेगूं म्यु० बोर्ड द्वारा जमीन का बेचना

१०८४. श्री सुगनचन्द जैन (बेगूं) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) म्यु० बोर्ड, बेगूं, जो अब ग्राम पंचायत में परिणत हो चुकी है, ने तारीख १७-२-५६ के बाद कितने प्लॉट बेचे ?

(२) क्या राज्य सरकार ने तारीख १७-२-५६ को एक आदेश द्वारा नगरपालिकाओं के जमीन बेचने के अधिकारों पर रोक लगादी थी ? यदि हां, तो फिर म्यु. बोर्ड ने प्लॉट क्यों बेचें और सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया ? यदि एक्शन नहीं लिया, तो क्यों ?

(३) क्या यह सत्य है कि सरकार ने म्यु. बोर्ड, बेगूं द्वारा बेचे हुए प्लॉटों में से कुछ प्लाटों का सेल केन्सिल कर उनको अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या उसका पालन हुआ ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन पंचायत डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में है।

श्री सुगनचन्द जैन : जब म्युनिसिपल बोर्ड था, उसके सम्बन्ध में पूछ रहा हूँ पंचायत के सम्बन्ध में नहीं पूछा।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : पंचायत से कहां ताल्लुक है ?

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्र पाल।

श्री सुगनचन्द जैन : म्युनिसिपैलिटी थी तब का प्रश्न है, पंचायत का नहीं है, इसका आपको जवाब देना चाहिए। यह प्रश्न करीब एक फरवरी को पूछा है, उसका आज जवाब मिलता है कि यह पंचायत का है।

श्री अध्यक्ष : पंचायत बन चुकी है, यह स्वीकार करते हैं।

श्री शंकरलाल : जिस समय म्यूनिसिपैलिटी थी, उस समय का था। उस वक्त जो सर्टेन एक्शन था, उसका म्युनीसिपैलिटी के मिनिस्टर ही जबाब देंगे।

श्री सम्पतराम : Now it has been converted into the Panchayat and therefore Panchayat Department can give that.

डॉ० चन्द्रकला : जब तक नगरपालिका थी उस समय तक जितने सवाल हैं, जितनी घटनायें हैं, उनका सम्बन्ध नगरपालिका के मिनिस्टर से होगा। वहां पंचायत हुई उसके बाद, उसके बाद का पंचायत मिनिस्टर जबाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

डॉ० चन्द्रकला : इसका जबाब मिलना चाहिए।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय हो जाय। एक प्रश्न आता है, समाज कल्याण मन्त्री कहते हैं "वे उत्तर देंगे" और वे कहते हैं, "वे देंगे"। इसका उत्तर म्युनिसिपल बोर्ड के मन्त्री देंगे या पंचायत विभाग के मंत्री देंगे?

श्री अध्यक्ष : अगर पंचायत विभाग से सम्बन्धित है तो पंचायत मंत्री दे सकते हैं। अगर माननीय मंत्री उत्तर नहीं देना चाहते तो कोई न कोई मंत्री महोदय तो उत्तर देंगे।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : यह म्युनिसिपल बोर्ड से सम्बन्धित है तो म्युनीसिपल बोर्ड के मंत्री को जबाब देना चाहिए, चाहे आज वहां पंचायत बन गई है।

श्री शंकरलाल : पंचायत विभाग के मंत्री कहेंगे कि पहले का सवाल है, इसलिए नगरपालिका के मंत्री उत्तर देंगे।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, सदन को निश्चित् जानकारी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित मंत्री महोदय और पंचायत मंत्री मिल कर तय कर लें।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह नगरपालिका पंचायत में कनवर्ट हो गई है, तो पंचायत में रेकॉर्ड चला गया है। इसलिए पंचायत मंत्री रेकॉर्ड देख कर जबाब दे सकेंगे।

श्री सुगनचन्द जैन : अभी रेकॉर्ड म्युनिसिपैलिटी में ही है। मैंने पंचायत से जांच की है वहां रिकार्ड नहीं है, पहले का रेकॉर्ड है वह म्युनिसिपल बोर्ड के पास है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह इन्फॉर्मेशन मांगने की बात है। वह नगरपालिका पंचायत में कन्वर्ट हो गई है, तो पंचायत के सेक्रेटरी he can call for the record from the local Bodies and not the Director or the Minister.

श्री सुगनचन्द जैन : काफी समय हो चुका है लेकिन इस विभ्रम पर निर्णय हो जाना चाहिए। पंचायत मंत्री देवें या म्युनिसिपल बोर्ड के मंत्री देवें, कोई न कोई जबाब देवें।

Page No.6

प्रश्न संख्या १०८५

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०८६

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०८७

श्री बृजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

पाली के भूतपूर्व नगरपालिकाध्यक्ष द्वारा उन्छल के जाव के पास पुरुषार्थियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को जमीन का अलॉटमेंट

१०८८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

(क) पाली में भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री रामसुख गुप्ता द्वारा उन्छल के जाव के पास जहां पुरुषार्थियों को जमीन अलॉट की गई है वहां क्या ११ व्यक्तियों को सिर्फ ६ पैसे वर्ग गज के हिसाब से प्रत्येक को ७००-७०० वर्ग गज जमीन अलॉट कर दी गई ? यदि हां, तो कब ?

(ख) क्या इस जमीन पर इमारतें बन चुकी हैं ? यदि हां, तो कितनी वर्ग गज जमीन पर ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त कार्यवाही को रोकने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार को विदित है कि इन ११ व्यक्तियों को दी गई जमीन के पास ही पुरुषार्थियों (शरणार्थियों) को उतनी ही जमीन २५०, २५० रुपये में अलॉट की गई थी तथा उस पर भी ऑडिट डिपार्टमेंट ने आपत्ति की थी ? यदि हां, तो फिर उपरोक्त जमीन ११ आदमियों को किस आधार पर शरणार्थियों से भी बहुत न्यून रेट पर दी गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां। १३. ४. ५६ को।

(ख) सम्पूर्ण भूमि पर इमारतें नहीं बनी हैं केवल ३११ वर्ग गज भूमि पर कन्स्ट्रक्शन हुआ है।

(ग) जी नहीं। कारण नीचे खंड (घ) में दे दिया है।

(घ) शरणार्थियों को अलॉट किये गये प्रत्येक भू-खंडों का रकबा १,००० वर्ग गज था, ७५० वर्ग गज नहीं। ये प्लॉट खड्डे में हैं, जहां पानी भरा रहता है। इनको बनवाते समय काफी भराव कराना होगा, वर्ना मकान बनाना असंभव है।

श्री मूलचन्द डागा : वहां क्या बन चुका है, क्या फेन्सिंग किया है या इमारत बन चुकी है ?

श्री सम्पतराम : यह नहीं कह सकता।

Page No.7

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि आपका स्टे ऑर्डर होने के बाद जब म्युनिसिपैलिटी ने जमीन अलाट की है ६ पैसे वर्ग गज में वह किनको अलाट की है; साहब, यह बतायें ?

श्री सम्पतराम : आप कह रहे हैं कि अग्रवाल को अलॉट की है।

श्री मूलचन्द डागा : म्युनिसिपैलिटी के चेअरमैन ने ११ आदमियों को जमीन अलॉट की है, वे किस जाति के हैं, कौन हैं ?

श्री सम्पतराम : आप कह रहे हैं कि स्टे ऑर्डर होने के बाद अलॉटमेंट हुआ है। मैं इसकी जानकारी करके कार्यवाही करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : दुबारा इन्क्वायरी होगी, साहब ?

(उत्तर न

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

डाबला-कोटपुतली रोड

१०८६. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) डाबला से कोटपुतली रोड़ अब तक नहीं बनने का क्या कारण है तथा यह रोड कब तक बन जावेगी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इस मार्ग पर १३-१४ सर्विस बसें चलती हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) यह सड़क किसी योजना से स्वीकृत नहीं है, अतः निश्चित् नहीं कहा जा सकता।

(ख) डाबला-कोटपुतली-बानसूर मार्ग पर निम्न बसें चलती हैं :

१. आर. जे. एल. १३६
२. आर. जे. एल. ५४६६
३. आर. जे. एल. १३४
४. आर. जे. एल. ७०१७
५. आर. जे. एल. १२६
६. आर. जे. एल. १३३
७. आर. जे. एल. ५६८७
८. आर. जे. एल. १३६
६. आर. जे. एल. ६६८८
१०. आर. जे. एल. १२०

श्री शंकरलाल (रायपुर) : लिस्ट मांगी किसने है, आप दे रहे हैं ?

श्री ज्ञानचन्द मोदी : यह सड़क काफी दूर है, नहीं बनने से काफी नुकसान है।

प्रश्न संख्या १०६०

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

आदर्श नगर, जयपुर में सड़कों, सार्वजनिक नलों एवं रोशनी की अव्यवस्था के बावजूद भी नगरपालिका द्वारा गृह कर की वसूली

१०६१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि आदर्श नगर, जयपुर में सड़कों के निर्माण तथा सार्वजनिक नल लगाने व रोशनी की व्यवस्था करने की नगरपालिका की जिम्मेवारी है ? अगर हां, तो फिर सड़कों का निर्माण उसके जिम्मे क्यों नहीं है ?

(ख) क्या यह सही है कि नगर विकास मंडल भी इस बस्ती में इन चीजों की व्यवस्था नहीं करता क्योंकि यह चुनाव की दृष्टि से नगरपालिका क्षेत्र है ?

(ग) क्या यह सही है कि जयपुर नगरपालिका बिना अधिकार के इस क्षेत्र के गृह कर की वसूली की कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी नहीं। नगरपालिका केवल इन सुविधाओं की मेन्टिनेन्स का चालू खर्च ही वहन करती है।

(ख) व (ग) जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नगरपालिका के क्षेत्र में सड़क बनाने का काम बिजली, रोशनी लगाने का काम म्युनिसिपैलिटी का नहीं है ?

श्री सम्पतराम : जो यू. आई. बी. काम करती है, उसके पूरा होने के बाद उसकी मेन्टिनेन्स की जिम्मेदारी नगरपालिका के ऊपर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रोड्स के मेन्टेनेन्स की जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी की है ?

श्री सम्पतराम : जयपुर में कुछ इस प्रकार की सड़कें हैं जिन्हें पी. डब्ल्यू. डी. मेन्टेन करता है, और जो यू. आई. बी. बनाता है उनको मेन्टेन करने की जिम्मेदारी नगरपालिका की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि यह काम म्युनिसिपैलिटी करती है, यू. आई. बी. करता है, पी. डब्ल्यू. डी. करता है, रीहेबिलिटेशन करता है, ये चार-चार डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, तो सड़कों के निर्माण और उनकी मेन्टिनेन्स का काम नगरपालिका को सौंप दिया जाय ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जो म्युनिसिपैलिटी की रोड्स हैं उनके लिए तय हो गया है कि पी. डब्ल्यू. डी. मेन्टेन करेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खर्चा कौन देगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : म्युनिसिपैलिटी देगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह है कि जयपुर नगरपालिका की जितनी सड़कें हैं उनकी मेन्टिनेन्स पी. डब्ल्यू. डी. करे ओन बिहाफ ऑफ दी म्युनिसिपैलिटी ;

Page No.9

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वे सारी सड़कें म्युनिसिपैलिटी को ट्रान्सफर क्यों नहीं कर दी जाती, क्यों यू. आई. बी. के पास रहती हैं, रीहेबिलिटेशन के पास रहती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें मुश्किल यह है कि सड़कों की प्रोपर मेन्टिनेन्स हो नहीं रही है, काफी टूट-फूट सड़कों में है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोपर मेन्टिनेन्स नहीं हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेटर को हटा कर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव करा दीजिये। दूसरी बात है कि यू. आई. बी. जितना खर्चा करती है, वह म्युनिसिपैलिटी को ट्रान्सफर कर दे और सारा काम एक जगह होता, क्यों पी. डब्ल्यू. डी. में जाय, क्यों यू. आई. बी. में जाय, क्यों रीहेबिलिटेशन में जाय ?

श्री सम्पतराम : जिस एरिया में यू. आई. बी. का काम होता है, जहां प्लॉट का अलॉटमेंट होता है, वहां अर्बन सेस वसूल करते हैं और मेन्टिनेन्स का काम, जैसा कि होम मिनिस्टर ने बताया, पी. डब्ल्यू. डी. एक्सटेन्सिवली कर सकता है, इसलिए उसको बीच में लाया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार यह उचित समझती है कि जिस पर्टिक्युलर इलाके में डेवलपमेंट का काम करे, उसका यू. आई. बी. से ताल्लुक है, वहां से म्युनिसिपैलिटी हाउस टैक्स कैसे वसूल कर सकती है ?

श्री सम्पतराम : इस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं।

प्रश्न संख्या १०६२

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०६३

श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेन्ट है।

प्रश्न संख्या १०६४

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): ११००.

आबकारी मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं। केवल एक व्यक्ति की आई थी।

(ख) जी हां। इनका परिवर्तन मास दिसम्बर, ५६ में हुआ था....

श्री अध्यक्ष : किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ११००.

श्री अध्यक्ष : यहां तक पहुँचे नहीं हैं।

(हंसी)

Page No.10

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दौरे से वापिस आये हैं, इसलिए नींद आ रही थी।

श्री अध्यक्ष : १०६५ श्री भैरोंसिंह।

अजमेर स्टेट पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन का राजस्थान के पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेशन

१०६५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) (अनुपस्थिति में) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन, अजमेर स्टेट का राजस्थान के पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में कब इन्टीग्रेशन हुआ और किन नियमों के आधार पर ? कृपया ऐसे नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन में जिस समय अजमेर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ उस समय राजस्थान में इस ऑर्गेनाइजेशन की किस किस केडर की कितनी पोस्ट कब कब से वेकेन्ट थी ?

(ग) रेडियो ऑर्गेनाइजेशन का राजस्थान के इस ऑर्गेनाइजेशन में विलय किये जाने से पूर्व उपरोक्त केडर के किन किन और कितने कितने खाली स्थानों की किस किस प्रकार से पूर्ति की गई ? कृपया उनके नाम तथा पोस्ट जो वे होल्ड करते थे, सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त वेकेन्सीज़ को अजमेर की सेवाओं के विलय से पूर्व भरना नियम विरूद्ध था ? यदि हां, तो फिर यह क्यों किया गया ?

(ङ) क्या अजमेर तथा राजस्थान को इन सर्विसेज़ के विलय के लिये कोई कमेटी बेठाई थी ? यदि हां, तो उसके पर्सोनेल कौन थे तथा उसने क्या क्राइटेरिया बना रखा था ? कृपया उसका विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) तत्कालीन अजमेर राज्य का पुलिस वितंतु विभाग राजस्थान के वितंतु विभाग के साथ १. ११. ५६. से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन विलय की धारा ११५, ११६ के अन्तर्गत दिये गये तरीके से सम्मिलित किया गया। सम्बन्धित धाराओं की प्रतिलिपि संलग्न पत्र 'सी' में है।

(ख) दिनांक १. ११. ५६ को १६ स्थान सब–इन्सपेक्टर–१३ स्थान ए. एस.-आई. एवं एक स्थान कॉनिस्टेबल का रिक्त था। सब इन्सपेक्टरों के १६ स्थान में से ६ स्थान प्रारम्भ से ही खाली थे और बाकी १६५६ से खाली थे। ए. एस. आई. के रिक्त स्थानों में समय समय कमी–बेशी होती रही है। कॉनिस्टेबिल का स्थान भी प्रारम्भ से ही खाली था।

(ग) सूचना संलग्न पत्र 'ब' में है।

(घ) २०. ८. ५८ से पूर्व इन स्थानों को भरने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। अतः राज्य कार्य के हित में इन स्थानों को मुस्तकिल तौर पर न भर कर आरजी तौर पर भरा गया। इसके अतिरिक्त ए. एस. आई. के स्थानों के भरने का कार्य अजमेर राज्य में अधिकारियों पर कोई असर नहीं डालता; क्योंकि १. ११. ५६ से राज्य आज्ञा संख्या डी. ६६५६।एफ. ११३ (१०३) एच० ई०।५८

Page No.11

(श्री रामकिशोर व्यास)

दिनांक ८. ११. ५८ के अन्तर्गत अजमेर राज्य के हैड कॉनिसटेबलों व कॉनिस्टेबलों को बराबर संख्या सब इन्सपेक्टर्स व ए. एस. आई. अर्थात् २ एस. आई. एवं २८ ए० एस० आई० के स्थान नये बनाये गये।

(ङ) जी हां, ये सर्विसेज़ इन्ट्रीग्रेशन कमेटी थी; जिसमें सर्वश्री बी. जे. कनेटकर आई० पी० तत्कालीन आई० जी० पी०, राजस्थान एवं बी० पी० मिश्रा आई० पी० डी० वाई० जी० पी०, भूतपूर्व अजमेर राज्य थे। इनके द्वारा माने गये सिद्धान्त सम्मिलित पत्र 'डी' में हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जब यह पुलिस रेडियो फोर्स, अजमेर राजस्थान में इन्टीग्रेट हुआ था उस समय जगह खाली थीं, उन वेकेन्सीज़ को फिल-अप क्यों किया गया, उस कमेटी के फाइनेलाइज़ेशन से पहले ?

श्री रामकिशोर व्यास : कर सकते थे, कोई रुकावट नहीं थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वेकेन्सीज़ को फिल अप करने से मेरिट-कम-सीनियोरिटी लिस्ट बनी, उस पर कोई असर नहीं पड़ा ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई असर नहीं पड़ा, उनके एस. आईज, एक ही थे।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपाराम !

गजनेर तथा कोड़मदेसर के बीच वर्षा से प्रभावित बिजली के खम्भे की मरम्मत

१०६६. श्री रूपाराम (नोखा-सु०) : क्या मन्त्री, विद्युत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि गजनेर तथा कोडमदेसर के बीच गत साल वर्षा में बिजली का खम्भा बिल्कुल टेढ़ा हो गया था और अभी तक टेढ़ा ही पड़ा है ?

(२) क्या सरकार का उक्त खम्भे को ठीक कराने का विचार है ? यदि हां, तो वह कब तक हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) :(१) कोई खम्भा टेढ़ा है, इसकी इत्तला नहीं थी।

(२) बीकानेर के रेज़ीडेन्ट इन्जीनियर को आदेश दे दिये गये हैं कि वह लाइन को चैक करा कर उचित व्यवस्था करे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): एक खम्भे के लिये असेम्बली में सवाल होता है तो क्या देखनेवाले नहीं देखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

फलौदी एवं शेरगढ़ तहसीलों की सड़क निर्माण योजना

१०६७. श्री सूरजमल (फलोदी-सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

फौलदी और शेरगढ़ तहसीलों में कहां कहां सड़क बनाने की स्कीम है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : सूची प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द पालीवाल।

गंगापुर-करोली तथा दौसा-गंगापुर की बिजली की लाइन

१०६८. श्री रिद्धिचन्द पालीवाल (गंगापुर) : क्या मन्त्री, विद्युत विभाग यह बतावेंगे :-

गंगापुर से करोली तथा दौसा से गंगापुर तक जाने वाली बिजली की लाइन कब तक पूरी हो जावेगी ? इसमें देरी का क्या कारण है ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जयपुर में ५,००० के० वी० सेट लग जाने के बाद ही इस लाइन को चालू किया जाना सम्भव हो सकेगा। इससे पहले पॉवर हाउस में बिजली देने की क्षमता ही नहीं है।

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल : कब तक लग जायेगा ५,००० किलोवाट का एंजिन ?

श्री हरिश्चन्द्र : ६१-६२ में लग जायेगा।

प्रश्न संख्या १०६६.

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

श्री मोतीलाल वैद्य, लोसल के विरुद्ध जनता की शिकायतें एवं उनकी जांच

११००. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर-श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) द्वारा पूछा गया] : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि श्री मोतीलाल वैद्य, लोसल, जिला सीकर के विरुद्ध जनता की बहुत शिकायतें हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि श्री मोतीलाल वैद्य का कई बार लोसल से स्थानान्तरण आदेश निकल गया परन्तु फिर केन्सिल कर दिया गया ? यदि हां, तो कब २, कितनी बार और क्यों ?

(ग) जो शिकायतें समय समय पर जनता द्वारा सरकार को प्रस्तुत हुई उनकी कब २ और किस किस ने जांच की तथा उनका क्या २ परिणाम रहा ?

आबकारी मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) जी हां, केवल एक व्यक्ति की शिकायत आई थी।

(ख) जी हां, उनका परिवर्तन मास दिसम्बर, ५६ में हुआ था किन्तु लोसल

Page No.13

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

के सरपंच एवं जनता के अनुरोध पर इनको यहीं रखा गया।

(ग) जो शिकायतें विभाग के सामने प्रस्तुत हुई उसकी नियमित जांच निरीक्षक, आयुर्वेद विभाग द्वारा दिनांक ६-३-५६ को की गई और वे निराधार सिद्ध हुई। दूसरी बार उप संचालक, आयुर्वेद विभाग द्वारा भी दिनांक २०-६-५६ को इस विषय में जांच की गई तो शिकायतें निराधार सिद्ध हुई हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि शायद मिनिस्टर महोदय को पता नहीं, बद्रीप्रसादजी मौजूद होते तो उनसे कहता, उन्होंने पर्सनली जांच करवाई, ट्रान्सफर का डेफिनिट ऑर्डर दिया, he must be transferred from there...

(विराम)

वे पधार गये हैं।

(विराम)

श्री मोतीलालजी वैद्य की ट्रान्सफर के सम्बन्ध में मिनिस्टर महोदय ने खुद ने पूरा यकीन कर लिया था कि उनका ट्रान्सफर करना जरूरी है। आपने ट्रान्सफर किया था, बाद में फिर मिला था तो आपने कहा था कि ऊपर से केन्सिल हो गया होगा, यह ऊपर की क्या बला है? जो आदमी दस-बारह वर्ष से वहां है, जिसके हाथ से पांच-चार आदमी खत्म हो गये हैं, ईमानदार डॉक्टर जाता है तो उसको हटा देते हैं। वह इन्जेक्शन देते हैं और चार-पांच आदमी खत्म हो जाते हैं।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न हो रहा है या स्टेटमेंट हो रहा है?

श्री मदनसिंह : जो हो रहा है, सुन लें।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : मुझे शिकायत की थी, उसकी जांच कराई। जांच के बारे में पहले जवाब दिया जा चुका है। ऑपरेशन्स करता है, यह बात निराधार पाई गई। इसके बावजूद भी मैंने उनके ट्रान्सफर का कह दिया था और डाइरेक्टर ने ट्रान्सफर कर भी दिया पर वहां की पंचायत के सरपंच ने और पंचों ने रिप्रेजेन्ट किया कि ये एक अच्छे, योग्य आदमी हैं, इनको हमारे यहां पर ही रखना चाहिये। तो डाइरेक्टर ने वापिस ट्रान्सफर केन्सिल कर दिया। गवर्नमेंट का ऑर्डर था नहीं, मैंने कह दिया इस पर ट्रान्सफर कर दिया किसी कम्प्लेन्ट पर ट्रान्सफर किया नहीं, डाइरेक्टर ने ट्रान्सफर किया था पंचायत के लिखने पर केन्सिल कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार उचित समझती है कि एक सर्विसमैन एक स्थान पर १० साल तक रहने के बाद भी सरकार ट्रान्सफर करे और पंचायत के कहने पर ट्रान्सफर को केन्सिल कर दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार सभी पब्लिक ओपिनियन पर खयाल करती है।

श्री मदनसिंह : उस पर आखिरी निर्णय हो चुका था कि वह व्यक्ति उस स्थान पर नहीं रहना चाहिये।

(श्री मदनसिंह)

जो इन्क्वायरी करने के लिये गये उनको गोठ दी गई और कोई इन्क्वायरी वहां नहीं हुई। मैं खुद वहां मौजूद था। वहां बड़ा होस्पिटल है। कोई आदमी वहां होस्पिटल में जाता है तो उसको रोक दिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता। मिनिस्टर महोदय जांच करवायें।

श्री अध्यक्ष : वह तो मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि आप शिकायत करें।

श्री मदनसिंह : यह शिकायत ही तो कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसकी तो शिकायत हो गई है और जांच हो गई है।

श्री मदनसिंह : मिनिस्टर महोदय ने कहा था वह तो डिसिज़न था, आखिरी जांच नहीं हुई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले शिकायत आई थी कि अंग्रेजी दवा इस्तेमाल करते हैं, उसकी जांच करा ली, इसकी रिपोर्ट मेरे पास है। वह शिकायत निराधार पाई गई। मैंने ट्रान्सफर के लिये कह दिया, नोर्मल केस में ट्रान्सफर हुआ था। फिर पंचायत के रिप्रेज़ेन्टेशन पर डाइरेक्टर ने उसको वहीं रख दिया।

श्री मदनसिंह : क्या मंत्री महोदय ने यह नहीं फरमाया था कि अब वह लोसल में नहीं रहेगा, अगर आप ना फरमा दें तो मैं इसे यही ड्रोप कर दूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने कहा कि ट्रान्सफर हुआ तो मैंने कहा कि ट्रान्सफर हो जायगा और हो भी गया था, उसके बाद पब्लिक ने रिप्रेज़ेन्ट किया तो ट्रान्सफर कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने ट्रान्सफर कर दिया और डाइरेक्टर ने केन्सिल कर दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कोई ट्रान्सफर नहीं किया, ट्रान्सफर आॅर्डर्स उन्हीं के होते हैं। पब्लिक ने कहा, इसलिये वापिस केन्सिल कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : + + + +

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Don't pass such remarks otherwise you will be paid in the same coin. Remember it always.

आप अपने आपको बड़े होशियार और मजबूत समझते हैं....

What do you mean by this...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जांच में क्या पाया गया ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : You are nobody to challenge it...

(थपथपाहट एवं शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am everybody to challenge.

(पुनः थपथपाहट एवं शोरगुल)

+ + + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप कौन होते हैं ? No. You are nobody to challenge.

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It shows the weakness of the Minister that the Director has cancelled the orders.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : He will remain, वह वहीं पर रहेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It shows weakness, if the Director has cancelled the order...

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

(पुनः शोरगुल एवं मेजों पर थपथपाहट)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ×××× अपने आपको बहुत समझते हो, ६ साल तक वहीं रहेगा कोई तबादला नहीं होगा। वीक मिनिस्टर बताते हैं, करवा देना ट्रान्सफर, वर्ना आप वीक आदमी हैं।

(व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Face the facts

(व्यवधान)

श्री पी. के. चौधरी : Whether...

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेनुसार निकाला गया।

श्री अध्यक्ष : No more questions on this, please.

प्रश्न संख्या ११०१

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री ।

बुरासना बन्ध, तहसील रामगढ़, जिला जयपुर पर मिट्टी खुदाई व भराई कार्य

११०२. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) बुरासना बन्ध, तहसील रामगढ़, जिला जयपुर पर मिट्टी खुदाई व भराई का कार्य कब कराया गया और उस सम्बन्ध में कितना पेमेन्ट किया गया ?

(२) यदि पेमेन्ट नहीं कराया गया है, तो क्यों ? क्या वह काम एकोर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं कराया गया था ?

(३) यदि हां, तो फिर उस कार्य की मेजरमेंट बुक में किस प्रकार एन्ट्री की गई और फाइनल बिल कैसे बनाया गया ?

(४) इस मामले में काम की इंजीनियर्स से आवश्यक जांच कराई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): (१) बुरासना नहीं वरन बरासना बन्ध का काम सन् १९५५ में दिया गया था। उस सम्बन्ध में कोई पेमेन्ट नहीं किया गया।

Page No.16

(श्री दौलतराम सारण)

(२) विभाग ने तो काम स्पेसिफिकेशन के अनुसार करने के लिये आदेश दिया था लेकिन ठेकेदार ने स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम नहीं किया।

(३) मेजरमेंट बुक में नाप ओवरसियर चढ़ाते हैं और फाइनल बिल भी वही बनाते हैं। इस बिल को मेजरमेंट बुक में ओवरसियर को नहीं चढ़ाना चाहिये था।

(४) इस मामले की जांच कराई गई थी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : जांच का क्या नतीजा निकला ?

श्री दौलतराम सारण : जांच का नतीजा यह निकला की काम स्पेसिमेन के अनुसार नहीं हुआ इसलिए पेमेंट नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

समुद्रसिंह द्वारा गंगासिंह की औरत को धोखा देकर भगा ले जाने के संबन्ध में

११०३. श्री भैरोंसिंह [श्री माधोपुर-श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि समुद्रसिंह सा० दुजारे गंगासिंह सा० जाचास, थाना सदर की औरत को यह कह कर कि तुम्हें गंगासिंह बुलाता है, मय जेवर व सामान के भगा कर ले गया ?

(ख) क्या यह सही है कि गंगासिंह ने इसकी रिपोर्ट थाना सदर, सीकर में की परन्तु एच. सी. अमरसिंह ने मनमाने ढंग से रिपोर्ट लिख कर गंगासिंह की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की ?

(ग) क्या यह भी सही है कि गंगासिंह को समुद्रसिंह तथा उसकी औरत जयपुर में मिल गये जिनको लेकर यह सीकर थाना सदर में गया तथा दोनों को थाने में पेश किया ?

(घ) क्या यह सही है कि अमरसिंह एच.-सी. ने औरत के बयान लेने के बहाने से अपने घर रख लिया ?

(ङ) क्या यह सही है कि जब गंगासिंह औरत को लाने अमरसिंह के घर गया तो मालूम हुआ कि अमरसिंह ने उस औरत को अपने किसी रिश्तेदार के साथ कहीं भेज दिया जिसका अभी तक कोई पता नहीं है ?

(च) यदि हां, तो अमरसिंह के खिलाफ इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :(क) जी हां, ऐसा आरोप लगाया गया था।

(ख) ऐसा आरोप लगाया गया।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) जी हां

(च) इसके विरुद्ध विभागीय जांच हो रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जब यह सिद्ध हो गया कि थानेदार ने औरत को भगा दिया था और इसकी जांच विभागीय हो रही तो फिर उस हैड कॉन्सटेबल को उसी स्थान पर ड्युटी पर क्यों रखा गया है ?

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : एफ-आई. आर. कब हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : ५ अक्टूबर, १९५९ को।

मेजर श्री फतेहसिंह : When you started enquiry against the Head Constable ?

श्री रामकिशोर व्यास : बाद में, शिकायत हुई उसके बाद।

मेजर श्री फतेहसिंह : हैडकॉन्सटेबल के खिलाफ कब से इन्क्वायरी शुरू हुई, एस. एच. ओ. के खिलाफ ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह २९ जनवरी, ६० को शिकायत आई उस पर इन्क्वायरी हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि हैड कॉन्सटेबल अमरसिंह ने उस औरत को अपने घर में रखा है और वह अभी उसी थाने में काम कर रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी नहीं, वहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वह अभी भी उसी थाने पर है ? उसको सस्पेन्ड नहीं किया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सस्पेन्शन वगैरह जैसा भी करना होगा करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी समाप्त हो गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले सी.-आई. डी. से इसकी इन्क्वायरी कराई और सी. आई. डी. ने जांच कर ली है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि जब सी.-आई. डी. से इन्क्वायरी कर ली गई है और यह साबित हो गया है तो उसको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ? यदि सस्पेन्ड नहीं किया जावे तो कम से कम उसको उसी थाने में तो नहीं रखा जावे। उसका दूसरी जगह तबादला कर दिया जाना चाहिये था ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपके सुझाव का स्वागत किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राणा प्रताप सागर बांध से विद्युत उत्पादन एवं उसका वितरण

११०५. श्री सुगनचन्द जैन (बैगूं) : क्या मंत्री, विद्युत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

राणा प्रताप सागर बांध से कितनी बिजली पैदा होगी और वह बिजली की लाइन किन किन ग्रामों के पास से होकर जावेगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : राणा प्रताप सागर पॉवर हाउस में ४ जेनरेटर लगने का आयोजन है । प्रत्येक जेनरेटर की क्षमता ३२,००० किलोवाट होगी । पांचवे जेनरेटर को भविष्य में लगाने के लिए गुंजाइश रखी जावेगी । इन चार जेनरेटरों में से एक स्टेन्ड बाई होगा । इस प्रकार राणा प्रताप सागर पॉवर हाउस की क्षमता ९६,००० किलोवाट होगी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल निम्नलिखित चार लाइनें डल रही हैं :

(१) १३२ के. वी. गांधी सागर से कोटा, लाखेरी, सवाई माधोपुर तक ।

(२) १३२ के. वी. सवाई माधोपुर से जयपुर तक ।

(३) १३२ के. वी. कोटा से अजमेर तक ।

(४) १३२ के. वी. नीमच से उदयपुर तक ।

गांधी सागर व राणा प्रताप सागर को लिंक कर दिया जावेगा और ये लाइनें दोनों जगहों में बिजली पा सकेंगी । इसके अतिरिक्त कुछ ३३ व ११ के. वी. लाइनें भी गांधी सागर से भवानी मंडी व झालावाड़ व कोटा से बूंदी को जावेंगी । सीमावर्ती स्थानों को जो मध्य प्रदेश से सब-स्टेशनों के पास हैं वहां से बिजली दी जाने की व्यवस्था करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ और लाइनें डालने का विचार है । उनकी रूपरेखा विचाराधीन है ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : किन किन गांवों से होकर जावेगी, प्रश्न तो यही था ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अर्ज किया कि यह विचाराधीन है ।

एक माननीय सदस्य : क्या झालावाड़ से लाइन जा रही है ? आपने सूची नहीं रखी है ।

श्री हरिश्चन्द्र : सूची का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

एक माननीय सदस्य : पहले बताया गया था कि झालावाड़ में इसकी लाइन जावेगी, अब जावेगी या नहीं ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : राणा प्रताप सागर में कितने जेनरेटर लग रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता । कोई निर्णय नहीं लिया गया है । यह विचाराधीन है ।

श्री शंकरलाल : नीमच से लाइन उदयपुर कब तक तक आवेगी ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए कोई अभी निर्णय नहीं लिया, कहा गया है ।

श्री हरिश्चन्द्र : ये दोनों चीजें इन्टर-लिंक्ड हैं । जो लाइन गांधी सागर से जावेगी उसको प्रतापसागर ...

एक माननीय सदस्य : यह कहां से जोइन्ट होगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो इंजीनियर से पूछना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या विधान सभा के सदस्य सीधा किसी अधिकारी को प्रश्न पूछ सकते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं समझता हूं कि मिनिस्टर नहीं कह सकता कि कौन सी लाइन कहां जोइन्ट होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जोधपुर–बालोतरा सड़क को डामर रोड बनाने का कार्य

११०५. **श्री सूरजमल** (फलोदी–सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

जोधपुर से बालोतरा जानेवाली सड़क पर डामर करने का आदेश सरकार द्वारा कब दिया गया ? उक्त सड़क का ठेका किसको कितनी धनराशि में दिया और सरकार द्वारा उक्त सड़क पर डामर करने की धनराशि कितनी स्वीकृत की ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : दिनांक ३१–१०–५६ को। बालोतरा से ० मील से १४ मील मेसर्स मानकलाल कन्हैयालाल, जोधपुर। २,१२,७६८ रु०

मील १४ से २६ मेसर्स मानकलाल कन्हैयालाल, जोधपुर १,०६,२२६) रु०। मील २६ से ३६ मेसर्स विर्धाराम लुम्भाराम १,६५, ६६२॥) रु०।

जोधपुर से ३ मील से २६ मी० ६ फीट मेसर्स अब्दुल मजीद एण्ड ब्रादर्स, जोधपुर ६,३०५) रु०।

डामर की पृथक स्वीकृति नहीं है। ग्रेवलिंग मय डामर के सहित १६,१६,२५०) रु० खर्च होगा।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या यह काम शुरू हो गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : कहीं शुरू हो रहा है।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा): इस योजना का अन्त कब तक होगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : तीसरी पंचवर्षीय योजना में।

श्री सूरजमल : इस सड़क पर डामर करने का ठेका कब दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह अलग अलग समय में दिया गया। मैंने आपको बताया कि १४ मील मेसर्स मानकलाल कन्हैयालाल, जोधपुर को २,१२,७६८) रु. में दिया गया।

श्री सूरजमल : कौनसी तारीख को दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : तारीख नहीं है।

श्री सूरजमल : वैसे ही दिया गया ; तारीख बिना ही दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : किस तारीख को दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी सूचना नहीं है।

श्री शंकरलाल : प्रश्न में स्पष्ट था तो इसका जबाब आना चाहिये। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : २०-१२-५७ को।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : क्या इस प्रकार दूसरे डिस्ट्रिक्टों में काम चलते हैं उनमें फुर्ती आवेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : फुर्ती आवेगी।

श्री सूरजमल : आपने कॉन्ट्रेक्टर को सड़क ठीक करने का ठेका दिया है या सड़क में और खड्डे खोदने का दिया है।

श्री अध्यक्ष : खड्डे खोदने के लिये नहीं दिया है। सडक बनाने के लिये दिया है। सडक पहले इसी तरह बनती है।

(विराम)

राजस्थान केनाल द्वारा सिंचाई योजना

११०६. श्री मोहरसिंह (चुरू): क्या राजस्थान केनाल मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) राजस्थान केनाल से बीकानेर डिविजन में कुल कितनी जमीन की सिंचाई होने की योजना है ?

(ख) इस योजना के तहत बीकानेर डिविजन की किस २ तहसील में कितनी २ जमीन की खातेदारी समाप्त की गई है ? सूची खसरेेवार इस सदन की मेज पर रखें।

(ग) इस योजना से प्रभावित खेतों को इस साल पुराने काश्तकारों द्वारा ही काश्त कर लिए जाने पर लगान व तावान प्रति बीघा किस हिसाब से वसूल किया जा रहा है ?

राजस्थान नहर मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): इसका जवाब राजस्व मंत्री महोदय देंगे।

श्री अध्यक्ष : वे तो निश्चिततया दे देंगे न ?

श्री रामचन्द्र चौधरी उन्हीं का ताल्लुक रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों ही तय कर लीजिये कि कौन उत्तर देंगे। यह न हो कि उनका मौका आवे तो वे कह दें कि वे देंगे।

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : Sir, the Ministers have collective responsibility and since we have tabled the question, an answer must come from anywhere. They have got a collective responsibility.

श्री अध्यक्ष : But they haven't got collective knowledge.

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नोटिस दिया जाता है और यदि माननीय मंत्री महोदय को जवाब नहीं देना है तो इसकी पहले ही से सूचना कार्यालय को पहुंचा दी जावे और दूसरे मंत्री इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : सामान्यतया ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी गल्ती हो जाती है।

प्रश्न संख्या ११०७

श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

Page No.21

एक माननीय सदस्य : इसका उत्तर दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न श्री मुरलीधर व्यास।

दिनांक १६ मार्च, १६६० का स्थगित तारांकित प्रश्न

गवर्नमेन्ट होस्टल, जयपुर के कर्मचारी

५०७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) गवर्नमेंट होस्टल, जयपुर में कुल कितने कर्मचारी हैं और इनमें से कितने स्थायी हैं ?

(ख) इन सब का प्रोवीडेंट फन्ड कटता है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) गवर्नमेन्ट की ओर से जयपुर में १५ कर्मचारी हैं उनमें से ७ स्थायी हैं।

(ख) जी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : ७ में से चार कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और इसका क्या जवाब ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह आपने पूछा नहीं है, यही जवाब है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

दिनांक २६ मार्च, १६६० का स्थगित तारांकित प्रश्न

अजमेर में अधिकारियों के बंगलों में लकड़ी की जगह सीमेन्ट की चोखटें

६६१. **श्री भैरोंसिंह** [श्रीमाधोपुर—श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि अजमेर में अधिकारियों के लिए जो बंगले बन रहे हैं, उनकी लकड़ी की चोखटें लगाने का ठेका था परन्तु लकड़ी की चौखटों की जगह सीमेन्ट की चोखटें लगाई गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) सीमेन्ट की चोखट लगाने का कॉन्ट्रेक्ट किस आधार पर किन दरों में दिया गया ?

(ग) क्या सही है कि लकड़ी की चोखटों में लगाने के लिए जो होल्ड फास्ट का टेन्डर स्वीकार किया गया था वह सारे होल्ड फास्ट खरीद लिये गये हैं ? यदि हां, तो कितनी कीमत के और कब तथा क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां। अच्छी लकड़ी समय पर उपलब्ध न होने के कारण लकड़ी की जगह सीमेन्ट की चोखट लगाई गई है।

(ख) सीमेन्ट की चोखट में जो सामान लगा है उसकी अजमेर शिड्यूल से कीमत और मजदूरी के आधार पर एनेलेसिस करके ३"×४" की चौखट का रु० १.३५ न० पै० प्रति फुट लम्बाई पर काम कराया गया है।

(ग) जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-

Page No.22

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बाजार, जयपुर): इस प्रकार का कुल कितना अधिक रुपया सीमेन्ट की चौखट लगाने से खर्च हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : अधिक नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लकड़ी चोखट में लगाने के लिए टेन्डर कैसे इन्वाइट किया और पर्चेज़ कैसे किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपका मतलब होल्ड फास्ट से है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लकड़ी की चोखट में लगाने के लिए होल्ड फास्ट क्यों खरीदा गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : उसको वापिस कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

दिनांक २ अप्रेल, १६६० का स्थगित तारांकित प्रश्न

ठिकाना खेतड़ी के गेस्ट हाउस के सूरजा पुत्र छोटू को वेतन का भुगतान

८१०. **श्री भैरोंसिंह** [श्री माधोपुर–श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) द्वारा पूछा गया]: क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि सन् १६५४ में जब ठिकाना खेतड़ी का पुनर्ग्रहण हुआ उस समय से सूरजा पुत्र छोटू हरिजन, साकिन कोटपुतली स्थानीय गेस्ट हाउस में भंगी का कार्य करता आ रहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसको अब तक कोई तनख्वाह नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां। परन्तु वह जागीर पुनर्ग्रहण के समय में भी पार्ट टाइम नौकर था। इस नाते वह जागीर कर्मचारी की भाषा में नहीं आता जब। कभी विज़िटर्स या ऑफिसर्स इसमें ठहरते हैं तो वो लोग उसे उसकी सेवाओं के लिए अपनी ओर से कुछ दे देते हैं।

(ख) तनख्वाह देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जागीर में भी पार्ट टाइम कर्मचारी होने के नाते जागीर कर्मचारी की भाषा में नहीं आता और न राज्य सरकार उसे राज्य सेवा में लेने के लिए बाध्य है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ठिकाने का कर्मचारी माना क्यों था ?

श्री हरिश्चन्द्र : पार्ट टाइम था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पार्ट टाइम था और तनख्वाह उसको ठिकाने की ओर से मिलती थी। अब तो वह लोगों की मर्जी पर हो गया।

श्री हरिश्चन्द्र : पार्ट टाइम था। जागीर के रूल्स के अनुसार नहीं माना जा सकता। जो लोग जाते हैं वे कुछ दे देते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या यह सही है कि ठिकाना खेतड़ी का रिज़म्प्शन हुआ, ऑफिसर चार्ज लेने के

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

लिए गया था होस्पिटल आदि बिल्डिंग्स का, उस समय कर्मचारियों की भी लिस्ट दी गई थी और उस ऑफिसर से उस लिस्ट पर दस्तखत करा लिये गये थे ?

श्री हरिश्चन्द्र : प्रश्न समझ में नहीं आया कि क्या प्रश्न किया ?

राव राजा श्री सरदारसिंह : ठिकाना रिज्यूम करने के लिए कलेक्टर वहां पर गया। वहां के कोर्ट्स आदि बिल्डिंग्स की लिस्ट दी। स्टॉफ की भी लिस्ट दी और उस कलेक्टर ने वहां पर उसको वेरीफाई किया ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

राव राजा श्री सरदारसिंह : पार्ट टाइम कैसे माना ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो इन्फोर्मेशन मेरे पास है वह यह है कि वह जागीर के समय में भी पार्ट टाइम नौकर था और अब जो जाते हैं वे देते हैं।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : ठिकाने से उसको तनख्वाह तो मिलती होगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : पार्ट टाइम नौकर था। जो कोई नौकरी के लिए बुला लेता है तो तनख्वाह देता है।

राव राजा श्री सरदारसिंह : अब तक पार्ट टाइम रख रखा है तो उसको मुश्तकिल करने में क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह केन।

दिनांक २ अप्रेल १९६० का स्थगित तारांकित प्रश्न

भरतपुर शहर में हरिजनों के मोहल्ले में पानी के नल

८१३. श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना-बु) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भरतपुर शहर के हरिजनों के मोहल्लों में पानी पीने के कितने नल लगवाये गये ? मोहल्लेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। शहर में कुल कितने नल लगवाये जा रहे हैं और इनके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): भरतपुर शहर में हरिजनों के आठ मोहल्ले हैं। इन मोहल्लों में ५ नल लगवाने का प्रबन्ध किया गया है। शहर में कुल ५६ नल लगवाये जा रहे हैं। दिनांक ५. ५. ६० को प्रथम बार पानी दिया जायगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : पानी देने के लिए कह रहे हैं तो पानी की टंकी तो फैल हो रही है ?

श्री सम्पतराम : जी हां। उस तारीख तक पानी दे दिया जायगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बिजली की शक्ति पहुँचा दी गई है ?

श्री सम्पतराम : कहां तक पहुँची है, यह पता नहीं; लेकिन फिक्स्ड डेट की है उस तक पहुंचनी चाहिये।

Page No.24

श्री गोवर्धनसिंह केन: भरतपुर में हरिजनों के मोहल्ले कितने हैं ?

श्री सम्पतराम : ८ मोहल्ले हैं।

श्री गोवर्धनसिंह केन : हरिजन किनको मानते है। ८ मोहल्ले बतलाये उनमें हरिजन किनको माना है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : एक तो आप ही हैं उनमें से।

श्री गोवर्धनसिंह : किस आधार पर आठ मोहल्ले माने हैं ?

श्री सम्पतराम : आधार तो यही है कि शिड्युल्ड कास्ट कहां कहां रहती है। आमतौर पर यह मानते हैं। दूसरा आप बतायें ?

श्री गोवर्धनसिंह : यह सूचना दी है वह गलत है। भरतपुर में २२ मोहल्ले तो शिड्युल्ड कास्ट के हैं। अन्य जातियां भी रहती हैं। हरिजन कौनसे हैं जिनके आठ मोहल्ले हैं।

श्री सम्पतराम : मुझे तो आपकी नगरपालिका ने यह सूचना भेजी है। हो सकता है कि एक आदमी रहता हो, दो आदमी कहीं रहते हों और उसको मोहल्ला मान लिया हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका स्वागत ८ मोहल्लों में हुआ उसके आधार पर कहते हैं।

श्री गोवर्धनसिंह केन : यह कहा गया कि एक या दो घर हों तो उसको मोहल्ला मान लिया, तो क्या इस तरह से कहीं मोहल्ले माने जा सकते हैं ? आम तौर पर ज्यादा लोग रहते हैं उनके मोहल्ले माने गये हैं।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य चाहते क्या हैं, यह बतायें तो मैं जानकारी दूं।

श्री गोवर्धनसिंह : मोहल्ले अधिक हैं। आपने बताया कि पांच नल लगाये हैं। कम से कम ५० मोहल्ले होंगे शिड्युल्ड कास्ट के और आपने पांच मोहल्ले बताये।

एक माननीय सदस्य : पहले २२ मोहल्ले कहा।

श्री सम्पतराम : शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए कलेक्टर, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन बैठ कर तय कर रहे हैं। आवश्यकतानुसार नल लगायेंगे। माननीय सदस्य बतायें तो हरिजन होने के नाते और नल लगवा दूंगा। मोहल्लों का ही डिस्प्यूट है।

श्री गोवर्धनसिंह : आठ मोहल्ले हरिजनों के कहते हैं। केवल भंगियों के ही बताये गये हैं। कोली, चमार और दूसरी जातियां भी रहती हैं उनका नाम इसमें नहीं आया है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या भरतपुर में हरिजनों को सब नलों पर पानी भरने देने में कोई रुकावट है ?

श्री अध्यक्ष : Order please! Next.

दिनांक २ अप्रेल, १९६० का स्थगित तारांकित प्रश्न

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में नियुक्तियां

८१६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**

Page No.25

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का गठन २८ जून, सन् ५७ को हुआ और विद्युत विभाग के तमाम कर्मचारियों की सेवायें १ जुलाई सन् ५७ से अस्थाई तौर पर मंडल के आधीन कर दी गई ? यदि हां, तो उस सरकारी विज्ञप्ति को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह सही है कि मंडल ने कर्मचारियों की सेवाओं सम्बन्धी कोई नियम अभी तक नहीं बनाये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या इन कर्मचारियों के नियमों का नियमन राज्य सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों के तहत बना हुआ होता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन नियमों के विरुद्ध रिटायर्ड अफसरान को मंडल की सेवाओं में लिया गया है? मंडल में इस समय जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी नियुक्त हैं उनकी सूची मय उनके वर्तमान पदों के, तनख्वाहों के, नियुक्ति की तारीखों के उनकी विशेष योग्यताओं के तथा पिछले निवास स्थान के (राजस्थान से बाहर के रहने वालों के) सदन की मेज पर रखें।

(घ) इन पदों पर राजस्थान के बाहर के इन लोगों को नियुक्त करते समय यहां काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन क्यों नहीं दिया गया ?

(ङ) क्या मंडल के अधीन कार्य करनेवाला कोई कर्मचारी जो पहले राजकीय सेवा में था, अगर वह आज पुन: किसी राजकीय विभाग में अपना तबादला करा ले तो क्या उसकी सेवायें लगातार समझी जावेंगी ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) जी हां। ऑर्डर की कापी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि जब तक बोर्ड अपने नियम न बना ले अथवा किसी प्रकार का संशोधन न करे तब तक बोर्ड के कर्मचारी राजस्थान राज्य सेवा सम्बन्धी नियमों के आधार पर ही बोर्ड में सेवा पर रहेंगे। इसलिये यह कहना गलत है कि बोर्ड में कोई सेवा सम्बन्धी नियम नहीं हैं।

(ग) यह मामला बोर्ड के निर्णय का है और वे जैसा ठीक समझें कर सकते हैं। बोर्ड ने कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) यह भी विषय बोर्ड के निर्णय का है। जहां उन्होंने उपयुक्त समझा प्रमोशन दिये हैं।

(ङ) जी हां। यदि राज्य सरकार उसे वापिस ले ले।

(कृपया-परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सर्विस के रूल्स जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लागू किये हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि बोर्ड में कार्य करते हुए किसी कर्मचारी को मुअत्तिल या सस्पेन्ड कर दिया जाय तो उसके अपील के राइट किससे रेगुलेट होते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : कानून में जो होगा उसी के मुताबिक होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान सर्विस रूल्स से रेगुलेट नहीं होता है क्योंकि क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स इनसे अलग हैं, उनको आपने एडॉप्ट नहीं किया।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक सर्विस का ताल्लुक है राजस्थान सर्विस रूल्स को फिलहाल बोर्ड ने माना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिस्मिसल के केस में कौन से रूल्स से रेगुलेट होंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या प्रमोशन के बारे में भी बोर्ड ने कोई रूल्स बनाये हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके मुताबिक नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : रूल्स के मुताबिक ही होना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन रूल्स के अन्तर्गत अपील्स इत्यादि होती हैं वे रूल्स इनमें अभी लागू नहीं किये गये हैं। राजस्थान राज्य के कर्मचारियों का जो प्रोवीडेन्ट फण्ड कटता है और उतना ही कॉन्ट्रिब्यूशन गवर्नमेंट की ओर से होता है, क्या इसी प्रकार बोर्ड ने भी एडोप्ट किया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : गवर्नमेंट के जो रूल्स एप्लीकेबल थे उनको लिया गया है। आप एक एक बात के लिये पूछते हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो सूची दी है उसमें आप आइटम नं० ४ देखिये। इनकी तनख्वाह कितनी निश्चित की गई है, यह आपने नहीं बताया। इसके लिये लिखा गया है कि 'yet not fixed' तो किस आधार पर नियुक्ति की है ?

श्री हरिश्चन्द्र : राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार ही होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनकी पे के कालम में लिखा है कि 'yet not fixed', तो क्या ऐसे ही ले लिया गया है; जैसे ठिकाने में हुआ करते थे कि अभी तो लग जाओ, फिर तनख्वाह के बारे में देख लिया जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी इत्तला करके निवेदन करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री सी० बी० लाल: आइटम नं० सिक्स पर आपने योग्यता के कॉलम में लिखा है, 'not available' तो बोर्ड ने उनको किस आधार पर नियुक्त किया ? क्या योग्यता है ; क्या इसकी डिटेल्स बोर्ड के पास नहीं हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके बारे में भी जानकारी करके बता सकूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आगे

Page No.27

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और चलिये । श्री जे० बी० मार्टिन, रिटायर्ड इन्सपेक्टर पुलिस, इनको आपने यु० डी० सी० की पोस्ट पर रखा है । ये तो पुलिस में नौकरी कर चुके हैं; इनमें ऐसी क्या योग्यता है, जिसके आधार पर इनको रीएम्पलॉय किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो बोर्ड ने किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार २५ साल से ज्यादा उम्र वाले को सरकारी नौकरी में नहीं लिया जा सकता ! लेकिन आपने जो लिस्ट दी है उनमें कोई ५५ साल का है, कोई ५७ साल का है; सारे एम्पलोइज़ रिटायर्ड हैं और उनको रखा गया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : रिटायर्ड आदमियों को रीएम्पलॉय करना कोई बुरा तो नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोर्ड के रीक्रूटमेंट रूल्स के अन्तर्गत नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र : The Government can re-employ.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान सरकार के अन्दर जितने भी नये अपॉइन्टमेन्ट्स होते हैं, आजकल ये स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज द्वारा व्यक्ति लिये जायं । क्या इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी लिया जाता है या नहीं ? दूसरा, इसमें जितने भी नाम आपने दिये हैं कोई ५७ साल का है, कोई ५६ साल का; आप इसके लिये यह कहेंगे कि टैक्निकल आदमी अवेलेबल नहीं थे, इसलिये लिये गये, लेकिन इसमें तो एल० डी० सी० और यू० डी० सी० भी लिये गये हैं, तो क्या यह रिटायर्ड आदमियों को नौकरी देने का आश्रम है ? क्या जो कोई भी किसी का कृपा पात्र हुआ यहां इस आश्रम में शरण के लिये भेज दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया है । इसके बाद जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सवाल है यह टैक्निकल मामला है । हो सकता है, ऐसे टैक्निकल आदमी यहां अवेलेबल नहीं हो सके हों, इसलिये बाहर से लिये गये । लेकिन यह कोई बन्धन नहीं है कि हम यहां के ही लोगों को लें । यदि योग्य और उचित आदमी यहां नहीं मिल पाते हैं तो बाहर से भी उनको लिया जा सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राजस्थान में यू० डी० सी० और एल० डी० सी० की पोस्ट के लिये भी कोई अवेलेबल नहीं था ? जहां तक सर्विस में लेने का सवाल है एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्ज के थ्रू आना चाहिये, क्या यह नियम बोर्ड पर भी आपने लागू किया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

लार्ज स्केल सोसाइटी, मोहनपुरा, तहसील किशनगढ़ में गबन का मामला

१०८०. **श्री लादूराम सुलाणिया** (दूदू–सु०) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न उत्तर देंगे :—

(१) लार्ज स्केल सोसाइटी, मोहनपुरा,

(श्री लादूराम सुलाणियां)

तहसील किशनगढ़ के गबन का मामला पुलिस को जांच करने के लिये कब सुपुर्द किया गया ?

(२) उक्त जांच क्या अब पूर्ण हो चुकी है ?

(३) यदि हां, तो पुलिस ने किन किन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चालान किया है ?

(४) इस गबन के सम्पूर्ण फैक्टस क्या क्या हैं ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) तारीख ३०-८-५६ को।

(२) जी नहीं।

(३) मुकदमें में अभी तफतीश जारी है।

(४) रालावता निवासी श्री प्यारेलाल ने मोहनपुरा सहकारी समिति की ४,०६८ रु० २२ नये पैसे की रकम अपने पास रख ली व समिति के प्रधान द्वारा मांगने पर जमा नहीं कराई। उक्त रकम में से २,०६३ रु., ६ पैसे समिति के मंत्री श्री नेमीचन्द जैन के पास मिले।

श्री लादूराम सुलाणियां: यह इन्क्वायरी कब तक हो जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवाह बाकी हैं, बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं उनके आते ही खत्म हो जायगी।

नीम का थाना तहसील में स्थित झील को रमणीक स्थान बनाने की योजना

१०७८. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि नीम का थाना तहसील में एक बड़ी झील है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इसको रमणीक स्थान बनाने के लिये विचार कर रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां, ग्राम पीथलपुरी में एक बड़ी झील मौजूद है।

(२) ऐसी कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : इसके लिये कब योजना बनाई जायगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आबू रोड़ पर राज्य यातायात की बसें

१०८६. श्री मोहब्बतसिंह [सिरोही-श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया] :

Will the Minister for Transport be pleased to state :—

(a) How many buses are lying off the route with the State Transport at Abu Road ?

(b) How many vehicles have been substituted in place of such vehicles ?

(c) What is the total strength of Vehicles with this concern at present ?

(श्री मोहब्बतसिंह)

(d) Is the number quite sufficient to meet the public demand during the peak season ?

यातायात मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): At present 8 buses including the truck are lying off route at Abu road Depot.

(b) 6 new vehicles have been added recently to the fleet strength of Abu Road Depot for replacement of such vehicles.

(c) The total strength of vehicles with Abu Road Depot is 38.

(d) Yes.

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : १०७६ का जवाब दे दी जियेगा साहब ।

श्री अध्यक्ष : हां, दे दीजिये साहब ।

भालेरी रोड के गैंगमैन व मेट को नौकरी से अलग करने के सम्बन्ध में

१०७६: **श्री मुरलीधर व्यास** [बीकानेर सिटी-श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि चुरू जिले के असिस्टेन्ट इन्जीनियर, चुरू ने भालेरी रोड पर काम करने वाले ८ गैंगमैन व एक मेट को अप्रेल, १९५९ को नौकरी से अलग कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो ये लोग इस विभाग में कब से कार्य कर रहे हैं ? क्या इन्हें अलग करने के पूर्व कोई चार्ज-शीट दी गई थी ?

(ग) क्या इन्होंने विभागीय असिस्टेन्ट इन्जीनियर को इस प्रकार के हुकम के खिलाफ कोई फरियाद की है ?

(घ) क्या उस दरख्वास्त में कोई भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) यह सही नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) श्री पूरन मेट के स्थानान्तरण करने के कारण रोड इन्सपेक्टर के विरुद्ध उसने कुछ झूठे आरोप लगाये हैं।

श्री मोगजी भाई : क्या यह माना जावे कि नौकरी से उनको अलग नहीं किया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : कौन नहीं किया गया ?

श्री मोगजी भाई : मज़दूर को और मेट को ?

श्री हरिश्चन्द्र : अलग नहीं किया गया।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : Short Notice question will be taken.

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : 1077 may be replied.

श्री अध्यक्ष : No, Short Notice question will be taken now.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Whether Mr. D. V. Shivhare has been...

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : That may be taken as read.

श्री श्रीभानसिंह : No, that is to be read in the House, that is the procedure.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : This has already been circulated to the Members.

श्री श्रीभानसिंह : But it has to be read in the House. The procedure is there. It has to be read and it must be read in the House.

Will the Minister for Printing and Stationery be pleased to state :

1. Whether Mr. D. V. Shivhare has been promoted to the post of Director of Printing and Stationery ? If so, please give date of the Government Order of appointment.

2. Was he selected by the Rajasthan Public Service Commission? If yes, on what date ?

3. Did the Government send a letter to the Public Service Commission stating and informing it that there are allegations of corrupt practices against him and hence it should keep this point in view in considering his case ? If so, what was the reply of the Public Service Commission in this regard ?

4. Did the Government frame rules that the post of the Director, Printing and Stationery, was to be filled by Departmental Promotion on seniority cum merit basis and not by the selection made by the Public Service Commission? If so, when were these rules framed and when the same sent to the Public Service

(श्री श्रीमानसिंह)

Commission for approval and when did the Public Service Commission approve them and communicated to the Government ? Please give the dates.

5. Did the Public Service Commission approve these rules before Mr. Shivhare was sent for selection for the post of the Director ?

6. What were the reasons which delayed the publication of these rules, and when did such rule or rules come into force in the Department? What were the reasons which made the Government change its decision from promotion to selection by the Public Service Commission ?

7. On what date the Governor gave assent to them and when were they published ?

8. In how many cases did the Anti Corruption Department conduct an enquiry against Mr. Shivhare, when he was working as Superintendent, Government Press, Jaipur and what were the results of the enquiry ? Did it write to the Government that prima-facie case of corrupt practices is established against him and hence he should be prosecuted ? If so, please give the date of such communication.

9. Was there any Departmental enquiry also against Mr. Shivhare for corrupt practices, as Superintendent, Government Press, Jaipur and had the Appointments Deptt. framed and issued a charge sheet to him and a copy thereof ?

10. Was he suspended or not?

11. Was the Departmental enquiry continuing when he was appointed as Director and now after his appointment has Mr. B. N. Tankha written a letter to the Home Secretary, I. G. Anti Corruption and EnquiryOfficer for dissociating himself from the enquiry in view of the changed circumstances, which have made the enpuiry a 'Mockery and force'? Please give the contents of his letter.

12. How the Dy. Superintendent of Police and the enquiring Officer Shri R. D. Mathur expressed the same opinion as Mr. Tankha?

13. Does the Government wish to suspend him to facilitate enquiry against him by preventing him from tempering with evidences and witnesses?

मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : 1. Yes. Shri Shivhare was appointed officiating Director of Printing and Stationery, on 23rd March, 1960 after selection by the Public Service Commission.

2. He was selected by the Rajasthan Public Service Commission. The recommendation of the Rajasthan Public Service Commission is dated the 23rd September, 1959. Govern-

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ment did not send a letter to the Public Service Commission stating that there were allegations of corrupt practices against Shri Shivhare. Therefore, the question of any reply from the Public Service Commission does not arise.

3. On 17th March, 1960 Government have issued Rajasthan Government Presses State Service Rules, 1960 which came into force at once, i. e the date the Rules were published in the Gazette, which is 24th march, 1960. The relevant portion of the Rules for appointment of Director of Printing and Stationery is as follows:-

"The posts of Director and the Superintendents shall be selection posts. Appointment to these posts shall be made by promotion, provided that, if in the opinion of the Government no suitable person is available within the service for promotion to these posts, these posts may be filled in by selection through the agency of the Commission".

Thus, if promotion is resorted to, seniority--cum-merit will be the crieterion. It is difficult to state the various stages of framing any particular rule, but the rules were sent to the Public Service Commission for their comments (and not for their approval) on 8th June, 1959. The Public Service Commission sent their comments on 3oth July, 1959, which were received on 31st July, 1959.

Requisition for selection of a suitable candidate for the post of Director of Printing and Stationery was sent to the Public Servic Commission on 19. 9. 1958, practically one year before the rules were sent. Government did not send Shri Shivhare to the Public Service Commission for selection. He was, like other Superintendents of Government Presses, eligible for applying the Public Service Commission, and he was called for interview by the Public Service Commssion, along with those who applied for the post. The Public Service Commission recommended his name on 23rd. September, 1959. The Public Service Commission sent their comments on the draft rules on 3oth July, 1959.

4. No avoidable delay had occurred in the publication of the Rules, because the Governor gave his approval to the Rules on 17th March, 1960. 19th and 20th March, 1960 were holidays. Rules were sent to the Press on 23rd March, 1960 and were published in the Gazette on 24th March, 1960.

5. The date on which Governor gave his assent to the rules is 17th March, 1960. The Rules were gazetted on 24th March, 1960.

6. An investigation was made by the Anti-Corruption Department into a complaint regarding 12 alleged irregularities in connection with certain purchases made for the Gove-

Page No.33

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

rnment Press, Jaipur. As a result of this investigation the Anti-Corruption Department recommended on 19. 10. 59 to hold a Departmental enquiry against him. Accordingly, Departmental proceedings were initiated against him on 8. 1. 60. These are in progress. No recommendation for his prosecution was received from the Anti Corruption Department.

7. Besides the above, there was another case of Departmental action against Shri Shivhare for his alleged irregularities in connection with the purchase of Carbon papers of a quality inferior to the approved one from M/s.Kanahya Lal and Sons. No regular charge-sheet was issued to Shri Shivhare. Shri Shivhare having not been found to be guilty of any irregularity the proceedings against him were dropped on 16. 2. 60.

The suspension of Shri Shivhare was not considered necessary in either of the above cases. Because the charges were not so serious.

8. After five days of handing over charge Mr. Tankha has written a letter to the Home Secretary which is under examination.

So far as the Dy. S. P. and Shri Mathur are concerned, we have not received any letter from them.

9. No. The question of tampering with evidences and witnesses does not arise, as most of the witnesses have been examined and documents are with the Commissioner for Departmental Enquiries.

श्री श्रीमानसिंह : I have asked for the contents of the letter. Have you placed them on the table of the House. ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : No. This is still under the examination of the Government and the Government does not intend to place it.

श्री श्रीमानसिंह : When the Government has approved the promotion rules on 17th March why on the old rules you issued orders ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I will clarify one thing that he was selected by the Public Service Commission long before the Rules were approved. We accepted the recommendation and he was appointed. Therefore, it is perfectly in order and there is nothing illegal in it. I will submit that there should be no doubt about that.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Public Service Commisssion's recommendation is not mendatory on the Government. There are precedents when the P. S. C. has recommended something and the Government makes its own decision. The question is that the Public Service Commission's recommendation is based on the old rules when the Governor's assent to the new Rules was there,

(श्री पी. के. चौधरी)

why the Government issued orders on the basis of those rules ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : These Rules were issued on 24th. Selection was held before and it is perfectly legal.

श्री श्रीभानसिंह : As regards the Gazette Publication, these general rules came in force on 24th. When do they apply ? From the date of publication or from the date the Governor gave it assent from any other date...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It is given in the Rules made by the State Government that it shall come into force at once and that is the date the rules were published in the Gazette.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that about the selection by the Public Service Commission, there was a writ petition before the High Court and in spite of that the Government has taken this action ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The Government has not received any information from the High Court. They have not issued or stayed the order or the Selection of the P. S. C. otherwise the High Court could have directed. This is perfectly valid, Sir, and there is nothing illegal in it.

श्री श्रीभानसिंह : Are you sure that the Government and the Public Service Commission did not receive a copy of a Writ filed by Shri Ifgtekhar Ali? Did the Government consider that the matter was subjudice and why did the Government hastily proceed with the Selection of this gentleman ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : There is no question of sub-Judice. We have no intimation. Unless a Stay Order is receiveddl from the High Court, appointment can be made....

श्री श्रीभानसिंह : You stated before this House that no letter was sent to the Public Service Commission. Can the Hon'ble Minister state that did the Department, did the Director Mr. B. N. Tankha not send a letter to the Public Service Commission stating that these corrupt practices must be kept in view before selecting him to the post of Director ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Your question was, 'Did the Government send a letter to the Public Service Commission ?' I stated, 'No'. But if the Director has sent to the P. S. C., it must have considered all this.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that before the post of Director was created, there was a post of the Chief Superintendent, Presses and the substantive holder was Mr. Iftekhar Ali and he was rightly entitled to be put but the post was then held in abeyance just to deprive him from the post of Director

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: No. Formerly it was known as Chief Superintendent, but later on it was named as Director.

श्री पी० के० चौधरी : Chief Superintendent's post was converted into that of the Director Will the Government say whether Shri Iftekhar Ali was a substantive holder of the Chief Supdt's. post and it was done by the Selection Committee.

श्री अध्यक्ष : We are not going to consider merits of one individual person. You have asked certain questions and the Hon' ble Minister has given reply. I think we will have no discussion on this now.

श्री पी. के. चौधरी : When the Hon'ble Minister has committed that the post of Chief Superintedent, Presses was replaced by the Director and the post of Chief Superintendent was substantively held by Mr. Iftekhar Ali, he has committed on the floor of this House, Sir. If so, why not Mr. Iftekhar Ali was given appointment of the Director's post ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : When the post has been sent to the Public Service Commission for selection, Iftekhar Ali could have gone there and applied to it.

श्री पी. के. चौधरी : The point is, if...

श्री अध्यक्ष : If he has any grievance, he could proceed according to law.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister stated that the Director has not tampered with the evidence. Will the Hon'ble Minister state that when the enquiry was going on, did not the Enquiry Officer express that the evidences had been tampered and did not he issue another process of summoning....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : For the knowledge of the House, I will submit that I have been constantly in touch with the enquiry so that the enquiry may be finished within six months. There was no such complaint to the Government that any body was tampering with the evidence and I have already given my reply. All the witnesses have been examined. I have personally seen it.

श्री श्रीभानसिंह : जैसा आपने कहा है कि विटनेसेज़ का एग्ज़ामिनेशन चल रहा है तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने टोटल विटनेसेज़ को एग्ज़ामिन करना है और अब तक कितने विटनेसेज़ एग्ज़ामिन हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या सारे केसेज़ में........

श्री श्रीभानसिंह : जब कि उन्होंने कहा है कि there is no fear of tampering the evidence or the witnesses, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने विटने-

(श्री श्रीभानसिंह)

सेज़ एग्ज़ामिन हो गये हैं और कितने बाकी हैं ? As a Director he has several opportunities to temper with the evidence.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वह तो फैक्ट्स की बात है। मेरे ख्याल से १६ गवाहों में से १३-१४ एग्ज़ामिन हो गए हैं और दो और आदमी बाकी बचे हैं। आपने कहा कि टेम्परिंग कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है। सारे रेकॉर्ड मैंने उनके पास भिजवा दिये हैं, बिफोर दी इन्क्वायरी स्टार्टेड, इसलिए टेम्परिंग की बात ही नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : But the witnesses belonged to the Press itself. And as a Director of the Press, is it not the fear that as Head of the very press witnesses are not free to depose against the Director ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : That was prepared under the leadership of Mr. Ifthikhar Ali and he was the Director of the Press and therefore question regarding tampering of the evidence does not arise.

श्री अध्यक्ष : There will be no more questions please. Order Please ! Order !! माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आपने अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज़ किया है, लेकिन जो इन्क्वायरी है वह ठीक तरह से हो जाये, ऐसा आप ध्यान रखें।

श्री श्रीभानसिंह : I would put only one supplementary, that when that man is there and has an opportunity of tampering how the House can be assured that he could not do. It is next to impossible and unbelievable.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं निवेदन करूंगा और बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि यह बात बिल्कुल नहीं है। इन्क्वायरी और कर रहे हैं। he has the rank of a Commissioner. वह सारा मेटीरियल एवीडेन्स है वह हो चुका है। वह तो रेकॉर्ड की बात है all the record is before him; इसलिए यह कहना कि इन्क्वायरी नहीं हो सकती, गलत है और जो मिस्टर तनखा ने किया है वह ठीक किया है लेकिन वे इन्क्वायरी की चीजें अलग प्रोसीड नहीं हो सकतीं ! He is no more the Director of the Press.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order! Order Please!! Shri Shribhan Singh.

श्री पी० के० चौधरी : Just one more question.

श्री अध्यक्ष : I have called on Shri Shribhan Singh.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Minister stated that no regular charge-sheet was issued by the Appointments Department, does the Minister mean to say that no charge-sheet was given to Shri Shivhare regarding favouritism done for National Book Binders

(श्री श्रीमानसिंह)

and Sindh...and no ch rges were levied to him ..

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have said the enquiry is going on regarding 12 cases. and regarding question no. 7 I said that no regular charge-sheet was issued to Shri Shivhare. Besides I have replied that investigation by the Anti Corruption regarding 12 cases is going on and the charge-sheet has been issued.

श्री श्रीमानसिंह : I have specifically asked. अध्यक्ष महोदय, अपॉइन्टमेंट डिपार्टमेंट ने कोई चार्जशीट दी थी कि नहीं ? अब आप बता दें कि अपॉइन्मेंट्स डिपार्टमेंट ने चार्जशीट दी या नहीं, इसके बारे में आप बता दें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चार्जशीट दी, उसी पर तो इन्क्वायरी हो रही है बाकायदा। After the charge-sheet was given by the Department, the Commissioner for Departmental Enquiries is holding the enquiry.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२. ३० म. प.

हटीला जाटव को पुलिस थाना बयाना द्वारा हिरासत में लेने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : दिनांक १६.२.६० को थाना पुलिस बयाना द्वारा हटीला जाटव, साकिन हिन्डौन, जिला सवाई माधोपुर को एक चोरी के सिलसिले में हिरासत में लिये जाने तथा बाद में पुलिस द्वारा मारपीट करने तथा एक लाश कस्बा बैर के कुएं से बरामद किये जाने से संबंधित स्थगन प्रस्तावों की सूचना श्री मोगजी भाई तथा श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई है। इस सम्बन्ध में मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे यह प्रकट होता है कि कुएं से जो लाश बरामद की गई है उसका आइडेन्टीफिकेशन नहीं हो सका है और इस सिलसिले में पुलिस द्वारा अग्रेतर कार्यवाही जारी है। ऐसी स्थिति में यह मामला इतने सार्वजनिक महत्व का नहीं रहता कि इस पर विचार करने हेतु सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय। अतः इन्हें मैं प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री इस संबंध में स्थिति को अधिक स्पष्ट करें।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, वाकयात इस तरह है कि ता० १६, २० फरवरी, १६६० को हटीला जाटव को एक मुकद्दमा जेर दफा ४५७, ३८० ता० हि० में में पुलिस थाना बयाना ने गिरफ्तार किया। २१. २. ६० को एस. डी. एम. बयाना से १० दिन का रिमान्ड लिया गया। ता० २५. २. ६० को सायंकाल ८ बजे उसे हिरासत से छोड़ दिया गया; जिसकी सूचना एस० डी० एम० को भी दे दी गई। ता० ३.३.६० को एक लाश एक कुएं में से गांव नयाबास, तहत थाना बैर, बरामद हुई; जिसका डॉक्टरी मुआयना ता० ४. ३. ६० को कराया गया। मौत का कारण स्ट्रेन्गुलेशन बताया गया और तारीख मुआयना से ४ रोज पहले मौत वाके होना पाई गई। थाना बैर ने जुर्म जेर

(श्री रामकिशोर व्यास)

दफा ३०२ रजिस्टर किया। ऐसी अफवाह कुछ लोगों ने फैलाई कि जो लाश निकली वह हटीला जाटव की थी और उसकी मौत पुलिस के मारपीट करने से हो गई। इसमें स्थानीय सोशलिस्ट पार्टी का विशेष हाथ था। सी. आई. बयाना ने तहकीकात आरम्भ की। जांच अभी जारी है, परन्तु इन्टेरिम रिपोर्ट से ऐसा पाया जाता है कि अफवाह सही नहीं है। तहकीकात से पता चला कि हटीला ता० २८. २. ६० को या २६. २. ६०. को गांव बगराई में सायंकाल ४ बजे गया था। रात को गांव में ही रहा। खाना खाया, लोगों से मिला। गांव के जावट पंच ने यह बात बताई। लिखित में भी गांव वालों ने यह बात दी है जिसकी तस्दीक सरपंच, पंचायत ने की है। मजिस्ट्रेट, हिन्डौन ने शनाख्तगी की कार्यवाही की है। श्री रामस्वरूप बिरादर हटीला व मु तीजो जोजे हटीला ने हटीला की लाश का फोटो लेना जाहिर नहीं किया। हटीला की गिरफ्तारी के समय जो चिन्ह थे वह उस लाश पर नहीं थे। इससे पता चलता है कि लाश हटीला की नहीं थी और यह कहना कि पुलिस की मारपीट की वजह से मर गया, सही नहीं है। न कोई करेन्ट लगाई गई। यह कहना गलत है कि फोटो गुप्त रखा गया है। जैसा कि ऊपर लिखा है हटीला की स्त्री और भाई वगैरह को फोटो बताया गया है। मजीद तहकीकात पर जिसके खिलाफ जुर्म साबित होगा उसके खिलाफ शख्त कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): यहां कार्यवाही की है कि जो बॉडी रिकवर हुई तो उसको जिसने सर्टीफाई किया कि उसकी लाश नहीं है? Are you in a position to state that at any stage that man was brought before the Sarpanch or Magistrate or police or anybody ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह वहां के सरपंच ने सर्टीफाई किया है।

श्री श्रीभानसिंह : सरपंच ने क्या सर्टीफाई किया है? वह किसके सामने सर्टीफाई किया है?

श्री रामकिशोर व्यास : वह वहां गांव में ४ बजे सायंकाल को गया था ?

श्री श्रीभानसिंह : आपने कह दिया कि सरपंच ने बाजार में जिन्दा देखा था।

श्री अध्यक्ष : He may give you some facts in the back ground.

श्री श्रीभानसिंह : Why does not he give the facts when he is giving his statement ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसको देखा ?

श्री श्रीभानसिंह : I mean उस आदमी को जिसको मरा बताया गया है; तो जिस आदमी ने इन्क्वायरी की है और जिस सरपंच ने उसको टेस्टीफाई किया है और जिसकी लाश को कुंए से निकाला है उसको किसी ने भी पहले देखा है या नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : जब किसी ने देखा नहीं तो सर्टीफाई कैसे हो गया कि वह आदमी

(श्री श्रीभानसिंह)

जिन्दा है, मरा नहीं। जो डेड बॉडी है वह उसकी डेड बॉडी नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया ...

श्री श्रीभानसिंह : निवेदन आप गल्त कर रहे हैं। जिन्दा किसी ने देखा नहीं है और आप कह रहे हैं कि वह आदमी जिन्दा है और किसी ने देखा नहीं है और दूसरे आदमी कन्टेस्ट कर रहे हैं कि वह डेड बॉडी उसी की है तो निवेदन क्या कर रहे हैं, जिन्दा ही नहीं है। The man has not been seen alive but it has been certified that he is alive and the Governme has believed it.

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी लाश का आइडेन्टीफिकेशन हुआ था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि २० तारीख को मजिस्ट्रेट से रिमाण्ड लिया गया। १० दिन का रिमाण्ड लिया गया था और २५ तारीख को छोड़ देते हैं तो मजिस्ट्रेट को कुछ भी सूचना नहीं दी है। ३ मार्च को एक लाश बरामद हुई कुंए में से, तो उसको बैर में ले जाकर जला दिया गया और उसका कोई आइडेन्टीफिकेशन नहीं किया गया। तो मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह गम्भीर मामला है। रात दिन राजस्थान में ऐसे काण्ड हो रहे हैं कि थाने में आदमी मार दिये जाते हैं और उनको कुंओं में फैंक दिया जाता है और उनकी लाश को बिना किसी आइडेन्टीफिकेशन के जला दिया जाता है और सदन में लीपापोती करके जबाब दिया जाता है, जानकारी पूरी नहीं दी जाती है। मुसम्मात तीजो जो उसकी विधवा है, जिसके बच्चा होने वाला था उसको २६ दिन तक पता नहीं चला। वह सदन के बाहर बैठी रो रही है और उसने एक दर्ख्वास्त अध्यक्ष महोदय आपके नाम दी है। उसने दरख्वास्त माननीय गृह मंत्री को दी, आई. जी. पी. को दी और माननीय मुख्य मंत्री को दी लेकिन महीना भर हो गया, किसी ने कोई जबाब नहीं दिया। वह सवेरे मेरे पास आई तो विधान सभा के अध्यक्ष के नाम दर्ख्वास्त लिखी कि शायद इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। उसकी दर्ख्वास्त आपके नाम की मेरे पास पेश हुई है।

मैं समझता हूं कि पुलिस ने १० दिन का रिमाण्ड लिया और पुलिस ने २५ तारीख को छोड़ दिया। आप बतलाइये कि १० दिन का रिमाण्ड था तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं पेश किया ? २५ तारीख को छोड़ दिया; वह एबसेन्ट है, उसकी कोई एवीडेन्स नहीं मिलती है कि २० तारीख से २५ तारीख के बीच में कोई एवीडेन्स नहीं मिली, इसलिए छोड़ दिया। आप पुलिस की डायरी मंगा लीजिये। चोरी की तफतीश की गई है। पुलिस की डायरी में मौजूद है कि हटीला ने कन्फेस किया है कि उसने चोरी की थी। इस तरह की चीज़ है। जब एवीडेन्स नहीं हो तो कानून की दफा २६६, २७३, जैसा कि आपने बताया कि २५ तरीख को छोड़ दिया, तो इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये और जो भी अधिकारी इसमें इन्वोल्व्ड हैं उनका तुरन्त ट्रान्सफर होना चाहिये। इन्क्वायरी के बिना ही लीपापोती का जबाब दिया जाता है। सी. आई. डी. कोई एन्क्वायरी नहीं कर सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने चार बातें फरमाई हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहला पोइन्ट यह है कि जो लाश निकली है वह किसकी है, आया वह हटीला की है या किसी और की है ? सबसे पहला पोइंट यह है। जो उसकी लाश का फोटो है, वह उसकी बीबी को दिखाया गया है। उसके सगे भाई को दिखाया गया है तो दोनों ने मना किया कि यह उसकी लाश का फोटो नहीं है। एक तो यह फैक्ट है।

दूसरा यह है कि जो उनकी खुद की बिरादरी के पंच हैं उन्होंने वह बात कही है और लिखित में भी दिया है कि फलां तारीख को देखा है....

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री रामकिशोर व्यास : सुनिये तो सही....

श्री श्रीभानसिंह : नहीं साहब, सुनें क्या जब उसमें बताया है....

श्री रामकिशोर व्यास : जब आप सुनेंगे नहीं तो....

श्री अध्यक्ष : Let him finish please.

श्री श्रीभानसिंह : आपने अपने स्टेटमेंट में बताया कि २८-२९ को देखा गया है। Even the date given in the House is not certain-whether the man was seen alive on 28th. or 29th. तो किस तारीख को सरपंच साहब ने देखा २८,२९ या ३० को या आज तक ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आप सुनिये मंत्री महोदय को।

श्री रामकिशोर व्यास : आप सुन लें। ऐसा क्यों समझते हैं कि हम छिपाना चाहते हैं ? उसको क्यों जनरलाइज़ करके फर्मा रहे हैं इतना प्रेजुडिस होना अच्छा नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : आप जो स्टेटमेंट देते हैं उसमें इतनी डिस्क्रिपेन्सीज़, कन्ट्रॉडिक्शन होता है, it becomes un-believable to me atleast.

जब २८ या २९ को देखा गया है तो एक स्पेसिफिक डेट बताइये कि सरपंच साहब ने सर्टीफाई किया तो किस तारीख को देखा है ? उसको अब तक देखा नहीं है, फिर कैसे कह सकते हैं कि वह जिन्दा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जितने फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं वे सही हैं। २८-२९ तारीख का बताया गया है। वह जो बात स्टेटमेन्ट में आई है वही बताई है। मुख्य बात मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो कुछ मैंने निवेदन किया है वह इन्टेरिम रिपोर्ट के आधार पर है। इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। इसमें अगर किसी पुलिस अधिकारी की गलती पाई जायगी तो जरूर उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा। जो फैक्ट्स बताये हैं वे सही हैं। आइडेन्टिफिकेशन मार्क्स से टेली नहीं करता है। उसकी फेमिली को फोटो वगैरह दिखाई गई तो वे भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। दूसरी बात जो आपने बताई कि वह मरा नहीं है, तो है कहां ? यह बात भी रिलेवेन्ट है। हो सकता है कि वह बाहर चला गया हो। इससे यह एज़म्पशन

(श्री रामकिशोर व्यास)

निकाल लेना कि सी० आई० को नहीं मिला इसलिये मर ही गया, उचित नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई औरत यह कहती है कि उसका हस्बेन्ड मार डाला गया, फिर भी आप यकीन नहीं करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप सस्पेक्ट कर सकते है, लेकिन जो प्रूफ मिल रहे हैं उनसे ऐसा पाया नहीं जाता। मैं यह निवेदन कर रहा था कि अब तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, हिंडौन में भी बताया, अब तक कार्यवाही जारी है। अगर इसमें कोई पुलिस अधिकारी दोषी होगा तो जरूर उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : इसका मतलब यह होता है कि कोई सैकन्ड मर्डर हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह भी निवेदन करूंगा कि किसी माननीय सदस्य या और किसी के पास इस बारे में इन्फॉर्मेशन हो तो बतावें।

श्री मदनसिंह : इसका मतलब यह है कि दो आदमी मारे गये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो फोटो के बारे में बात है उसकी औरत ने जो कहा है वह मैं बताता हूं, "मुझको तहसीलदारजी हिन्डौन के यहां बुलवाया और एक अंधेरी सी कोठरी में २-३ फोटो देकर कहा कि तेरा मर्द आ जायेगा तू, कागज़ पर दस्तखत कर दे। न तो ठीक तरह से फोटो ही देखने दिये और न मालूम किस पर दस्तखत करा लिए हैं। मैं गरीब औरत पूरी परेशान हूं।"

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस लाश का पोस्ट मार्टम बैर में वहां के डॉक्टर पर दबाव डाल कर कराया गया, जब कि पहले बैर में पोस्ट मार्टम भी नहीं होता था, बयाना में होता था। उसको भूखा रखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार उसके पेट में बैर की गुठलियें निकलीं, टेलीफोन का करेन्ट छुआ कर उसको मार डाला गया।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने बहस अच्छी की। तीन पोइन्ट्स रेज किये। एक तो उसकी दरख्वास्त पढ़कर सुनाई। उसमें बताया कि अंधेरी कोठरी में उसको फोटो बताया गया जहां वह अच्छी तरह से देख नहीं सकती थी वगैरह। आपकी बात मैं मान लेता, अगर पुलिस के आदमियों ने ही दिखाया होता लेकिन इसमें आइडेन्टिफिकेशन मजिस्ट्रेट के सामने हुआ.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसे मजिस्ट्रेट के सामने ?

श्री रामकिशोर व्यास : मजिस्ट्रेट हिन्डौन ने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आइडेन्टिफिकेशन किया....

श्री रामकिशोर व्यास : आप थोड़ा इत्मिनान रखें, मैं सब कुछ बता देता हूं। दूसरा पॉइन्ट आपने यह उठाया कि उसका पोस्टमॉर्टम बैर में क्यों किया गया, बयाना में क्यों नहीं किया गया ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह लाश थाना बैर के जुरिस्डिक्शन में पाई गई थी, इसलिये उसका

(श्री रामकिशोर व्यास)

मुआयना वहीं पर किया गया और मौतबिरों के सामने मुरतिब हुआ है। तीन तारीख को लाश निकली और ४ तारीख को पोस्ट मोर्टेम हुआ, इसलिये इसको जल्दी करने का सवाल नहीं है। जल्दी में जलाने की बात भी नहीं है। पूरी कार्यवाही करने के बाद लाश जलाई गई। तीसरी बात आपने यह बताई कि सी० आई० से काम नहीं चलेगा ..

श्री श्रीभानसिंह : My information is that the enquiry officer, C. I., is himself implicated in the case.

श्री रामकिशोर व्यास : आपका सवाल भी हल हो जायगा। अगर इस बात की जरूरत समझी गई कि और किसी ऑफिसर को अपॉइन्ट करना है तो किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह बताइये कि रिमान्ड ३० तारीख का था तो मजिस्ट्रेट को पुलिस ने कब इत्तला दी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब रिलीज़ करते हैं तब उसकी कॉपी मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : यह तो कहिये कि छोड़ा था, उस वक्त इत्तला दी थी या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कहता हूं कि आम तौर से जब मुलजिम को छोड़ा जाता है तब उसकी इत्तला दी जाती है।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑनरेबल मेम्बर्स को बड़ी डिफिकल्टी आती है जब कि मिनिस्टर साहब यह फरमाते हैं कि 'आम तौर से' ऐसा करते हैं। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि इस केस में क्या किया गया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का यह कहना है कि रूल्स या कानून के अनुसार इत्तला उसी वक्त देनी चाहिये। अब इस केस में इत्तला दी गई या नहीं दी गई, इसकी इत्तला इनके पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें बताया गया है कि २५ तारीख को रिलीज़ किया और उसी दिन एस० डी० एम० को इत्तला दी, लेकिन वास्तव में २० और ३० तारीख के बीच में कोई इत्तला नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष : जो बातें माननीय सदस्यों ने बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन्क्वायरी करा ली जायगी।

श्री श्रीभानसिंह : ये तो बेसिक फैक्ट्स थे जिनको इन्क्वायरिंग ऑफिसर को एन्क्वायर करना चाहिये था। जिस दिन उसको छोड़ा था उसी दिन मेजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया या नहीं ? यह एक बड़े मुद्दे की चीज़ है।

श्री रामकिशोर व्यास : जैसा कि मैंने निवेदन किया मेजिस्ट्रेट को इत्तला दे दी गई थी।

श्री श्रीभानसिंह : कब दी ?

श्री मदनसिंह : इन्क्वायरी चले तब तक आप उसको सस्पेन्ड तो कर दीजिये।

श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना-सु०): क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि

Page No.43

(श्री गोवर्धनसिंह केन)

थानेदार, बयाना हिन्डौन जाता है और उसकी स्त्री को कहता है कि झगड़ा मत चलाइये, इससे कोई फायदा नहीं होगा और हर हालत में उसको दबाने की कोशिश करता है, क्या यह बात सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी बात हो तो नोटिस में लानी चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसकी औरत बाहर बैठी है, आप कहें तो पेश करूं हाउस के सामने।

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी नॉलेज में कोई फैक्ट्स हों तो नोटिस में लाइये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जब सदन के नोटिस में लाते हैं, when there is the widow outside, why don't you call her and find out the facts ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी शहादत तो वहां पर होगी नहीं।

श्री मदनसिंह : आप पुलिस ऑफिसर को सस्पेन्ड तो कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसकी जांच हो रही है। इस पर ज्यादा बहस से मतलब है नहीं। मंत्रीजी के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वह उन्होंने सदन के सामने रख दी, इससे ज्यादा जानकारी उनको है नहीं।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : जब रिमान्ड ले लिया गया था तो क्या पुलिस के लिये यह जरूरी नहीं था कि उसको जो छोड़ा गया उसकी इत्तला मैजिस्ट्रेट को देते ?

श्री अध्यक्ष : ये भी यही कहते हैं कि छोड़ने की इत्तला मजिस्ट्रेट को देनी चाहिये।

श्री आबिदअली : रिमान्ड का टाइम खत्म होने के बाद पुलिस छोड़ना चाहे तो मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, क्या यह जरूरी है या नहीं ?

श्री पी० के० चौधरी : That is the law.

श्री गोवर्धनसिंह केन: एक सवाल और है। जिस समय हटीला को छोड़ा गया उस समय रोजनामचा पर उसका निशान इस प्रकार का है कि रोशनी में न कुछ है, स्याही फैलादी गई है इसका मतलब क्या है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आपने आज दिया है, उसकी जानकारी की जा रही है, जानकारी करने के बाद जबाब दिया जायगा।

श्री हीराभाई के स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : हमारा भी स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ ! उसका जबाब मिल चुका है।

श्री हीराभाई : आपने जो जबाब दिया है........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ !! राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६०।

श्री हीराभाई : आपने जो जवाब दिया है, वह कैसे दिया है; मैं नम्रता से जानना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : देखिये, आप जानकारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह समय नहीं है। अगर आपको संतोष न हो तो चेम्बर में मिल लीजिये।

श्री हीराभाई : आपका जवाब है, उसको सदन को सुनाना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। मैंने व्यवस्था दे दी है, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री हीराभाई: सर्जीकल ऑपरेशन में....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री हीराभाई : एक लड़के की मृत्यु हो गई ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री हीराभाई : क्या यह सार्वजनिक हित का मामला नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ...

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री हीराभाई : आपने कानून नहीं बताया, और नहीं बताया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री हीराभाई: माननीय अध्यक्ष महोदय, ..

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जाइये। आपको बोलना है तो बोलने का यह तरीका अच्छा नहीं है। मैं आपको बाद में मौका दे सकता हूं। आप इस तरह दबा करके बोलना चाहते हैं....

श्री हीराभाई : कब मौका दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे मिलिये, मैं बताऊंगा। आपको कोई शंका है तो आप मुझसे पूछिये।

श्री हीराभाई : हाउस में बोलने का तरीका मैं आपसे सीखूं, या जो लड़का मर गया है उसके विषय में....

श्री अध्यक्ष : लड़का मर गया है, तो उसकी जांच हो रही है।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ...

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष-महोदय, आपने जो बताया है, वह तो....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़! माननीय. .

श्री हीराभाई : लड़के की मृत्यु की बात है, उसकी मृत्यु गलती से....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि वे बैठ जायं।

Page No.45

श्री हीराभाई : यह बताया कि वह पहले की घटना है। ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा....

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री हीराभाई : लड़के की मृत्यु होती है उसके बाद फिर भी....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे बैठ जायं, या सदन को छोड़ कर चले जायं।

श्री हरिदेव जोशी : On a Point of Order !

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : Order please !

(घंटी)

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस ढंग से चेयर के आदेश की अवहेलना की है, मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त विचारणीय है कि इस प्रकार से चेयर की अवहेलना करते जाना और उसके ऊपर कुछ विचार न करना, यह कहां तक उचित है ?

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष,....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं; नहीं तो मुझे बाध्य होकर सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। इस तरह बात करते जायेंगे तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री हीराभाई : आपने लिख दिया है कि....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। ऑर्डर प्लीज़। ऑर्डर !!

श्री हीराभाई : इस तरह होना ठीक नहीं होगा ...

श्री अध्यक्ष : आप कृपया सदन छोड़ कर चले जाइये....

श्री हीराभाई : यह कैसे किया. यह ठीक नहीं है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आप बैठ जाइये।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० (अग्रेतर खण्डः शविचार-विमर्श)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, कितनी बार कहने के बाद इनकी समझ में आता है, यह समझा दिया जाय।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६०

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ६६।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत ..

(व्यवधान)

(श्री हीराभाई के खड़े रहने पर)

Page No.46

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !! माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक के क्लॉज़ ६६ के सम्बन्ध में मैंने परसों अपने विचार प्रगट करते समय सदन के सामने निवेदन किया था कि इसमें जो क्लॉज़ ९२ ए और ९२ बी को जोड़ने के बारे में प्राव-धान किया गया है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के क्लॉज़ेज़ को कानून की दृष्टि से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, कानून के अन्दर जो शिड्यूल दिया हुआ होता है उसे सदन पारित करता है। उस शिड्यूल के सम्बन्ध में कोई संशोधन लाने का सवाल खड़ा होता है, शिड्यूल में संशोधन करने का सवाल पैदा होता है, तो उस शिड्यूल में कोई परिवर्तन या संशोधन सदन करता है। ऐसी स्थिति के अन्दर ९२ ए धारा के अन्दर जो लिखा गया है "92 (A). Power to amend schedules.-

The State Government may by Notification in the Official Gazette, amend, add to or vary any of the schedules to this Act in such manner as it thinks proper." अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ ७० के अन्दर उस शिड्यूल में परिवर्पन करना चाहते हैं और शिड्यूल में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में हमने प्रावधान किया है, कानून में संशो-धन लाना चाहते हैं, तो सदन के द्वारा ही इस शिड्यूल में परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि शिड्यूल में कोई मामूली चीज नहीं है, उसमें प्रावधान किया है, जिसके आधार पर पंचायत को काम करना होगा। पंचायत के कार्य के बारे में, पंचायत के खर्च के सम्बन्ध में, पंचायत के कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, पंचायत के कानून को विकास के काम के हित में बनाना है और ये सारी बातें शिड्यूल में लिखी होती हैं। जो नया शिड्यूल थर्ड शिड्यूल के रूप में कानून में जोड़ना चाहते हैं उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारी : सेनीटेशन, हैल्थ के सम्बन्ध में हैं, पब्लिक वर्क्स के बारे में, एजुकेशन और कल्चर के बारे में हैं, सेल्फ डिफेन्स और पंचायत सर्किल डिफेन्स के बारे में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हैं, वेलफेअर ऑफ दी पीपल के बारे में हैं। इसके अलावा मैं समझता हूं इसमें एग्री-कल्चर और प्रिवेन्शन ऑफ फारेस्ट्स की बात है, ब्रीडिंग एण्ड प्रोटेक्टिग कैटिल की बात है, विलेज इन्डस्ट्रीज़ की बात है और मिसलेनियस काम हैं। थर्ड शिड्यूल में इस प्रकार १० आइटम इसके द्वारा जोड़ने जा रहे हैं। तो पहला शिड्यूल, दूसरा शिड्यूल और तीसरा शिड्यूल रख कर इस कानून में पॉवर, व्यवस्था दे रहे हैं, इन शिड्यूल्स में परिवर्तन करने का अधिकार सदन को है। वह अधिकार माननीय मंत्री को दिया जाय, सरकार को दिया जाय, मैं समझता हूँ, इस प्रकार की लेजिस्लेशन की पॉवर को सरकार को देना, इस प्रकार की लेजिस्लेशन की शक्ति को सरकार को देना किसी प्रकार से कानून की परम्परा के अनु-सार नहीं है, डेमोक्रेसी की परम्परा के विरूद्ध है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस प्रकार का कानून में प्रावधान रखना सदन के अधिकारों का हनन करना होगा। क्योंकि जो कानून में, शिड्यूल में संशोधन करने हैं उनको सदन ही कर सकता है। मेरी समझ में आता नहीं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है कि इस युग में राज्य सरकार ने यह रास्ता क्यों अपनाया है ? आखिर आज डेमोक्रेटिक सेट-अप में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्दर, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के अन्दर यदि कोई कानून बनाना है, कानून में संशोधन करना है, तो कानून बनाने का, कानून में संशोधन करने का अधिकार इस सदन को है। वह अधिकार इस पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के अन्दर, मैं समझता हूं राज्य सरकार को दिया जाय; किसी तरह न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं इससे ज्यादा कह सकता हूं कि यह बहुत ही प्रतिगामी कदम, प्रतिगामी प्रोवीज़न कहा जा सकता है, जो किसी कानून में दिखाई नहीं देगा। हमारी राजस्थान सरकार ने, हमारे पंचायत मंत्री महोदय ने यह संशोधन कानून पेश किया और उसमें नई धारा जोड़ने का प्रावधान किया, ६२ बी : उसमें लिखा है: "92 (B). Removal o difficulties.— If any difficulty arises in giving effect to, enforcing or carrying out the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, give such directions and do such things which appear to it to be necessary for the removal of such difficulty."

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझ नहीं पाता कि इस प्रकार की शक्ति राज्य सरकार को देने की आवश्यकता क्या है ? आखिर हमारा जो संविधान है उसमें यह मेन्शन्ड है कि कानून बनाने का अधिकार, कानून को पास करने का अधिकार विधान सभा को है, लोक सभा को है। लेकिन कानून के इन्टरप्रिटेशन करने का अधिकार हमारे यहां के न्यायालयों को है। कानून का मतलब क्या है, कानून की धाराओं का मतलब क्या है ? किस कानून की धारायें संविधान के खिलाफ हैं, किस कानून की धारायें न्याय के खिलाफ हैं ? इनका क्या मतलब होता है, इस प्रकार के इन्टरप्रिटेशन के अधिकार जुडिशियरी को हैं। यह कॉन्स्टीट्यूशन में साफ लिखा हुआ है। इस प्रकार के कॉन्स्टीट्यूशन के प्रोवीजन के क्लॉज के जो इन्टरप्रिटेशन का काम है, वह जुडिशियरी का है, वहां ये काम किये जाते हैं। फिर क्या आपत्ति खड़ी हो गई, कौनसा संकट खड़ा हो गया, कौनसी मुसीबत खड़ी हुई; जिसके कारण यह लिखा गया कि ऐसी डिफीकल्टी को, मुसीबत को, संकट को, जहां ये आवें वहां पंचायत मन्त्री महोदय दूर कर सकते हैं। अब अध्यक्ष महोदय, मैं सम्भवतया इस धारा का विरोध कर रहा हूं। इसलिए विशेष रूप से मेरे तर्क की, विरोध में, इस बात से पुष्टि होती है कि आज पंचायत विभाग जिन माननीय मन्त्रीजी ने सम्भाल रखा है, जो पंचायत मन्त्री हैं, आप मान लीजिये कि कानूनी उलझनें खड़ी हुई, इन्टरप्रेटेशन का मामला खड़ा हो गया, या रिटर्निंग ऑफिसर ने पूछा कि पंचायत को डिजोल्व कर दिया है, इसका री-कॉन्स्टीट्यूशन हो रहा है और इस हालत में पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, यह डिफीकल्टी खड़ी हो गई और उन्होंने रेफरेन्स किया पंचायत मंत्रीजी को, तो जैसा उन्होंने उत्तर दिया था, वे कह देंगे कि कार्यकाल एक साल होगा: उनके हिसाब से लोजिकल रिप्लाई यह है। मैं कह सकता हूँ कि लोजिकल रिप्लाई हो सकता है, यह लीगल रिप्लाई नहीं हो सकता। तो जो डिफीकल्टी को रिमूव करने का ऑर्डिनरी अधिकार देना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहते हैं, मैं समझता हूं कि पंचायत मन्त्रीजी ऐसी डिफीकल्टी को लीगल आधार पर रिमूव नहीं करेंगे, कानूनी और न्याय के आधार पर रिमूव नहीं करेंगे, तर्क के आधार पर करेंगे। बुद्धि के आधार पर करेंगे, सामान्य ज्ञान के आधार पर करने की कोशिश करेंगे, लौजिक के आधार पर रिमूव करने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं समझता कि राज्य सरकार को कोई ऐसा अधिकार दिया जा सकता है, जिसका कानून में लिखी हुई धाराओं के इन्टरप्रिटेशन से ताल्लुक हो, कानून की धारा और प्रोवीजन के इम्प्लीमेन्टेशन का सवाल हो, डिफीकल्टीज़ को रिमूव करने का सवाल हो, मैं समझता हूँ कि कोई डिफीकल्टी आती है, संकट पैदा होता है, वहां न्यायालय आपके सामने है। जिस वक्त संकट पैदा होगा, जिस वक्त कानून की धाराओं का अर्थ निकालना होगा, जहां परिभाषा देखनी होगी, वहां न्यायालय में जा सकते हैं, एक्ट को चैलेंज कर सकते हैं, धाराओं को चैलेंज कर सकते हैं, पंचायत के चुनाव को, सरपंच के चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का क्लॉज कानून में रखना कि सरकार को इस प्रकार के अधिकार दे दिये जायं कि सरकार इस प्रकार की आज्ञा जारी कर दे, कभी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। यह पंचायत डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ है, सदन कभी इनका समर्थन नहीं कर सकता। इसलिये मैं, क्लॉज़ ६६ है ६२ ए, ६२ बी. जोड़ने का संशोधन आया है, इसका विरोध करता हूँ और मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि लोजिक के आधार पर नहीं; जुडिशियल और थिंकिंग के आधार पर इस पर विचार करें और इस प्रकार के अधिकार सरकार को नहीं देने चाहिये, क्लॉज ६६ है, उससे इसको ड्रोप कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप इसका उतर दे रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अधिकार मांगा गया है इसके द्वारा, यह पहले भी पंचायत एक्ट में अधिकार दिया गया है, तो यह कोई नई बात नहीं की गई है। अलबत्ता माननीय सदस्य महोदय का जो विरोध देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड शिड्यूल इसमें इन्ट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके बारे में मैं उनका संशोधन स्वीकार कर सकता हूं। यह थर्ड शिड्यूल है उस स्थान पर रख दिया जाय तो उनको कोई आपत्ति का कारण नहीं होगा।

अगर यह उनको मंजूर नहीं है तो यह क्लॉज़ रहना जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ७०

इसमें आपका संशोधन है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): I move the amendment :— "Omit clause 70 (a)".

मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ओमिटकर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : ७० ए. ओमिट कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट के अधिकार देना नहीं चाहते, ये तो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ये अधिकार ज्यादा हैं. ये अधिकार मजिस्ट्रेट के पास ही रहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ज्यादा अधिकार पंचायतों को नहीं देना चाहते ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसका कारण और स्पष्ट कर दूं। इसमें सजा ज्यादा है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी सजा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय सदस्य....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य जानते हैं कि एडल्टरेशन ऑफ फूड इतना सीरियस ऑफेन्स है इसलिये हम चाहते हैं कि इस प्रकार के अधिकार मजिस्ट्रेट के पास ही रहें ताकि ज्यादा सजा मिले।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ७० में मन्त्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ७० विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ७० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ७१

(विराम)

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : मेरा संशोधन इस प्रकार है : "In part (f) of item 11 of the third schedule replace the words 'the construction, maintenance' by the words 'the regulation'."

क्लॉज़ ७१ का थर्ड शिड्यूल है, जो पंचायतों की ड्यूटीज़ के बारे में है ; पहले इस बिल में मूल धारा २४ और २५ में डिस्क्रिशनरी और ओब्लिगेटरी फंक्शन्स थे। इसके बाद धारा १५, १६ कर दीं और यह रखा गया कि गवर्नमेंट को वे अधिकार होंगे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जो थर्ड शिड्यूल में हैं। थर्ड शिड्यूल में II के पार्ट एफ. में यह है : "(f) the construction, maintenance and control of wine shops and slaughter houses;" यहां इस क्लॉज़ के मुताबिक शराब की दूकानें और कसाईखानों के लिये मकान बनवाना, मेन्टेन करना, कन्ट्रोल करने का प्रावधान किया गया है। इसमें जहां कन्स्ट्रक्शन और मेन्टिनेन्स का सवाल है उसमें आपत्ति है। उसके लिये मैंने यह तजवीज़ की है : "construction and maintenance" के बजाय : "regulation and control" कर दिया जाय। इसके पीछे मूल सिद्धान्त यह है कि मंत्री महोदय सर्वोदयी नेता है, शराब के खिलाफ हैं, शाकाहारी हैं, यह प्रावधान न मालूम कैसे रखा, मेरा ख्याल है, जानकारी में नहीं होगा इसलिये रख दिया। अगर यह उनकी जानकारी में था तो मैं यह तरमीम पेश करता हूं क्योंकि इस तरह का काम पंचायतों के जिम्मे रखने से समाज पर बड़ी प्रतिक्रिया होगी कि पंचायतों को शराब घर और कसाईखाने बनाने के अधिकार दे दिये हैं। जब शराबघर और कसाईखानों के मकान बनाने का अधिकार पंचायतों को है तो जिस तरह पंचायतें अपना कर्त्तव्य समझती हैं कि सबको शुद्ध पानी मिले उसी तरह यह भी अपना कर्त्तव्य समझेंगी कि पीने के लिये शराब शुद्ध मिले और शुद्ध मांस खाने के लिये लोगों को मिले और इस तरह शराब की बिक्री के ठेके लेने लग जायंगी तो यह अजीब सी व्यवस्था होगी। मंत्री महोदय कभी नहीं चाहेंगे कि पंचायतें इस प्रकार के कार्यों में जायं। पंचायतों को पहले ही इतने काम दे दिये हैं कि यह काम उनके पास नहीं रहे तो भी कोई असुविधा नहीं होगी। पहले पंचायत कानून है उसमें यह अधिकार है : "Regulation of wine shops."

कन्स्ट्रक्शन एन्ड मेन्टिनेन्स का अधिकार नहीं था। तो हमारे देश की परम्पराओं की स्थिति को देखते हुए और जब कि हम चाहते हैं कि हमारे यहां शराब बन्दी हो तो इसके अन्दर इस प्रकार का प्रावधान रख कर ऐसे कार्यों में पंचायतों को ले जाना उचित नहीं होगा। बाध्य करने का तो नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, पर एक तरह से उनके लिये रास्ता खोलना तो है न कि वे इस प्रकार के कार्यों में भाग लें, ठेके दें, ठेकेदारी करें। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि : "construction and maintenance" के बजाय "regulation and control" कर दिया जाय, तो अत्युत्तम होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): मैं स्वीकार कर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ७१ में श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ७१ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

Page No.51

(श्री अध्यक्ष)

संशोधित क्लॉज़ ७१ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ७२ ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ेज़ २३ और २१ रीओपन कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : ७२ पर मत ले रहे हैं ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७२ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

श्री अध्यक्ष : अब जो डेफर्ड क्लॉजेज़ हैं वे ले लिये जावें और वे भी लिये जावेंगे जिनको माननीय मन्त्री री-ओपन करके फिर से पेश करना चाहते हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं पहले री-ओपन वाले ले लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपने ये सर्कुलेट कर दिये हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सदन से यह प्रस्ताव करूंगा कि कुछ क्लॉजेज़ सदन में पास कर दिये गये हैं उसमें उनकी भाषा कुछ क्लॉजेज़ की ऐसी है जिसमें कुछ डाउट रहता है । मैं समझता हूं कि न तो हाउस की मन्शा थी और न और किसी की मन्शा थी कि पंचायतों में सजा देने के सब क्लॉजेज़ हैं वे हटा दिये जावें । लेकिन जिस प्रकार की लैंग्वेज है, सब-क्लॉज़ ५ ऑफ सेक्शन २३ की है वह निकल जाने से बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है और कुछ डिफिकल्टीज़ आ जाती हैं । बजाय जुर्माने के पनिशमेंट की सजा है । इसके लिये न तो सदन की यह मन्शा थी और न गवर्नमेंट की ही थी । इसलिये मैं इसको क्लियर करने के लिये आपकी आज्ञा से यह रखना चाहता हूं, "Substitution of new Section for Section 30 of the Rajasthan Act 21 of 1953. For section 30 of the principal Act, the following shall be substituted, namely..."

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a Point of order, Sir....

श्री दामोदरलाल व्यास : Let me read out the amendment first, then you raise the point of order. Perhaps you may drop the idea of point of order after hearing me.

श्री पी. के. चौधरी : It has not been circulated.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not a matter of circulation. It is just giving proper language to the clause.

श्री पी. के. चौधरी : What is the clause ?

Page No.52

श्री दामोदरलाल व्यास : Clause 23. It is only change of language to make our intention very clear.

It may read as follows : —

"Substitution of new section for Section 30, Rajasthan Act 21 of 1953—

For Section 30 of the principal Act, the following shall be Substituted, namely—

" 30 Penalties :— A Nyaya Panchayat shall not be competent to impose on any person convicted of an offence tried by it any sentence other than a sentence of fine not exceeding fifty rupees. "

श्री मोतीलाल (डीडवाना) ; लैंग्वेज ठीक कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is only correcting the language.

श्री अध्यक्ष : आपने इसमें लिखा है : " The Nyaya Panchayat shall not be competent to impose on any person convicted of an offence tried by it, any sentence other than sentence of fine not exceeding Rs. 50/-. "

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष : इसमें 'in lieu of fine' के powers नहीं तो हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : Now I come to the point of order. I refer to clause 23, part (ii). Part (ii) reads :-

" (ii) sub-sections (2) to (5) shall de omitted. " Now I refer you back to the principal Act. Sub-sections (2) to (5) of Section 30 of the Act read as under ;-

"(2) Where an offender has been sentenced to pay a fine exceeding two rupees and such fine or part thereof remains unpaid for three months, the Panchayat may by warrant direct that such offender shall undergo simple imprisonment for a term which shall not exceed one day for every two rupees of the fine or part thereof thus remaining unpaid.

(3) Where a Panchayat sentences an offender to imprisonment in default of payment of fine under sub-section (2), it shall forward a copy of the order imposing such sentence to the nearest Magistrate, and such Magistrate shall thereupon get the offender arrested and imprisoned as if he had been so sentenced by himself.

(4) The sentence of imprisonment imposed under this section or any part thereof shall terminate whenever the fine or unpaid part thereof is paid or realised by process of law.

(5) No Panchayat shall inflict a substantive sentence of imprisonment. "

We have omitted these sub-sections and the House has taken a decision on it. Now I come to our Rules

(श्री पी० के० चौधरी)

of Procedure. Rule 72 says :-

" (ii) An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question. "

The House has already taken a decision by omitting these sub-sections from the principal Act and, as such, no amendment can be brought on this question.

श्री अध्यक्ष : That is true. Normally it is not done. That is, what we are debating here.

श्री पी० के० चौधरी : The amendment cannot be moved, Sir, according to this Rule.

श्री अध्यक्ष : Since the House agrees to relax the rules...

श्री पी० के० चौधरी : Before he is allowed to move, there will be a debate.

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, this was moved with the permission of the House. I said that with the permission of the House I move this amendment.

श्री अध्यक्ष : I think we can leave this out and take the deferred clauses first.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is important, Sir .

श्री अध्यक्ष : It may be important..

श्री दामोदरलाल व्यास : It is only for improving the language.

श्री पी० के० चौधरी : Sir, it should not be allowed, otherwise it will create a bad precedent. We take a decision now and after two minutes the Hon'ble Minister comes with a proposal that we should revise our decision. We cannot change colours like chamelion at the behest of the Hon'ble Minister .

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no question like that. As a matter of fact I am only amending the language.

श्री पी० के० चौधरी : I don't think it is merely change of language. It is a substantive amendment.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री बोल रहे हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट विषय है। पहले यह ठीक हो जाना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : It may be all right, but when the Hon'ble Minister has got the sub-section deleted and the House has passed the clause, then it casts a reflection on the Hon'ble Minister who is piloting this Bill, to come with yet another amendment. These sub-sections were omitted deliberately and when the attention of the Hon'ble Minister was drawn to it the Hon'ble Member from Sawai Madhopur quoted rulings and tried to

(श्री पी. के. चौधरी)

convince the Hon'ble Minister, after that the Hon'ble Member's arguments were rejected and the House took a decision that these sub-sections should be omitted and the Panchayats should be given powers to impose substantial sentences. After all that, if the Hon'ble Minister comes and says that this should be amended, then I object to it. There is no reason to make a change in the language and the Government should face the consequenecs. Let some of the Ministers get arrested in aome of their constituencies by the Panchayats there.

श्री मदनसिंह : It is not the Government which is going to suffer the consequences, but the people.

श्री अध्यक्ष : If they are going to object like that, it would be difficult for me...

श्री दामोदरलाल व्यास : The rules can be relaxed, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir. The Hon'ble Minister must suffsr the consequences.

श्री अध्यक्ष : Why can't you take other clauses ?

श्री दामोदरलाल व्यास : After all, time has also to be given to this clause, Sir.

श्री अध्यक्ष : We shall see if we can find out some other way. I think it is a right objection and unlses there is unanimity in the Honse, we cannot porceed with this.

श्री दामोदरलाल व्यास : But the House is competent, Sir. Just because one Member does not want...

श्री अध्यक्ष : The House will also do things under the Rules.

श्री दामोदरलाल व्यास : Rules can be relaxed, Sir.

श्री पी० के० चौधरी : An amendment shall not be inconsistent...

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूँ कि यह प्रोसीजर में है । चूंकि यह बात है, जो मूल विषय है उससे भी ज्यादा महत्व की बात है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वह उनकी समझ में आया है ।

श्री पी० के० चौधरी : From the point of view of traditions and conventions, Sir, I object to it that Government should bring about amendments light-heartedly. It is a clear instance where the Government has brought amendment light-heartedly. When the Hon'ble Members tried to impress the Hon'ble Minister, he refused to accept their arguments and now this fine morning it dawns upon him that those arguments should be accepted. This is wrong. Let some Ministers

(श्री पी. के. चौधरी)

be arrested by a Sarpanch and so they will have to be in prison for some time.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is the people who will suffer, not the Government.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूरी निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन में तर्क के बाद और सदन में जो संशोधन दिये गये थे उनको मान लेते तो वह ज्यादा अच्छा होता। अगर माननीय मंत्री महोदय उसी समय उसको समझ कर और उसकी इम्पोर्टेन्स को समझ कर मान लेते तो ज्यादा अच्छा होता। फिर भी यह सदन की इच्छा नहीं थी कि पंचायतें सेन्टेन्स की सजा दें। इसे हमें.......

श्री पी० के० चौधरी : It is wrong to say, सदन की इच्छा नहीं थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो नहीं है कि आपको ही बोलने का अधिकार है। आपने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर दिया है। माननीय मंत्री महोदय ने इस पर गंभीरता से विचार कर लिया है और इस प्रकार का संशोधन ला रहे हैं। लेकिन इस विशेष परिस्थिति में इस प्रकार का केवल पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर लाकर डिले करके बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने जो समय निर्धारित किया है उस समय में पारित नहीं कर सकें और नॉन ऑफिशियल डे में डिले करना अच्छा नहीं है। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जावे....

श्री पी० के० चौधरी : I object to it, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस अमेन्डमेंट को सदन में रखा जावे और जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रखा है उसको रूल आउट कर दिया जावे।

श्री पी० के० चौधरी : This point was debated in the House and the House has taken a decision.

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There should be no repetitions of arguments.

श्री अध्यक्ष : Since an objection has been raised, I would suggest that a formal motion may be given to me. In the meanwhile, we will go on with other clauses.

श्री मदनसिंह : क्या पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है ? कई दफा गल्ती हुई हैं। मंत्री महोदय ने वापिस उसको रखा है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव बना कर दे देंगे और विचार कर लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रस्ताव आज ही दे दें। यह न हो कि प्रस्ताव परसों देंगे और फिर यह परसों हो जब कि बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने इसको आज ही पास करने का तय कर दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : तैयार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: क्लॉजेज़ रखेंगे ३७व ३८।

Page No.56

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३७ में नीचे लिखे संशोधन को प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ :

Substitute the following:-

"37. Amendment of Section 56, Rajasthan Act. 21 of 1953.

In Section 56 of the Principal Act-

(a) for subsection (1), the following shall be substituted, namely :

'(1) In relation to suits, the Munsif having jurisdiction over a Nyaya circle or where there is no such Munsif, the Civil Judge having such jurisdiction, and in relation to cases, the Magistrate of the first class having jurisdiction over a Nyaya circle, may at any time for just and sufficient cause, on his own motion or otherwise, cancel the jurisdiction of any Nyaya Panchayat with respect to any suit or case or quash any proceedings thereof at any stage'.

(b) in subsection (2) for the word 'Panchayat' the words 'Nyaya Panchayat' shall be substituted''.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हमको यह सर्कुलेट हो चुका है, इसको पढ़ कर समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में थोड़ा प्रकाश डाल दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को उपस्थित करने की आवश्यकता यों हुई कि पहले संशोधन प्रस्तुत किया गया था जिसमें चुनी हुई कमेटी का विधान किया गया था। इससे पहले उसके जो सदन में बहस हुई उसको देखते हुए मैंने यह उचित समझा कि उस संशोधन पर पुनर्विचार कर लिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): ३७ में अपील कमेटीज़ का जिक्र नहीं था। पहले वाला अमेन्डमेन्ट है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह पुनर्निर्वाचित संशोधन उपस्थित करता हूं जिसमें कि पुनर्निर्वाचित अपील कमेटी बनाई गई थी, उस विचार को छोड़ दिया गया है। उसकी जगह मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट को निगरानी के पॉवर्स उसमें दिये गये हैं। दो तरह के आपत्ति हुए थे। एक पक्ष का कहना यह था कि चुनी हुई कमेटी होनी चाहिये अपील के लिए, जब कि नीचे भी चुनी हुई अदालतें हैं, पंचायतें हैं।

श्री दलीपसिंह (बारां) : निगरानी है या डिक्टेटर।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): निगरानी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दूसरा पक्ष यह कहता था कि चुनी हुई अपीलेट कमेटी होगी उसमें फरीकैन के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, उसमें प्रभाव डाल सकेंगे; इसलिए मुन्सिफ के हाथ में शक्ति होनी चाहिये। ये दो पक्ष थे। इन पर विचार करके एक मध्य मार्ग निकाला गया जिसमें अपील करने की स्थिति हो; यह माना गया है। इससे यह चाहते हैं कि चुनी हुई अपील कमेटी हो। उसका समाधान यों हो जाता है कि नीचे की अदालतें चुनी हुई

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

हैं और अपील नहीं हैं। यह समाधान हो जाता है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को अपील के पॉवर्स रहें। अपील में भारी झंझट है। निगरानी की शक्ति दी गई है। पहले निगरानी की शक्ति थी तो डिस्ट्रिक्ट जज को थी। अपील की स्थिति नहीं रहती है तो निगरानी में भी दूर जाने में दिक्कत होती है। इसलिए मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट से उनको न्याय प्राप्त करने में सुविधा हो सकेगी, यह किया है।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री दलीपसिंह : निगरानी सुन सकते हैं। लेकिन यह भी प्रोविज़न रखा है कि जब चाहें कार्यवाही रोक सकते हैं। यह तो फिर अधिकार दिया ही क्यों ? अधिकार ही मत दो। एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से छीन लेना; यह तो वही कार्यवाही हुई। विटो पॉवर्स हो गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दर असल यह क्लॉज़ ३७ ऐसा है। अमेंडमेंट ५६ में हुआ है सब्स्टीट्यूट करने का। अगर कोई न्याय पंचायत किसी मुकदमें का, दीवानी या फौजदारी फैसला करने से पहले इन्क्वायरी करती है उस समय किसी को एतराज हो कि ठीक तरह से कार्यवाही नहीं कर रही है, यह एतराज हो तो मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट को अपील कर सकता है या मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट स्वयं एक्शन ले सकते हैं। पंचायत का जुरिस्डिक्शन कैंसिल कर दिया और नजदीक न्याय पंचायत को सुपुर्द कर दिया जाय ; यह जो प्रोविज़न मंत्री महोदय रख रहे हैं वह अपीलेट कमेटी से सम्बन्ध नहीं रखता है बल्कि किसी पंचायत के जुरिस्डिक्शन को कैंसिल करना और जुरिस्डिक्शन को कैंसिल करने के बाद किसी नियरेस्ट न्याय पंचायत में भेज देवे और उस सूरत में कि सफिशियेन्ट कॉज़ हो, उस सूरत में पार्टी शियोमोटो करे। इस प्रकार का प्रावधान पहले तहसील पंचायत को दे रखा था। अब तहसील पंचायत की एजेन्सी खतम कर दी गई है। कौनसी ऑथोरिटी हो उसको ये पॉवर्स रखें ? मुन्सिफ नहीं हैं वहां सिविल जज को इस बारे में अधिकार दिया गया और इसमें यह प्रावधान किया गया। इसलिए मंत्री महोदय का संशोधन मंजूर होना चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अपील पहले होगी या पहले निगरानी ?

श्री सोहनलाल भटनागर : During the trial of the suit है। जब सूट चल रहा हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो ४० में आवेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): That may be put to vote, Sir.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें आपत्ति है।

श्री सोहनलाल भटनागर : On a point of order, Sir, मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट कर दिया जाय, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। मेरा यही अमेंडमेंट था।

डिबेट ऑलरेडी इस पर हो चुकी है, नई डिबेट नहीं होनी चाहिये।

Page No.58

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अमेंडमेंट था कि मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट कर दिया जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर : यही था।

श्री अध्यक्ष : आपका अमेंडमेंट मंजूर कर लें। फिर इसको देख लीजिये, आगे जाकर कहीं दिक्कत न हो।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : तहसीलदार अच्छा रहेगा। नज़दीक पड़ता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अमेंडमेंट तो ठीक नहीं है। लैंग्वेज़ में दिक्कत पड़ेगी। बहुत सी जगह मुन्सिफ नहीं है, सिविल जज है।

श्री सोहनलाल भटनागर : नहीं है, वहां यह और जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : लीगल ड्राफ्टिंग का प्रश्न है।

श्री सोहनलाल भटनागर : Debate should not be allowed.

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no question of debate. It is only a question of better wording.

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट आया है तो माननीय सदस्य बोल सकेंगे। लम्बी डिबेट नहीं होगी। आज ही इसको समाप्त करना है जैसा पहले सूचित कर दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज का दिन इस विधेयक के लिए निर्धारित किया गया था। इस स्पीड से चलेंगे तो आज पूरा नहीं होगा। सदन के अन्दर इन पर बहस हो चुकी है, कॉन्सिक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट्स हैं। जो डेफ़र्ड हो चुके थे उन पर दुबारा बहस नहीं होगी, ऐसी सदन की परम्परा रही है। डेफ़र्ड क्लॉज़ या तो उसी रूप में रखे जाते हैं या उनके लिए संशोधन पेश कर दिये जाते हैं क्योंकि सदन की राय जानने के बाद ही वे डेफर किये जाते हैं।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष, डेफर होने के बाद में ऐसे संशोधन आ जाय कि जो मूल नीति के ही खिलाफ हों तो उन पर बहस हो सकती है। न्याय पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं वे इस संशोधन से छीन रहे हैं। यह पंचायतों की मूल नीति के ही खिलाफ जाता है। इसलिए इस पर डिबेट होनी चाहिये। जहां मुन्सिफ न हो, सिविल जज न हो तो क्या हो वहां पर? न्याय पंचायत काम कर रही है, फैसले की स्टेज में आ गई है तो भी उसको क्वेश कर सकते हैं; इतना अधिकार मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को देना मूल नीति के ही खिलाफ पड़ता है।

१. ३० म. प.

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बारे में....

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : यह जो डिफरेन्ट क्लॉज़ लाया गया है उसमें आपकी सलाह नहीं ली गई है क्या?

श्री मोतीलाल : मैं किसी का सलाहकार नहीं हूं। सदन के सदस्य के नाते मुझे अपने विचार रखने का अधिकार है।

श्री श्रीमानसिंह : यह मैं इसलिये जानना चाहता हूं कि जब इस क्लॉज़ को डेफर किया गया तो पार्टी की कन्सेन्ट से

(श्री श्रीभानसिंह)

किया । इसके बाद नया क्लॉज़ जब लाया गया है तो यह भी पार्टी की कन्सेन्ट से लाया गया होगा । तो क्या आप उसमें सदस्य नहीं थे क्या, आपकी राय नहीं ली गई ?

श्री मोतीलाल : मैंने जैसा कि निवेदन किया मेरी कोई राय नहीं ली गई और न मुझे कन्सल्ट ही किया गया । यह क्लॉज़ नया आया है वैसी हालत में मुझे पूरा अधिकार है कि उस पर मैं अपने विचार रखूं । माननीय मंत्री महोदय ने एक दम किन्हीं लोगों से विचार करके रखा होगा लेकिन मेरे से इस बारे में बातचीत नहीं हुई । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार का प्रावधान रख देने से जो हम पंचायतों को अधिकार देना चाहते हैं और दिये हैं वे सब बेकार हो जाते हैं । इससे तो जो न्याय पंचायतें बनेंगी वे एक तरह से नहीं बने के समान होंगी । मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं । इसके लास्ट सेन्टेन्स में जहां जुरिस्डिक्शन का सवाल आता है वह भी चेन्ज कर सकती है "on his own motion or otherwise cancel the jurisdiction" ये ऐसे अधिकार दे रहे हैं जो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है । इस अधिकार से मिनट मिनट में चेन्ज आयगा । न्याय पंचायतों का सर्कल डेफिनिट हो जायेगा फिर भी वे चाहें उस तरह से चेन्ज कर सकेंगे । इसलिये जो हमारी मूल नीति न्याय पंचायतों को न्याय के अधिकार प्रदान करने की है उसके यह विरुद्ध होगा । इसलिये इस पर दुबारा विचार करके फिर कोई हल ढूंढना चाहिये । वैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके अर्थ में पता नहीं चल पाता । जहां हमारा पंचायत सर्कल को हेरफेर करने का कतई इरादा नहीं था, इस अधिकार से पंचायत सर्कल मिनट में इधर मिनट में उधर चेन्ज कर सकते हैं । पंचायतों रिडक्शन को चेन्ज करने के वास्ते नोटिफिकेशन आदि निकालना होता है । इसमें सब अधिकार मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को सौंप दिये गये हैं, बड़ी तमाशे की बात है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): Jurisdiction is territorial.

श्री दामोदरलाल व्यास : Mr. Speaker, Sir, this is simply a transfer of case from the jurisdiction of one panchayat to another panchayat.

श्री मोतीलाल : That is true, आज तक इस प्रकार का अधिकार था वह तहसील पंचायत के पास था और तहसील पंचायत चुनी हुई बॉडी थी । इसलिये ये अधिकार मुन्सिफ को न देकर चुनी हुई पंचायत के पास रहने चाहिये । चुनी हुई पंचायतों के जुरिस्डिक्शन के बारे में चुनी हुई बॉडी को ही चेन्ज करने के अधिकार होने चाहिये । आप जो ब्यूरोक्रेसी को चुनी हुई संस्था के ऊपर रख रहे हैं यह उचित नहीं है । ब्यूरोक्रेसी कन्टिन्युअस बनी रहे, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं । डीसेन्ट्रलाईज़ेशन के बाद में जो पॉवर्स जनता को दिये गये हैं उससे पीछे आपको हटना नहीं चाहिये । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार के अधिकार पंचायत समिति और जिला परिषद् को देने चाहिये ।

१. ३०. म. प.

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा) :

(श्री मोगजी भाई)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। पहले जो अमेंडमेंट आया था उसके अन्दर ये सब अधिकार पंचायत समितियों को दिये जा रहे थे वह ठीक था लेकिन आज उसको बदल कर मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिये जा रहे हैं, इसका मैं विरोध करता हूं। जहां तक अपील सुनने का सवाल था वह हमने पंचायत समितियों द्वारा चुनी हुई कमेटी को देना तय किया था। इसके अलावा पंचायत के क्षेत्र को परिवर्तन करने का अधिकार जहां तहसील पंचायत को था वह भी हटा कर मुन्सिफ को दिया जा रहा है, इसका मैं विरोध करता हूं। आज यह देखने में आ रहा है कि पंचायतों को जो अधिकार हम देने जा रहे हैं। उनको वापिस ले रहे हैं। न्याय पंचायत को कोई भी अपील होगी, कोई भी निर्णय हो उसकी अपील मुन्सिफ के पास जायगी पंचायत समिति को यह अधिकार न देकर पांच आदमियों की अपीलेट कमेटी को अपील सुनने का अधिकार दे रहे थे वह ठीक था। लेकिन यह तो मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। इस तरह से यह सारा का सारा कानून गलत बन जायगा। पंचायत राज्य और न्याय पंचायतों का कोई महत्व नहीं रहेगा। हम नहीं चाहते कि जनता को न्याय देरी से और काफी खर्चे के बाद मिले। न्याय जनता को उसी स्थान पर बिना किसी खर्चे के मिलना चाहिये। यह परिवर्तन करके हमने सब अधिकार अदालतों के हाथ में दे दिये हैं। इनमें कई प्रकार के मामले आयेंगे जिससे बराबर न्याय नहीं मिल सकेगा, सरकारी अधिकारी मनमानी करेंगे। यह जो आपने निर्णय लिया है वह कभी भी पंचायत राज के अनुकूल नहीं है। इसमें क्या होगा, पचासों लोग दबाव डाल कर पहले जैसा निर्णय हो गया उसको बदलवा सकेंगे, नहीं तो उनको तबादले का डर बना रहेगा। इसलिये मैं व्यक्ति विशेष को, मुन्सिफ को न्याय के अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूँ। इसमें तो वकीलों की खूब बन आयगी, उनकी दुकानदारी खूब चलेगी। यह पंचायत के मूल कानून के खिलाफ है। इस संशोधन को या तो मंत्री महोदय वापिस लें या सदन इसको पास न करे। चुने हुए व्यक्तियों को इस प्रकार के अधिकार देते हैं तो उससे प्रजातन्त्र में विश्वास पैदा होता है, सस्ता न्याय मिल सकता है। इसमें तो वकीलों की दूकनदारी बन आयगी, इसलिये ऐसी व्यवस्था नहीं करनी चाहिये, इसका मैं विरोध करता हूं और सदन से निवेदन करूंगा कि इस पर बहुत सोच-समझ कर गंभीरता से विचार करें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि क्लॉज ३७ के सम्बन्ध में काफी बहस होकर सदस्यों की मर्जी के माफिक यह अमेंडमेंट किया गया है और इसलिये इसका मैं समर्थन करता हूं। कल यह कहा गया था कि विधान के अनुसार और प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के हित में न्याय का चुनाव से सम्बन्ध नहीं रहना चाहिये, वह इस संशोधन से पूरा हो गया है। अब एक एक व्यक्ति की भावना को रखा जाय और हरेक के लिये अलग अलग तरह का कानून बने तो मैं समझता हूं कि इससे सदन का काम नहीं चलेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन आया है वाजिब है, ठीक है और मेरे खयाल से यह भी एक तरह का पंचायतों को ज्यादा पॉवर देने के बराबर है कि उसकी अपील बीच में कोई सुन नहीं सकता। आशा है, सब इसका सपोर्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से ज्यादा बहस न करें तो ठीक है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा). अमेंडमेंट रखा है, ठीक है, पर सदस्यों को इसके इन शब्दों की वजह से भ्रम है कि मजिस्ट्रेट बेजा दखल देगा। इधर तो न्याय पंचायत दे रहे हैं और उधर कोई शिकायत न होने पर भी ऊपर के दबाव से उसका पॉवर छीन ले। तो यह जो लिखा है कि "on his own motion or otherwise, cancel the jurisdiction" इसमें से 'on his own motion' ये शब्द नहीं रखने चाहिये। इनसे भ्रम होता है।

श्री अध्यक्ष : पर साथ ही "for just and sufficient cause" यह भी तो लिखा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : What 'sufficient'? There is no definition of 'sufficient'.

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, अदालत से ऐसा नहीं मानना चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह: नहीं तो पहले कहा था कि सर्विस अपनी आत्मा को डीमोरेलाइज़ नहीं करना चाहती, यह सही है। पर ऊपर से जब उन पर दबाव पड़ता है और अगर दबाव नहीं मानता है तो उसका खराब से खराब जगह तबादला करने का डर रहता है। इसलिये सदस्यों को इस पर ही भ्रम हो रहा है। 'On his own motion' ये निकल जावें तो सबसे अच्छी बात है। इससे स्याह-सफेद जैसा चाहेंगे कर सकेंगे। इससे लोगों को डर है। बाकी अच्छा है। सिर्फ यह 'on his own motion' मर्जी आई तभी लिख दिया कि जुरिस्डिक्शन के बाहर कर दिया तो इसको जरा क्लियर कर दें।

श्री सोहनलाल भटनागर : (सलूम्बर): इस विषय में काफी बहस हुई है। जुरिस्डिक्शन में अपील और रीविज़न तो अभी होती है और जुरिस्डिक्शन में "During the pendency of the suit" इतना और है। यह फर्क है।

अब ये पेन्डेन्सी का पॉवर नहीं देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई पंचायत अपने अधिकार से बाहर के केस भी ले लेती है। जैसे मान लीजिये पचास से अधिक का लगान का दावा या ऐसा ही कोई केस कर दिया जिसे न्याय पंचायत नहीं कर सकती और उसे अगर न्याय पंचायत ने अपने अधिकार में समझ कर ले लिया तो ड्युरिंग दी पेन्डेन्सी ऑफ दी सूट भी, जब कि एक व्यक्ति यह समझे कि पंचायत में इस मामले में इस तरह का अन्याय हो रहा है तो उसे आगे की कोर्ट में तुरन्त कुछ अपील करने का या कहने का अधिकार मिलना चाहिये।

अब यह कहा गया कि जुरिस्डिक्शन का डिसीज़न करने में दिक्कत आवेगी, पर ऐसा नहीं होगा। डिसीज़न मजिस्ट्रेट की या कोर्ट की स्वीट विल पर नहीं होगा, उन पर काफी बोझा है। वे अपने अधिकार जुडिशियली ही एक्सर्साइज़ कर सकेंगे, इस मामले में शंका करना उचित नहीं है। यह डिसीज़न पूरी तरह से कानून के अन्तर्गत होगा तभी कोर्ट करेगा।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अपील कमेटी के लिये जैसा कहा पर जैसा कि पहले ही सैक्शन ५६ मौजूद है और इसमें तहसील को अधिकार था। अब इसमें यह

(श्री सोहनलाल भटनागर)

किया गया है कि जब अपील और रीविजन हमने मजिस्ट्रेट और मुंसिफ को रखा है तो इस During the pendency of the case" में जुरिस्डिक्शन का डिसीज़न का मामला भी उसी कोर्ट के पास रख दिया है और मिलना भी इसी को चाहिये। इसके लिये अलग कोर्ट रखना वाजिब भी नहीं हो सकता था। इसलिये यह जो रखा है ठीक है।

श्री भोगजी भाई (बांसवाड़ा): माननीय अध्यक्ष, कोई पंचायत अन्याय कर दे, तो उसकी अपील किसी एक व्यक्ति को दे दी जाय, यह उचित नहीं है। कानून की मंशा के विपरीत कोई चले और आगे कानून की धारा में कोई भी अपील सुन सकता है, एक व्यक्ति होगा वह। यह कोई एक ही व्यक्ति हल कर दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : दो लाइनें जवाब में कह दीजिये। फिर मत–दान करा लेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सोहनलालजी ने स्पष्टीकरण किया। क्यों इसकी आवश्यकता हुई ? यह इसलिये कि तहसील पंचायत एक्ट में भी विधान था कि मुकदमे के दौरान ऐसी स्थिति अगर आ जाय तो वह कर सकती थी। पर अब जब वह नहीं रही तो यह अधिकार किसी न किसी को तो देना था। तो तीसरी और को न देकर इन्हीं को जहां अपील और रीविज़न का हमने रखा उन्हीं को यह भी अधिकार दे दिया है, जो वाजिब है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि ....

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : क्या करने को दिया है, वह क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस स्पष्टीकरण के बाद इस संशोधन को सदन पास कर देगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३७ में जो संशोधन माननीय वित्त मन्त्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ३७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३७, संशोधित रूप से, विधेयक में जोड़ गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३८

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्लॉज़ ३८ में मैं नीचे लिखा संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

"For clause 38, substitute the following:-

"38. Omission of section 57, Rajasthan Act 21 of 1953: Section 57 of the principal Act shall be omitted.'

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३८ में पेश हुआ है उसको स्वीकार किया जावे ?

Page No.63

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय मन्त्री महोदय का क्लॉज़ ३८ में पहले भी एक अमेंडमेंट और है जिस पर हाउस में डिसक्शन हो रहा था।

श्री अध्यक्ष : हम यह मान कर चल रहे हैं कि उस संशोधन पर मतदान नहीं होगा और उस पर विचार करने के बजाय ऐसा माना जावेगा कि वह ड्रॉप हो गया।

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : यह जो रखा है समझे ही नहीं हैं हम। इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इस संशोधन के बारे में कुछ शब्दों में बता दें, माननीय सदस्य जानना चाहेंगे। अब आपको ये हिन्दी में बता देंगे।

श्री मोगजी भाई : इसके बिना कैसे मान लेंगे कि ऐसा मामला है ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): पहले क्लॉज़ ३८ में अपील का प्रोवीजन था। अब वह अपील का राइट खत्म किया जा रहा है और आगे रिवीज़न रखा जा रहा है और इसलिये क्लॉज़ ३८ को डिलीट किया जा रहा है। "Section57 of the principal Act shall be omitted." इसका मतलब यह है कि यह अपील की पहले व्यवस्था थी, उसके बजाय अब रिवीजन का ही अधिकार दिया जा रहा है और अपील का राइट खत्म किया जा रहा है। इसलिये यह मूव किया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : बहुत अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : नया क्लॉज़ ३८ का बन गया है इसलिये इस पर मतदान ले रहे हैं। प्रश्न यह है कि जो नया क्लॉज़ ३८ माननीय मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

नया क्लॉज़ ३८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ४०

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : For clause 40, the following be substituted:-

"40. Substitution of new Section for Section 59, Rajasthan Act 21 of 1953.

For section 59 of the principal Act, the following shall be substituted namely—

'59. Appeals not to lie-Revisional powers — (1) No appeal shall lie from any sentence, decree, or order passed by a Nyaya Panchayat in any suit or case tried by it.

(2) On an application made by any of the parties to a suit or case tried by a Nyaya Panchayat or his own motion-

(a) a Munsif having jurisdiction over the Nyaya circle or, where there is no such Munsif, a Civil Judge having such jurisdiction may, in relation to any such suit, and

(b) a Magistrate of the first class having jurisdiction over the Nyaya circle may, in relation to any such case, call for and examine the record

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

or proceeding of a Nyaya Panchayat for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any decree or order or sentence passed or as to the regularity of the proceedings held by such Nyaya Panchayat.

(3) If it appears to the Munsif, Civil Judge or Magisrtrate, as the case may be, that any decree, order or sentence passed or any proceedings taken by a Nyaya Panchayat should be modified, cancelled or reversed, he may pass such order as he thinks just.

(4) The order of the Munsif, Civil Judge or Magistrate as the case may be, passed under sub-section (3) shall be final."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपील की व्यवस्था नहीं रखी है तो उसके बाद निगरानी की व्यवस्था रखी गई है उसी के सिलसिले में यह संशोधन है। निगरानी की व्यवस्था में जो सिविल केसेज़ होंगे वे मुन्सिफ के पास जायें और जो क्रिमिनल केसेज़ होंगे वे मजिस्ट्रेट के पास निगरानी के लिए जायेंगे और उनको अधिकार होगा कि वे रेकॉर्ड देखें और जरूरत पड़ने पर आवश्यकता समझी जाये तो जो फैसला किया गया है उसको वे तब्दील कर दें और उनका फैसला आखिरी माना जायेगा और उसके ऊपर निगरानी के लिए अपील नहीं होगी। यह संक्षेप में इसका अर्थ है। मैं आशा करता हूं कि यह क्लॉज़ माननीय सदस्यों को स्वीकार होगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जो पहले पॉवर्स थीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रीविज़न की, तो मैं यह समझ सका था कि जो पॉवर्स पंचायतों को दीं थी तो फैक्ट्स के बारे में सोचते थे। आपने तहसील पंचायतें खत्म कर दीं और अपील के अधिकार भी खत्म कर दिए और रिवीज़न के तमाम पॉवर्स आपने मजिस्ट्रेट को और मुन्सिफ को दे दिये और वे इन पॉवर्स को एक्सरसाइज़ करेंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को थीं या सेशन्स जज को थीं रिवीज़न करने की। तो वह ठीक तरह से अपनी पॉवर को एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपका पर्पज़ सर्व नहीं हुआ। आप तो फैक्ट्स के ऊपर विचार करना चाहते थे कि फैक्ट्स को सोचें और समझें तो वह मामला तो आपने खत्म कर दिया और सीधे रिवीज़न के पॉवर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और मुन्सिफ को दे दिए। जब वे अपने रिवीज़न के पॉवर्स को ठीक तरह से एक्सरसाइज़ नहीं कर पायेंगे तो ज्यादा लिटीगेशन बढ़ जायेंगे। तो यह जो सारा ड्राफ्टिंग है और जैसा आप कर रहे हैं और जल्दी से चल रहे हैं इससे नुकसान होगा। जो अधिकार आपको नहीं लेने चाहिए थे वे तो आपने ले लिए और जो निकालने थे वे नहीं निकाले।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : इन मामलों को अगर दूसरी पंचायतों को भेजा जाये तो आखिर में फैसला होने के बाद में अपील कहां हो ?

श्री अध्यक्ष : अब अपील नहीं रखी गई है केवल रिवीज़न होगा।

(विराम)

श्री आबिदअली।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत का यह अमेण्डमेंट बिल हाउस के सामने है और जहां तक इसके सदन में बहस के लिए रखे जाने का प्रश्न है मैं यह समझ पाया हूं कि हम तमाम प्रोस एण्ड कोन्स को न देख कर एक साधारण रूप से इस बिल को पास करने जा रहे हैं। एक तरफ जब किसी फैक्ट के आधार पर एवीडेन्सेज़ रेकॉर्ड की जायेंगी तो दोनों पक्षों की गवाहियां उसमें ली जायेंगी। तो निश्चित रूप से न्याय पंचायतें अपने कन्सीडरेशन्स को एप्राइज़ करने के बाद में फैक्ट्स के ऊपर आधारित एक निर्णय देंगी। जब फैक्ट्स पर आधारित निर्णय देने का प्रश्न आया तो फिर हम उस न्याय पंचायत के फैसले को अगर पूरी मान्यता दे दें या उसको फाइनल ऑर्डर के रूप में मान लें तो फिर मैं यह समझता हूं कि उसमें अपील का प्रोवीज़न नहीं रखा गया है तो यह जो कॉन्स्टीट्यूशन के फण्डामेन्टल प्रिन्सिपल हैं उनके खिलाफ जायेगा और मुझे डर है कि जब एवीडेन्सेज़ को एप्रीशियेट करने का प्रश्न आयेगा तो हाईकोर्ट में यह लेजिस्लेशन अल्ट्रावायर्स करार दिया जा सकता है; क्योंकि हम इसके अन्दर अपील के पॉवर्स नहीं रखने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम डेमोक्रेसी में जहां जुडिशियरी की सेंक्टिटी को मानते हैं, आज बहुत से केसेज़ इस प्रकार के हैं और आज भी हैं कि जहां एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर जो कि सिविल जज के स्टेटस का होता है अगर वहां एवीडेन्सेज़ को व्हे करने का प्रश्न होता है तो अपील का पॉवर ऐसे डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट का हाईकोर्ट में जाता है तो एक पॉवर जो कि फाइनल ऑर्डर एप्रीशियेट करने के बाद में एवीडेन्सेज़ को व्हे (weigh) करने के बाद में जिस निर्णय पर वह पहुंचे तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया है बल्कि वहां पर राइट ऑफ अपील हर जगह रखा गया है। आज आप अपील की जगह रिवीज़न लाना चाहते हैं तो हमें अपील और रिवीज़न दोनों में पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि रिवीज़न की परिभाषा क्या है और अपील की परिभाषा क्या है। जहां तक मेरा कानूनी अनुभव है, मैं यह समझता हूं कि रिवीज़न के अन्दर इल्लीगेलिटी को देखा जा सकता है या प्रोसीजर का कोई डिफेक्ट हो उसको देखा जा सकता है और वह एडवर्सली इफैक्ट करतो है तो वहां रिवीज़न की पॉवर्स रख सकते हैं। जहां एवीडेन्सेज़ को व्हे करने का प्रश्न है तो वहां "gross miscarriage of justice" मेरे यह शब्द हैं; "gross miscarriage of justice" शब्द नहीं हैं तो रिवीज़नल कोर्ट ऐसी पोज़ीशन में नहीं हैं कि वह न्याय कर सकें। रिवीज़न में देखा जायेगा कि "gross miscarriage of justice" और इल्लीगेलिटी नहीं हो सकी और प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं हुई है तो इन पौइन्ट्स का रिवीज़न मेन्टेनेबल होगा। जहां गवाहों को नापने का और तोलने का सवाल आयेगा और यह निर्णय फैक्ट्स के आधार पर हुआ है या नहीं, यह अपील के अन्दर ही तय कर सकते हैं, रिवीज़न के अन्दर नहीं। मैं यह समझ पाया हूँ कि इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिये। हम जब कि पंचायतों को सिविल केसेज़ में अधिकार देने जा रहे हैं तो ऐसे केसेज़ में दोनों तरफ से गवाह पेश किये जायेंगे और अब गवाहों के बयानों को किस तरह से लोअर कोर्ट एप्रीशियेट करने जा रही है। The human nature is to err. आदमी से ही गलतियां होती हैं, वह बोना-

Page No.66

(श्री आबिदअली)

फाइड मिस्टेक भी हो सकती है तो उसको रेक्टीफाई करने के लिए अपील का प्रोवीज़न रखा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि अपील का प्रोवीज़न जरूर रहना चाहिये। हम सिविल प्रोसीजर कोड को देखते हैं तो यहां दोनों पॉवर्स दी गई हैं। एक कोर्ट से निर्णय होता है तो अपील का भी अधिकार है और ग्रोस मिस केरेज आफ जस्टिस है तो रिव्यू का भी अधिकार दिया जाता है। तो जहां सिविल प्रोसीजर कोड को देखते हैं तो राइटऑफ रिवीजन और राइट ऑफ रिव्यू की पॉवर्स–इस तरह की दोनों पॉवर्स उसमें मिलती हैं। यह पंचायतों का नियम बनाने जा रहे हैं और हमारा यह मकसद है कि तमाम केसेज़ हैं उनका पंचायतों के द्वारा ही डिस्पोज़ल हो। सबसे बड़ी दुख की बात यह होगी कि उनको राइट ऑफ अपील न दें। जो सब्सटेन्टिव लॉ है उससे हमको गाइड होना चाहिये क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड तमाम कन्सीडरेशन्स के बाद बनाया गया है। जहां सिविल प्रोसीजर कोड का ताल्लुक है तो जिस तरह दूकानदार की तराजू होती है इसी तरह से सिविल लॉ तोला जाता है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि राइट ऑफ अपील तो हर सूरत में रहना चाहिये। मैं यह फिर निवेदन करूंगा कि एक अपीलेट ऑथोरिटी होनी चाहिए जो कि सही ढंग से निर्णय कर सके। अगर हम अपीलेट ऑथोरिटी को नहीं रखते हैं तो हम फन्डामेंटल प्रिन्सिपल्स के विरोध में जायेंगे। जो आज हमें डेमोक्रेसी को रखनी है तो वह जुडिशियरी के ऊपर जिन्दा रहती है। अगर जुडीशयरी हमारी एफीशियेन्ट है तो निश्चित रूप से हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी और अगर जुडिशियरी हमारी वीक है और लॉ पॉइन्ट्स को सही माने में एप्रीशियेट नहीं कर सकती है तो हमारी डेमोक्रेसी इन सर्कमस्टान्सेज़ में पनप नहीं सकती। इसलिए एफीशियेन्ट जुडिशिरी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि जहां न्याय पंचायतें बनाने जा रहे हैं, जहां उनको सारे अधिकार देने जा रहे हैं और उनको सिविल केसेज़ डिसाइड करने के लिए पॉवर्स दे रहे हैं तो इन बातों को देखने के लिए एक अपीलेट ऑथोरिटी को रखना जरूरी है जिसको कि लॉ के ऊपर थोड़ा बहुत कमाण्ड हो। इसलिए इसमें दो बातें रखना चाहता हूं। एक तो यह है कि अपील का प्रोवीज़न अवश्य रखा जाना चाहिये और दूसरा यह है कि अपील का प्रोवीज़न जहां रखा जाय तो अपील ऑथोरिटी जिनको दी जा रही है उसके अन्दर। एफीशियन्सी का ध्यान रखा जाय।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य जो लॉ के अन्दर वैल वर्स्ड हैं, वे हाउस के सामने एक केस मेक–अप कर रहे थे कि किसी भी पंचायत के जजमेंट को लॉ के कॉम्प्लीकेशन में फंसाया जाय, इस बात का आया कि उन्होंने इस केस को मेक–अप करने में फण्डामेन्टल राइट्स को भी इन्वोल्व कर लिया, डेमोक्रेसी को भी उन्होंने इन्वोल्व कर लिया और यह कहना कि हमारे कॉन्स्टीट्यूशन के विपरीत है जो कि अपील नहीं रखी तो मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने अगर सारे पंचायत एक्ट्स को देखा होता तो उन्हें मालूम होता कि हिन्दुस्तान के पंचायत एक्ट में किसी में भी अपील का प्रोवीज़न नहीं है। सब जगह रिवीज़न का प्रोवीज़न उन्होंने रखा है। राजस्थान में हो

(श्री श्रीभानसिंह)

युनीक रिवीज़न का प्रोवीज़न हो; जहां पर यह सवाल एक युनीक तरीके से लाया गया हो अगर यह हमारे कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ होता तो सारे एक्ट नल एन्ड वॉइड हो जाते ।

दूसरा प्रश्न यह है कि खुद कानून बनाते हुए उन्होंने यह नहीं देखा कि पंचायत को पॉवर्स क्या दिये हैं । पंचायत में तो यहां तक था उन्होंने अपने आग्युमेंट में यह भी कह दिया कि शायद मूवेबल प्रोपर्टी के पॉवर्स दिये हैं । मैं समझा नहीं....

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर): मैंने कहा कि इम्मूवेबल का प्रश्न भी इन्वोल्व्ड हो सकता है ।

श्री श्रीभानसिंह : इम्मूवेबल प्रोपर्टी के पॉवर्स और बहुत से पॉवर्स पंचायतों को दिये हैं तो पंचायतों को जो पॉवर्स हैं उन्हें देखें । तो ये पॉवर्स ऐसे थे जो ज्यादातर फैक्ट्स को इन्वोल्व्ड करते हैं और फैक्ट्स पर ही डिसीज़न होता है । तो उन फैक्ट्स को देखने वाली न्याय पंचायत है तो उन पर यह रखना कि रिवीज़न की ऑथोरिटी है तो इसका मतलब है कि फैक्ट्स को नहीं देखा गया है तो हम यह करते हैं कि न्याय पंचायत पर हमारा ट्रस्ट नहीं है, न्याय पंचायतों को मिसट्रस्ट करते हैं । वे फैक्ट्स को भी नहीं रखते हैं । आखिर पंचायत राज्य या लोकल बॉडीज़ को जो अगर करते हैं उन लोकल बॉडीज़ के पीछे सिद्धान्त होता है, उनके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है । जो सेक्शन दिये हुए हैं वे वही सेक्शन्स दिये हुए हैं जिनके अन्दर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहे और फैक्चुअल इनफॉर्मेशन के बेसिस पर न्याय करे । न्याय पंचायतों के पास फैक्ट्स हैं न्याय पंचायतों के फैक्ट्स को डिस्कार्ड किया गया और इस तरह से डिस्कार्ड किया गया तो वे न्याय नहीं दे सकती हैं । अगर यह सदन मानता है तो न्याय पंचायतों को स्क्रैप कर दिया जाय । न्याय पंचायतों को फैक्ट्स का पता है । वे फैक्ट्स पर जजमेंट देगी, और फैक्ट्स पर अपील का सुझाव रखते हैं कि फैक्ट्स को फिर अपील के स्टेज पर ले सकें तो इसमें यह नहीं जानते हैं कि हम जो चीप न्याय देना चाहते हैं, जो सस्ती कोस्ट पर देना चाहते हैं तो उसकी अपील की जितनी स्टेजेज़ करेंगे तो जस्टिस जो है यह महंगा पड़ेगा । एक स्टेज को हटा कर, अपील की स्टेज को हटा कर सीधा रिवीज़न रखते हैं वह इसलिये रखते हैं कि पॉइन्ट ऑफ लॉ के ऊपर वहां पर जब कोई पॉइन्ट कॉम्प्लीकेटेड हुआ करे जिसको न्याय पंचायत नहीं समझें और उन्होंने जजमेंट दिया है तो उस पर जाकर रिवीजन की स्टेज पर ग्रीवैन्सेज़ को हटा दें । आखिर बहुत सी जगह शायद वे जानते होंगे कि जिह तरह की एक मुन्सिफ को सर्टेन पॉवर्स हैं और मुन्सिफ २५०)रु. से ५००)रु. फाइन कर देता है तो अपील नहीं हैं सिर्फ रिवीज़न के पॉवर्स हैं । तो जहां कहीं मुन्सिफ है उन्होंने कॉन्टीट्यूशनली जस्टिस का पॉइन्ट नहीं उठाया है वहां पर पंचायत वाले जो ५०) रु. से २५०)रु. तक का फाइन करेंगे । अब उस फाइन पर यह मेग्ज़ीमम फाइन है । हम यह मान कर चलें कि पंचायत २५०) रु. तक फाइन करेगी....

एक माननीय सदस्य : फाइन तो ५०) रु० तक ही है । २५०) रु० तक के केसेज़ वे सुन सकती हैं ।

श्री श्रीभानसिंह:२५०)रु. के वेलुएशन के केसेज़ जहां होते हैं और फाइन ५०)रु० तक का है तो ५०) रु० के लिए एक स्टेज अपील की और रखी जाय कि जिसके अन्दर अपील पेश करने में कोर्ट फीस पे करेगा और थर्ड स्टेज रिवीज़न के लिए रखी जाय तो तीन स्टेजेज़ को कवर करने में न्याय पंचायत से फर्स्ट अपील और रिवीज़न की स्टेज ५०)रु० से ज्यादा अकेले पर खर्च हो जायेंगे वह इसलिए रखी गई है कि फैक्ट्स पर पंचायत ने निर्णय दे दिया तो फैक्ट्स के देने में लॉ के पॉइन्ट पर ग्रीवान्स हो सकती है, तो उस पॉइन्ट पर जाय।

दूसरा प्रश्न उनके कहने के मुताबिक यह उठता है कि न्याय पंचायत में एवीडेन्स लॉ को जरूर लागू करना चाहिए, क्योंकि कहीं इर्रेग्युलेरिटीज़ रह गई तो उसको अपील की स्टेज पर क्लेरिफाई कर लेंगे। यह उन्होंने आरग्युमेंट दिया। उनके आरग्युमेंट का मतलब यह है कि जो लीगल प्रोसीजर लर्नेड जजेज़ एप्लाई करते हैं वही लीगल प्रोसीजर लॉ की एमनेस्टी के बेसिस पर वहां लागू किया जाय। लीगल प्रोसीजर लॉ का लागू किया जायगा तो प्रोसीजर की इर्रेग्युलेरिटीज़ होंगी। मगर उससे जो नतीजा चाहते हैं वह नतीजा उनको नहीं मिलने वाला है और वे इन्डिपेन्डेन्टली वर्क नहीं कर सकेंगी और पंचायतों को इन्डिपेन्डेन्ट जुडिशियरी, जैसा कि उन्होंने कहा, रखना बहुत नेसेसरी है। अगर इस तरह से रिवीजन का रखते हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि इन्डिपेन्डेन्ट जुडीशियरी किस तरह से मार (mar) हो जाती है? जुडिशियरी की इन्डिपेन्डेन्स पर रिवीजन रखने से किस तरह फर्क पड़ता है?

एक व्यू जरूर हाउस में है वह जब से पंचायत बिल चल रहा है तब से सुनता आ रहा हूं। वह यह है, माननीय अध्यक्ष, कि यह डेमोक्रेसी के विपरीत है। अभी तक हाउस में माननीय सदस्य बोले उन्होंने कभी नहीं बताया कि डेमोक्रेसी के इन्ग्रीडियेन्ट्स क्या है? मैं डेमोक्रेसी के इन्ग्रेडियेन्ट्स तीन मानता हूं। एक तो प्लीडिंग ऑफ डेमोक्रेसी हो जाता है। एक पार्टी अपोज़िशन करने का राइट होता है और तीसरा यह है कि अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का राइट होता है। यह तीनों फण्डामेन्टल डेमोक्रेसी के प्रिन्सिपल्स या इन्ग्रीडियेन्ट्स मैं समझता हूं। जहां ये तीनों प्रिन्सिपल्स फॉलो होते हैं उनको मैं समझता हूं, पोलिटिकल डेमोक्रेसी के विपरीत नहीं है। अगर यह इन्ग्रीडियेन्ट्स फॉलो नहीं होते हैं तो उसको मैं नहीं कहता कि वहां डेमोक्रेसी है।

दूसरा, जो सिद्धान्त डेमोक्रेसी का है वह है इन्डिपेन्डेन्ट जुडिशियरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यह कहेंगे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी सेपरेट हों। जहां कहीं तीनों चीजें सेपरेट की जाती हैं उसको माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह अनडेमोक्रेटिक स्टेप हो गया कि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया। डेमोक्रेसी शब्द यूज़ करके कोई अनडेमोक्रेटिक का कराना चाहे तो सदन हमेशा सतर्क है। सदन जानता है कि क्या इन्ग्रीडियेन्ट्स हैं डेमोक्रेसी के। किसी तरह से डेमोक्रेसी को हैल्दी बनाया जा सकता है और किस तरह से जिस पंचायत राज्य का नारा लगाते हैं, जिस पंचायत राज्य की भूमिका बांधना चाहते हैं उस पंचायत राज्य को सदन के सब माननीय सदस्य समझते हैं कि क्या पंचायत राज्य है। किस

(श्री श्रीभानसिंह)

तरह से उसका नया तरीका हो सकता है हिन्दुस्तान के अन्दर और किस तरह से सफल बन सकता है। और जो इसमें इस तरह का नारा लगाकर ऐसे डेन्जरस इन्ग्रीडियेन्ट्स या डेन्जरस चीजों को लाना चाहते हैं वे पंचायत राज्य के लिये घातक हो सकते हैं, उसको सफल बनाने के लिये घातक हो सकते हैं इसलिये हम लीगल हों, एडमिनिस्ट्रेटिव हों जो कुछ दें करें वह पंचायतों के लिये सिंपल हो वह करें, जिसे वे समझ सकें, एग्ज़ीक्यूट कर सकें और जो उनके जुरिस्डिक्शन में आवें उनको सस्ता न्याय दे सकें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष, यहां पर जो माननीय सदस्यों ने फरमाया, जैसा कि पहले से वातावरण चल रहा है वैसा यहां होने वाला है, यह हम समझते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था के लिये निवेदन करूंगा कि यह जो क्लॉज़ ३७ है जिस पर बहस चल रही है वह डेफर्ड क्लॉज़ है और जो डेफर्ड क्लॉजेज़ हैं उनके बारे में जैसी कि सदन मे परंपरा रही है, दुबारा डिबेट नहीं होती; तो ऐसी अवस्था में यह नया कदम होगा कि डेफर्ड क्लॉजेज़ पर बहस चले। ऐसे और भी क्लॉजेज़ ५-७ हैं, उन पर फिर से बहस की गई तो पांच-सात दिन में भी यह बिल खतम नहीं होगा। एक तो आप इस बारे में व्यवस्था दें और समय के बारे में भी।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न इसलिये नहीं उठता कि डेफर करने के बाद जो नये अमेन्डमेन्ट्स आयेंगे उन पर माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहिये। जहां तक समय का सवाल है मैंने निवेदन किया कि इस बिल को आज ही पास करना है, यह निश्चय है। मैं यह कहूंगा कि क्लॉज़ ४० के बाद तो ऐसी कोई क्लॉज नहीं है जिस पर ज्यादा बहस की जरूरत पड़ेगी जिससे सदन की कार्यवाही ज्यादा देर तक रुकी रहेगी, ऐसी बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर यह मान कर चलें कि यह विधेयक आज ही ५ बजे तक पास हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : यही मानना चाहिये।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, हमने यहां पर यह व्यवस्था बनाने का लिखा कि जो लोगों को अधिकार कम हैं और अपील में जाने से खर्चा बहुत बढ़ जाय इसलिये हम नहीं कर सकते। न्याय के अन्दर चार आने के लिये भी हमको हाई कोर्ट तक लड़ना पड़ेगा। या तो छूट रखनी थी कि पंचायत फैसला कर ले उसके अपील की जरूरत नहीं, तब तो मैं समझता खर्चे का सवाल नहीं, जो हुआ वह हो गया। लेकिन रिवीज़न का रखा वह भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास रिवीजन जायेगी तो आप मान लेंगे, पहले से मालूम है कि वे मजिस्ट्रेट किसके इशारे से राय दे रहे हैं। जो १०-१५ आदमी फैसला दें उसको न मान कर एक आदमी—एस. डी. ओ., एस. डी. एम. जो भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है उसको आप पॉवर देकर इस चीज़ को हमेशा के लिये खतम करना चाहते है। इसका मतलब है कि लोगों को आगे जाने

(श्री हीराभाई)

का मौका न देकर अपने ही हाथ में रखना है तो यह सीधा तरीका रखना चाहिये कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को न दिया जाकर सम्बन्धित मिनिस्टर महोदय के पास जाता तब उनकी रक्षा अच्छी तरह से हो सकती और आखिर में कंट्रोल ऐसा हो सकता है। लेकिन यह नहीं वे कहने जायं कि अधिकार कम हैं इसलिये खर्चा ज्यादा होगा। यदि खर्चे का सवाल है तो मजिस्ट्रेट को दिया क्यों ? और फिर मजिस्ट्रेट को दिया है तो मुंसिफ से लेकर सैशन कोर्ट तक देना पड़ेगा। फर्स्ट क्लॉस मजिस्ट्रेट जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माना जाता है उनको देना जनता के साथ खिलवाड करना है। कंट्रोल में रखना चाहते हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं...

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): जहां मजिस्ट्रेट नहीं हैं वहां क्या करना चाहिये ?

श्री हीराभाई : अपील क्यों नहीं करते ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): ५०)रु. से ज्यादा का अधिकार नहीं है।

श्री हीराभाई : आज ५०)रु० तक का अधिकार है, कल लाख रुपये तक का हो जाय।

श्री मदनसिंह : सी. आर. पी. सी. में नहीं है।

श्री हीराभाई : सी. आर. पी. सी. में नहीं है तो हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : यह कानून का मसला है।

श्री हीराभाई : पंचायत फैसला करेगी, उसमें अपील की जरूरत नहीं है। यह भी आप विचार कर लें कि इस प्रकार से राज्य चलाना हो तो चलाना मुश्किल है। मनुष्य को घोड़ा बना कर जोतना हो तो जोतिये, न्याय अपने हाथ में रख लीजिये लेकिन अधिक दिन तक नहीं चलेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी उत्तर देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनू) : I wish to express my views.

(विराम)

Mr. Speaker, Sir. I read with surprise the provisions regarding revisional powers which are going to be conferred over the decisions of the Nyaya Panchayats to the Munsiffs and the Magistrates. What I mean to say, Sir, is that Munsiffs and Magistrates-they are the original courts and powers regarding revisions, they are their wide powers and ordinarily in the procedural law that we have in our country we see that actually the District Magistrate and the District Judge-they actually exercise the revisional powers. Revisional powers pronotes certain things which are peculiar to the law. Revisional powers are ordinarily given to the Higher Courts who are District

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

Magistrates or the District Judges and they have to see whether the Judgment is perversed of the law or any illegality has been committed regarding the procedure.

२. १८ म.प

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

In that connection, these powers which are given to the Munsifs and the Magistrates, I don't think any useful purpose is going to be served. They are only these basic small Courts in which the original side is looked into and not the appellate. And if the decisions of the Panchayats are going to be looked into revisional side than no useful purpose is going to be served. Ordinarily we see that officers of a very little standing, I mean to say, whose services are of very short period, they are made to work as Munsiffs and Magistrates and they don't have such vast experience so as to exercise the powers of revision for this Nyaya Panchayat. In revision, what is expected is that the revisiona Courts don't go into facts. Now the decisions of the Courts are only perversed when they are perverse to law or any illegality is committed. In these provisions, which are laid down in this Bill, there is no such thing. They say-

" If it appears to the Munsif, Civil Judge or Magistrate, as the case may be, that any decree, order or sentence passed or any proceedings taken by a Nyaya Panchayat should be modified, cancelled or reversed, he may pass such order as he thinks just.

The Order of the Munsif, Civil Judge or Magistrate, as the case may be, passed under sub-section (3) shall be final. "

So this clause 3 by which these powers are being conferred on the Munsiffs and Magistrates and the Civil Judges, they are so vague that it is not based on any of the grounds mentioned in the revisional powers mentioned in the Criminal Procedure Code, and this will lead to all over reversal of the judgement of Nyaya Panchayats. So I mean to submit in this connection that the revisional powers if they are to be conferred on the District Magistrates and District Judges, who are the head of the Judiciary and the Head of the Administrative units in the district, they must have only the powers just in the cases of Criminal side. If we analyse, only the District Magistrate has the powers in the criminal side and the District Judge has no revisional jurisdiction in the civil side. In the Revenue side, the District Magistrate and the Revenue Board have the jurisdiction. While we are going to confer this jurisdiction to the small Court in the District, this is against the very basic principles of the legal justice and I mean to submit, Sir, that conferring of the powers upon the

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

Magistrates and the Munsifs and the Civil Judge, they will be quite against the accepted principles of the legal jurisprudence. I submit that these powers should not be conferred on the Munsifs and Magistrates and should be given to the District Judge.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : I agree with the...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप बोल चुके हैं।

श्री मोतीलाल : But not on this...

श्री उपाध्यक्ष : Have you spoken ?

श्री मोतीलाल : No, Sir, not on this, but on another clause.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He has already spoken.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): He has submitted on different clauses and not on this.

श्री मोतीलाल : घबराइये मत, कल तक चलायेंगे, १८ तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत महत्वपूर्ण कानून पास करने जा रहे हैं और जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य उतावली करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह महत्वपूर्ण कानून है, इसके लिए उतावली न करें और एक एक क्लॉज़ पर हम विचार कर रहे हैं, जिस क्लॉज़ के बारे में बहुत विचार किया है, उसके बाद भी विचार किया है, लेकिन हम इस पर स्पष्ट निर्णय लेना चाहते हैं जिससे जनता को न्याय मिले। इसके लिए आज के अलावा दो दिन और लगें तो भी हाउस को टाइम अलॉट करना चाहिए क्योंकि हम कानून बनाने जा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, और यह जो कानून बनेगा, वह जनता के ऊपर लागू होगा। मेरा निवेदन है कि जो संशोधन है, उसमें रिवीज़न है, उसमें आगे अपील नहीं रखी है। इसके लिए मुझे आपत्ति नहीं है, वह ठीक है। मेरा निवेदन है कि जैसा झुंझुनूं से आये हुए माननीय सदस्य ने निवेदन किया था कि हम देखते हैं कि रिवीज़न की पॉवर हम देना चाहते हैं एक कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी को। माननीय उपाध्यक्ष, यह स्माल कॉज़ की जो पॉवर है यह मुन्सिफ के पास ५००)रु. तक शहर में है, २००) रुपये तक विलेज में है, जबकि न्याय पंचायत में पॉवर्स रखी हैं, तो स्माल कॉज़ मुन्सिफ को पॉवर दी है उससे ज्यादा २५०)रु. तक रखी है, मुन्सिफ से ज्यादा पॉवर न्याय पंचायत को दी है, ५० रुपये की ज्यादा पॉवर दी है और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का रिवीज़न होता है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्रीजी को, उसका रिवीज़न डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के पास नहीं होता है, हाईकोर्ट में होता है। स्माल कॉज़ेज़ कोर्ट का रिवीज़न होता है, उसके लिए कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी हाईकोर्ट है। इसी तरह मैं निवेदन करूंगा कि रेवेन्यू केसेज़ में रेवेन्यू बोर्ड को ऑथोरिटी माना है। सिमीलरली मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को आप फाइनल ऑथोरिटी देते हैं, जिसकी पॉवर्स न्याय पंचा-

(श्री मोतीलाल)

यत से कम है। उसे इस तरह पॉवर्स दे रहे हैं, यह एक विचित्र व्यवस्था करते हैं। इसको जहां हम न्याय करना चाहते हैं वहां अन्याय होता है। मैं समझता हूं कि यह सरकार की मन्शा नहीं है कि हम अन्याय करें। खैर, सरकार की मन्शा है कि अपील रखी जाय और वह इस ढंग से रखी जाय जिससे लोगों को तकलीफ न पहुंचे। मैं निवेदन करूंगा कि रिवीज़न डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज के पास रखी जाय।

दूसरा निवेदन यह है कि अपील के सम्बन्ध में ही यह विचार किया जा रहा है, माननीय सदस्यों की राय थी कि जुडीशियरी को एक्ज़ीक्यूटिव से दूर रखें। इसीलिए ही पंचायतों में से न्याय की शक्ति हटा कर न्याय पंचायत को दे रहे हैं। अब जो अपील की बात चल रही है, तो हाउस का विचार था कि जुडीशियल पॉवर कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी के पास रखें। अब किसके पास रहें। इसके लिए विचार था कि जुडिशियरी एक्जीक्यूटिव से दूर रहे। इसके लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रखने का विचार है। मैं जानता हूं कि वह जुडिशियल बॉडी नहीं है। अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को रखते हैं तो उसके पास एक्जीक्यूटिव पॉवर्स भी रहती हैं। इसलिए मेरा निवेदन था कि पंचायत के क्रिमिनल साइड और सिविल साइड के फैसलों की रिवीज़न पॉवर डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज के पास हो तो अच्छा रहेगा क्योंकि स्माल कॉज की दृष्टि से २००)रु० तक की पॉवर मुन्सिफ के पास थी, जब कि पंचायत के पास २५०) तक थी ...

श्री रामप्रसाद लड्ढ (शाहपुरा) : उनके पास २५०) रु० है।

श्री मोतीलाल : मेरे ख्याल से २००) है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : २५०)रु. है।

श्री मोतीलाल : अगर ऐसा है तो बराबर हो जाता है। मुन्सिफ कोर्ट और न्याय पंचायत स्माल कॉज़ की दृष्टि से इक्वीवेलेंट कोर्ट्स हैं। हालांकि लॉ कमीशन ने कहा है कि रिवीज़न किया जाय, अपील नहीं की जाय; उस दृष्टिकोण से रिवीजन रखा है, अपील नहीं रखी है। पंचायत का रिवीजन रखा है। इसलिए मेरा निवेदन है मंत्री महोदय को कि रिवीज़न की पॉवर्स रहें, मुझे आपत्ति नहीं है; लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज के पास रहे।

अब रहा सवाल यह कि न्याय सस्ता मिले, महंगा मिले ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिवीजन में जो लीगल प्रोसीजर है उसमें है कि ग्रॉस मिस्टेक हो जाय, उस दृष्टि से देखा जायगा। साधारणतया न्याय पंचायत में इस ढंग से बात नहीं हो, इसके लिए लीगल असिस्टेन्ट रखेंगे। उसके बाद भी लीगल इश्यू रहता है तो पंचायत के रिवीज़न की पॉवर रखी थी वह डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज के पास रखी थी। अब न्याय पंचायत बना रहे हैं तो उसमें पांच पंडित मिल कर न्याय पंचायत बनायेंगे। पहले जो रिवीज़न रखा था उसमें डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज का रखा था। इसलिए पहले जो पॉवर्स दी थीं, इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो अगर तहसील पंचायत कोई गल्ती कर दे, तो डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज, जो कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी है, वहां से न्याय मिल

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न रख कर, क्योंकि मुन्सिफ के लिए रखा है कि हाईकोर्ट उसके लिए फाइनल ऑथेरिटी है, हाईकोर्ट फाइनल जजमेंट देता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसमें रिवीज़न का प्रावधान रखें, तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न रख कर डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज रखें। क्योंकि हमने जब पंचायतों से न्याय पंचायत को अलग कर दिया है, एग्ज़ीक्युटिव से जुडिशियरी को अलग कर दिया है तो उस पर एग्ज़ीक्युटिव का कंट्रोल न रख कर रिवीज़न का जो प्रावधान रखें उसमें डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज रखें तो अधिक अच्छा न्याय मिलेगा।

हमने इसमें एक सब सैक्शन रखा है कि जो ऑर्डर होगा, रिवीज़न के बाद में, वह फाइनल होगा। मैं समझता हूं कि लीगल दृष्टिकोण से यह अन्याय होगा क्योंकि अगर लीगल दृष्टि से पंचायत ने गल्ती की, मुन्सिफ ने गल्ती की तो वह मारा जायगा। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी से और उनकी भी इच्छा है कि हर एक को न्याय मिले, वह सस्ता और फाइनल न्याय मिले। इसके साथ मैं निवेदन कर दूँ कि जो रिवीज़न की पॉवर्स रखी जाती हैं वह इसलिए रखी जाती हैं कि अगर ओरिजिनल कोर्ट गल्ती करे तो उसको सुधार लें। अब वह ऑथोरिटी ऐसी हो जो पक्की हो, मंजी हुई हो, कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी हो, उनके पास रिवीज़न की पॉवर रखेंगे तो सुविधा होगी और जुडीशियरी पॉवर्स को एग्जीक्युटिव पॉवर्स से अलग रखने के दृष्टिकोण से डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज इसके लिए कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी है। उसके पास रिवीज़न के लिए मामला चला जायगा क्योंकि अगर न्याय पंचायत का फैसला मंजूर नहीं होता है तो चाहे डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स कोर्ट में जाय, मुंसिफ कोर्ट में जाय, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स इतने बड़े नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जाने-आने के खर्चे का इतना फर्क नहीं पड़ेगा; इसलिए इसकी कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज रखी जाय तो अच्छा रहेगा, न्याय भी हो जायगा और फाइनल न्याय है वह भी उचित हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑनरेबल दी मिनिस्टर।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो अमेंडमेंट है, जिस पर माननीय सदस्यों ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं, खास तौर से एक इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि अपील का पॉवर होना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a Point of Information, Sir, the Chair already gave a ruling that as far as possible whenever the Minister-in-charge is present in the House he should give reply to the debate.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have a right to speak. He will definitely give a reply. Don't be impatient.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : इस तरह की भावना मत रखिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि अपील का प्रोविज़न न रख कर रिवीज़न का पॉवर रखते हैं, उनको एप्रीहैन्शन है कि रिवीज़न के पॉवर्स रखेंगे तो एविडेन्स में नहीं जायेंगे एविडेन्स को एप्रीशियेट नहीं करेंगे, वे नहीं करेंगे और प्रोसीजर को देख कर ही फैसला देंगे। यह बात है कि रिविजन और अपील में बड़ा फर्क है और रिविजन में इस तरह बारीकी से एविडेन्स को नहीं देखा जाता जितना कि अपील में देखते हैं। पर जहां जनता को सस्ता और जल्दी न्याय दिलाना चाहते हैं वहां अपील और रिवीजन रखेंगे तो न्याय उतनी ही देर से मिलेगा, उसी तरह खर्चा होगा और खास तौर से इस तरह के माइनर ओफेन्सेज़ के लिये। इसलिये यह जरूरी समझा गया है कि रिवीज़नल पॉवर्स होने चाहिये। यह बात नहीं है कि हमने ही इस प्रकार के रिवीज़नल पॉवर्स रखे हों, हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरे राज्यों ने भी रिवीज़नल पॉवर्स रखे हैं और ये पॉवर्स मुंसिफ और मजिस्ट्रेट को दिये हैं और अपने यहां के न्याय पंचायतों के कानून में यह रखा है और लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी यही है कि रिवीज़न के पॉवर्स मुंसिफ और मजिस्ट्रेट को दिये जायं।

एविडेन्स को एप्रीशियेट नहीं करेंगे, यह शंका गलत है। जहां न्याय पंचायत ने फैसला अच्छी तरह नहीं किया है, एवीडेन्स वगैरह लेने में गड़बड़ी की है तो मजिस्ट्रेट को यह पॉवर है कि वह एवीन्डेस को देखे और फिर डिसीजन दे। इसमें सिर्फ इन शब्दों से, जो इस अमेंडमेंट में लिखे हुए हैं, यहां यह लिख दिया है : "call for and examine the record or proceeding of a Nyaya Panchayat for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any decree or order or sentence passed or as to the regularity of the proceedings held by such Nyaya Panchayat."

इसमें जो 'बी' में शब्द लिखे हुए हैं :

'for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any decree or order or sentence passed or as to the regularity of the proceedings held by such Nyaya Panchayat'

इन शब्दों से कुछ रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। रिवीजनल पॉवर्स पूरे हैं, उन्हें कुरेद कर, रेकॉर्ड एग्ज़ामिन करके, मोडिफाई केन्सलेशन के कोई ऑर्डर देना चाहें तो दे सकते हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि रिवीज़नल पॉवर्स मजिस्ट्रेट को दे दें कि वह एवीडेन्स को मंगाये, एप्रीशियेट कर सके तो; इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। इसको ज्यादा क्लेरिफाई करने के लिये यह कहूंगा कि : if these words are omitted of course the powers of revision will be unrestricted.

ये वर्ड्स अमेंड कर दिये जायं, मजिस्ट्रेट को, मुन्सिफ को एविडेन्स को व्हे करने के, एप्रीशियेट करने के पॉवर्स हो जायेंगे : and that is too much. इन रिवीज़नल पॉवर्स में एविडेन्स को एप्रीसियेट कर, सकेगा और न्याय पंचायतों के ऑर्डर्स, जजमेंट और डिक्रीज़ को मोडिफाई कर सकेगा, उनका कैन्सलेशन कर सकेगा। मगर पॉवर्स रिवीज़न के होने चाहिये।

यह हो सकता था कि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जजेज़ को रिवीजन के पॉवर्स दे देते,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पर इसमें डिस्टेन्स इतना ज्यादा है कि लोगों को काफी एक्सपेन्सेज़ करने पड़ेंगे। इसलिये मैं तो समझता हूं कि रिवीज़नल पॉवर्स मजिस्ट्रेट और मुंसिफ को दिये हैं वे ही काफी हैं। But still to make it more clear...

इन लफ्ज़ों से रेस्ट्रिक्शन होता है, इनको हटाने से यह बिल्कुल जनरल हो जायगा। रिवीजनल पॉवर्स का मतलब है that is final and end of this.

इसकी आगे कोई अपील नहीं होगी। इसको क्लियर करना चाहें तो यह करें, वर्ना मौजूदा क्लॉज़ है वह काफी क्लियर है, इसमें एविडेन्स को व्हे करने, एप्रिशियेट करने के लिये काफी है they actually go in the evidence.

श्री उपाध्यक्ष : Moreover wrong appreciation is a point of law.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is also a point of law.

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादा डर यदि दिमाग में है कि व्हे नहीं करेगा तो, इन शब्दों को निकाल दें तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। मेरा मतलब इतना ही है कि रिवीज़न होना चाहिये मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास ही। Munsifs and Magistrates and the orders given by these two Courts must be final.

झुंझनूं से आनेवाले माननीय सदस्य ने रिवीज़न की बात उठाई और उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। यह हम कोई नई चीज करने नहीं जा रहे हैं, लॉ कमीशन की रिकमन्डेशन्स हैं और हमारे कन्ट्री के दूसरे राज्यों ने कर रखा है, तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है।

अब मुंसिफ, मजिस्ट्रेट के फंक्शन्स को लेकर डीडवाना से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप जुडिशियस मत रखिये....

श्री मोतीलाल: मैंने यह नहीं कहा। मैंने तो यह कहा कि मुंसिफ को २५०) रु० और मजिस्ट्रेट को भी २५०)रु० के ही पॉवर्स हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुंसिफ के पॉवर्स ५,०००) रु० के हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास: २५०)रु. के पॉवर्स मुंसिफ को नहीं हैं बल्कि ५,०००)रु. के हैं। इसको पंचायतों से मिलाया, यह ठीक नहीं। एक तरफ तो चाहते हैं कि पंचायतों से न्याय जल्दी हो, सस्ता हो और दूसरी ओर यह प्रोवीजन रखना चाहते हैं कि रिवीजन भी हो, अपील भी हो तो इस तरह से तो जल्दी और सस्ता न्याय नहीं मिल सकता।

न्याय पंचायतें होंगी तो वे न्याय करेंगी, यह हमें मान कर चलना पड़ेगा। हमारा पिछला तजुर्बा भी बताता है कि पंचायतों ने न्याय किया है। पूरे कन्ट्री ने यह मैथड अडॉप्ट किया है कि न्याय पंचायतों में ठीक होता है। पर रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इस क्लॉज़ को जैसा है वैसा ही पास कर दें। कहें तो इन शब्दों को डिलीट कर दिया जाय, otherwise it is not at all necessary and the clause is all right.

Page No.77

श्री बी.एन. जोशी(बांदीकुई):As it is.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, कानूनी तौर पर और कानून की दृष्टि से जो शंका उपस्थित की गई थी उनका तो स्पष्टीकरण माननीय माल मंत्रीजी ने कर दिया है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि असल में मूल उद्देश्य जो हमारा है वह यह है कि पब्लिक को न्याय मिले और सस्ता न्याय मिले और अच्छा मिले। इस पर हम देखेंगे तो हमने मूल न्याय पंचायतों को और उस पर अपील के साथ नहीं रखने का प्रभाव यह पड़ेगा कि नीचे की पंचायतों को, ज्यादा लोगों को अच्छा न्याय देने का अवसर मिलेगा और पंचायतें अच्छी तरह न्याय करेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : If you are convinced, the House is still to be convinced......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दूसरा यह, अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि निगरानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास होनी चाहिये, वह मुन्सिफ, मजिस्ट्रेट को दे इससे उनको समझना है। मेरा यह अनुभव है कि जितना जल्दी न्याय मजिस्ट्रेट के यहां होना चाहिये वहां नहीं होगा और मैं दो महीनों से यह देख रहा हूं। थोड़ी सी शक्ति सरकार के पास है। उसके लिये दो दिन से मैं यहां सुन रहा हूं। जहां सही न्याय की प्रेरणा है वहां दूर दूर जाना नहीं पड़े, इस दृष्टि से यह संशोधन किया है। इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज़ ४० पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४० स्वीकार किया गया। संशोधित क्लॉज़ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ५२

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष, जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया?

(विराम)

क्लॉज़ ५६

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नीचे लिखा संशोधन उपस्थित करता हूं :

"In sub section (1) substitute 'lawful orders' for 'orders' and after 'being heard' 'insert' 'and after consulting the Jila Parishad concerned."

परसों जो बहस हुई थी उसमें दो सुझाव आये और मैंने महसूस किया कि कमी रह गई है इसलिये इसकी जरूरत है और इसको पारित किया जाए।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मेरा भी इसमें संशोधन था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा(शाहपुरा): उ ाध्यक्ष

Page No.78

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

महोदय, क्लॉज़ (बी) के बारे में मैंने संशोधन रखे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक साल की मयाद के संशोधन को मैं स्वीकार करता हूँ ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप एक साल को मंजूर करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरा (बी) में जो अमेन्डमेंट था उसको मान लिया गया है एमेन्डमेंट नं० ८३ है उसके दो पोर्शन्स हैं : 1. not exceeding one year from a specified date...

"(ii) provided that the State Government shall do so only on the recommendation of the Zila Parishad"

इसको मैं वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं । क्योंकि यह अपने अमेन्डमेंट प्रस्ताव में सम्मिलित कर लिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेंट क्लॉज ५६ पर श्रीरामप्रसाद लड्ढा ने रखा That is, Add the following proviso to sub sec. (1) of sec. 73 of the principal Act sought to be substituted:—

'Provided that the State Government shall do so only on the recommendation of the Zila Parishad.

इसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मयाद तो बढा दी है न ?

(विराम)

मैं भी अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन रावराजा श्री सरदारसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री पी० के० चौधरी : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५६ पर जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

Page No.79

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है :

"In clause b of sub sec. 1 of section 73 sought to be substituted in the principal Act, replace the words 'to be so specified' by the words'not exceeding one year from a specified date."

स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५६ पर जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे, जो इस प्रकार है :

"(I) in sub section (1) substitute 'lawful orders' for 'orders' and after 'being heard' insert 'and after consulting the Zila Parishad concerned."

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि....

श्री पी० के० चौधरी : Which one, Sir.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अपील कमेटी वाला।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो दूसरा संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५६, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री पी० के० चौधरी : On a Point of Order Sir, the Hon'ble Minister has not withdrawn his amendment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It is implied.

श्री उपाध्यक्ष : It is a minor error which deserves to be condoned.

(विराम)

क्लॉज़ ५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जैसा है वैसा ही पास कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: क्लॉजेज़ ५६, ६२ व ६३

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जैसे हैं वैसे ही।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ५६, ६२ और ६३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ५६,६२ और ६३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ६५

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६५ में इस प्रकार संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"In part (b) (ii) substitute 'for the residue of the term for which the existing Panchayat would have held office if re-elections had not been ordered under sub section (6)' for the words 'for such period as the State Government may by order in writing specify.'" माननीय उपाध्यक्ष, पहले एक प्रावधान था उसमें अनिश्चित अवधि तक के लिये सरकार के पास अधिकार थे। अब उसमें एक अवधि निश्चित कर दी है। यही फर्क है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक साल की अवधि कर दी गई है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मान लें कि फिर से चुनाव हो जाते हैं तो उसके और आखिरी चुनाव की तारीख के बीच का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६५, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६५, संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६८

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : है वैसा ही इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, in this clause I move the amendments: "(1) Delet ethe words and commas 'the grounds on which, the conditions subject to which, and occuring in new clause (38d), and (ii) delete the new clause (38e), sought to be inserted in sub sec. 2 of sec. 89 of the Principal Act. And add the following sub clause (2) to clause 68-

(श्री पी. के. चौधरी)

After sub sec. 2 of sec. 89 of the principal Act the following new sub section 2 shall be added ;

"[3] All rules made under this Act shall be laid as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if, before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified from or be of no effect,as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done there under."

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ ६८ है इसमें अमेंडमेंट किया जाता है सेक्शन ८६ ऑफ दी प्रिन्सिपल एक्ट में। इस अमेंटमेंड के जरिये प्रिन्सिपल एक्ट की धारा ८६ है, गवर्नमेंट को पॉवर्स दिये गये हैं टू मेक रूल्स, किसी प्रकार लेजिस्लेचर की सैंक्शन बगैर रूल्स बना सकती है और उसका प्रावधान किया गया है। पेज २४ ऑफ दी बिल जो पार्ट (३८डी) है उसमें दिया हुआ है कि : "the grounds on which, the conditions subject to which and the manner in which an election or co-option held under this Act may be called in question..." यानि किसी ग्राउन्ड पर किसी कन्डीशन में और किसी प्रकार से एक चुनाव या कोऑप्शन को क्वेश्चन किया जा सकता है इसका रूल मेकिंग का अधिकार सरकार को होगा। रूल (३८ ई) है उसमें दिया गया है "the authority for the decision of such disputes" सरकार रूल मेकिंग ऑथोरिटी तय करेगी कि गवर्नमेंट ऑफीशियल कौन हो ? कौन पिटीशन सुनेगा और फैसला देगा ? मेरा जो अमेंडमेंट है वह इसके डिलीशन के लिए है। (३८ डी) में जिसमें गवर्नमेंट ऑथोरिटी को दिया गया है एक्ज़ीक्युटिव को कि पिटीशन कौन सुनेगा और फैसला देगा। दूसरा (३८ डी) है : "grounds on which the conditions subject to which and the manner in which an election or co-option held—" इतना डिलीट करना चाहता हूं जिससे कि गवर्नमेंट को इलैक्शन पिटीशन किस प्रकार किया जाय, उसकी ऑथोरिटी गवर्नमेंट की रखी जाय या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आज तक चुनाव का ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि जिसमें किसी ग्राउन्ड पर चुनाव का फैसला किया जाय, चुनाव अधिकारी कौन हो। यह रूल मेकिंग पॉवर गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता है, एक्ज़ीक्युटिव को नहीं दिया जाता है। जितने कानून देखे हैं, पीपल्स रिप्रेज़ेन्टेशन एक्ट देखिये, म्युनिसिपैलिटी का कानून है, जिसको पिछले सत्र में ही पास किया है और दूसरे प्रान्तों के म्युनिसिपैलिटीज़ के कानून हैं, इन सारों में किसी ग्राउन्ड पर what sort of the authority will be the election... वह स्टेच्युटरिली ले डाउन किया जाता है।

(श्री पी. के. चौधरी)

यह सब सरकार रखना चाहती है कि किस प्रकार किया जाय, यह ऑथोरिटी गवर्नमेंट रूल मेकिंग पॉवर में रखना चाहती है और इलेक्शन डिस्प्यूट डिसाइड करने की ऑथोरिटी कौन हो, यह भी तमाम रूल्स में लेड डाउन रहता है। मिसाल के तौर पर पीपल्स रिप्रेज़ेन्टेशन एक्ट है उसमें भी ग्राउन्ड्स हैं। वह सेक्शन १०० में दिया हुआ है। पीपल्स रिप्रेज़ेन्टेशन एक्ट में प्रेजेन्टेशन ऑफ पिटिशन है। "grounds on which the election should be declared void..." अब उस सेक्शन १०० में सारे ग्राउन्ड्स दिये हुए हैं: "Presentation of petition-an elecion petition called in question on one or more of the grounds specified in Sec. 100..." इसी प्रकार से दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कानून है। उसमें भी grounds for declaring the election to be void...वह स्टेच्युटेरिली लेड डाउन हुआ है। सेक्शन १५ में यहां दिया हुआ है: "grounds on which the election can be declared as void..." और उसके बाद जाकर grounds for election to be declared as void यह सेक्शन १७ में दिया हुआ है। इस प्रकार का हमारा म्युनिसिपैलिटी के एक्ट में है जिसको हमने पास किया है "grounds on which the election should be declared as void" वहां स्टेच्युरिली मेन्शन होता है। इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, जो ऑथोरिटी है he will be a competent authority to hear the election petition, to decide the election dispute. वह भी स्टेच्युरिली ले डाउन रहती है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि अनप्रिसिडेन्टेड ऑथोरिटी रूल मेकिंग पॉवर लिया जाय, अपने में क्यों रखना चाहती है ? मेरी समझ में नहीं आता है उनसे क्या उनका फायदा होता है; they should have mentioned it in the Act. मैंने जब इस बिल का जनरल डिस्कशन हुआ था उस स्टेज़ पर भी पॉइन्ट आउट किया था। उस पर असर नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय उस दिन एग्जिबिटेटिव मूड से सुन रहे थे और उससे उन पर कोई प्रभाव पड़ा हो, यह महसूस नहीं होता है। महसूस होता तो अमेंडमेंट लाते या मेरा अमेंडमेंट है उसको मंजूर करते।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नई धारा।

श्री पी० के० चौधरी : धारा ६८ पर चल रहा हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नई जोड़ना चाहते हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : अमेंडमेंट नं० ६० है। रूल्स वगैरह हाउस में रखने के वास्ते।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसको मैं मंजूर करूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : कौन ऑथोरिटी इसको डिसाइड करेगी, यह नहीं दिया है। रूल मेकिंग में रखा है। मैंने निवेदन किया कि दुनियां में जितने म्युनिसिपैलिटी के कानून बने हुए हैं, इलेक्शन डिस्प्यूट डिसाइड करने वाली ऑथोरिटी होती है वह कानून में स्टेच्युटरिली मेन्शन की जाती है, उसमें गवर्नमेंट को अधिकार नहीं दिया है। कल आप विकास अधिकारी को, एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर को

(श्री पी. के. चौधरी)

बना दें। रूल मेकिंग में सारे अधिकार सरकार को हो जाते हैं। यह गुड सेन्स हो सकता है कि किसी को रखें, एस. डी. ओ. डिस्ट्रिक्ट जज, मुन्सिफ आदि को। That is left to the good sense of the Executive. लेकिन चुनाव सम्बन्धी कानून बनाये जाते हैं तो चुनाव में कानून बनानेवाले भी इन्ट्रेस्टेड होते हैं। मैं भी हूं, आप भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। चुनाव का कानून बनाते हैं तो चुनाव डिस्प्यूट डिसाइड करने वाले होते हैं उनको स्टेच्युटरिली कानून में प्रोवाइड किया जाता है।

रूल मेकिंग पॉवर नहीं रखते। हमने जिला परिषद् और पंचायत विधेयक में यह मेन्शन कर दिया है कि फलां जज फैसला करेगा। पंचायत समिति के लिये जज मेन्शन किया है...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसमें 'प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी' शब्द हैं।

श्री पी० के० चौधरी : पंचायत समिति और जिला परिषद् विधेयक में लिखा है कि "The judge will decide the election dispute" ; यह मेन्शन किया हुआ है उसमें। इसलिए इसमें भी कम से कम ऑथोरिटी तो सेटल कर ही लेनी चाहिये, ये अधिकार एग्जीक्युटिव के हाथ में नहीं रखने चाहिये।

हमने म्युनिसिपल एक्ट जो पास किया है उसमें भी इस तरह का प्रावधान है जिसके अन्दर चुनाव होते हैं वहीं पर grounds on which the election can be declared void डिक्लेयर किया जाता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ये दोनों चीजें एक्जीक्युटिव के हाथ में देना उपयुक्त नहीं है इसका दुरूपयोग हो सकता है इसलिए rule mating under thst clause" यह रिमूव कर देना चाहिए। यह क्लॉज़ इस तरह से बना कर यह प्रोवाइड करना चाहिये। तीसरी बात यह है कि इस एक्ट के अन्दर जो कानून बनायेगा वह ही रूल्स बनायेगा और वे रूल्स नेक्स्ट सैक्शन में १५ दिन तक सदन की मेज पर रखे जायेंगे ताकि मेम्बर लोग उसमें सुझाव दे सकें, यह ठीक है, किन्तु बाकी दूसरे मेरे सुझाव हैं, उनको मंत्री महोदय मन्जूर करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका नं० ३ है, उसको स्वीकार करने में हमें आपत्ति नहीं है। "all rules made under this Act shall be laid..." इसके अन्दर पुराने रूल्स है उनको ही रखने की मंशा है। "All the rules after the First April"..."After, 1st April, 1960" शब्द जोड़ने के बाद मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं।

इसके अलावा दो अमेंडमेंट्स का सवाल है। कानून के अन्दर अपील सुनने का प्रोवीज़न हो; पिटीशन कौन सुनेगा, ऑथोरिटी कौन हो सकती है, इसका उल्लेख होना चाहिये। पहले जो कानून था उसमें ऑथोरिटी का उल्लेख नहीं था तो यह समझा गया कि रूल मेकिंग पॉवर्स के साथ साथ इस बात को भी लिख दें। इसमें ऑथोरिटी फिक्स करने की बात थी अब इसके मुताबिक ३५०० पंचायतें नहीं होंगी बल्कि ८० हजार के करीब पंच हो जाने वाले हैं, उनकी इलेक्शन पिटीशन सुनने का सवाल आयेगा। अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट जज को उसके

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लिए लगाते हैं तो जहां एक एक डिस्ट्रिक्ट में ३०० के करीब पंचायतें हैं, उनमें मान लीजिये सभी में चुनाव याचिका हो गई तो क्या वह डिस्ट्रिक्ट जज सुन सकेगा। पहले ही उनके पास बहुत काम है इसलिये हमें इसके बारे में सोचना होगा। अभी तक तो कलेक्टर को इसके लिए नियुक्त कर रखा था, अब जब कि इतने लार्ज स्केल पर एक साथ चुनाव होने वाले हैं अतः उनकी इलेक्शन पिटीशन सुनने के लिए किसको लगाया जाय, इस पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है अतः इस वक्त किसी को फिक्स करना मुश्किल होगा। मान लीजिये कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट जज को रख देते हैं, जहां उसकी नोर्मल डयुटीज़ भी पूरी नहीं हो पाती इलेक्शन पिटीशन कैसे सुन पायगा? जहां तक जिला परिषद् का सवाल है वहां 'प्रेसक्राइब्ड' वर्ड रखा है।

एक माननीय सदस्य : आपने म्युनिसिपल बिल में भी रखा था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस समय खास तौर से सुझाव समय पर आ गया था, इसलिये वह संशोधन उस समय स्वीकार कर लिया गया। यहां अभी किसी संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो विघटन का प्रोवीजन हो जाता है और रूल्स में पॉवर्स नहीं रहे। Then there will be no power with the Government. इलेक्शन पिटीशन सुन नहीं सकेंगे। इसलिये मैं उनका नं० ३ का संशोधन स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप श्री पी०-के० चौधरी का सारा अमेंडमेंट स्वीकार करते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सिर्फ थर्ड पार्ट ऑफ दी अमेंडमेंट "All rules made under this Act after first April, 1960 shall be laid as soon as after they are made...etc etc"

श्री पी. के. चौधरी(फुलेरा): I beg leave of the House to withdraw parts one and two of my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी को उनके संशोधन के पार्ट १ और २ को वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my parts 1 and 2 of my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि पार्ट थर्ड "All rules made under this Act after first April, 1960, shall be laid as soon as may be...and so on..."

इसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६८, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६८, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉजेज़ २१ और २३ को री-ओपन करने की इजाजत चाही थी।

श्री उपाध्यक्ष : I have received an application from the Minister as follows :-

" Clause 21 of the above Bill has already been passed. Thereby section 28 of the principal Act has been amended so as to confer on a Nyaya Panchayat exclusive jurisdiction to try offences mentioned in the first Schedule to the Act. Some of these offences are serious and need, by way of deterrant punishment, sentences of imprisonment which a Nyaya Panchayat is not competent to impose. It is, therefore, felt that in criminal cases the jurisdiction of Nyaya Panchayats should continue to be concurrent with the regular criminal courts. "

It is, therefore, requested that the Speaker may kindly suspend the Rules of Procedure under rule 306 of the Rules of Procedure and permit the moving of the following motions :-

'1. That clause 21 be re-opened.

2. That part b of clause 21 be omitted'?'

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It was clause 23.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 21.

श्री पी० के० चौधरी : But this needs notice. Notice should be given of this motion, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : This has been allowed by the Hon'ble Speaker.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, the Hon'ble Speaker had then said that the Hon'ble Minister may move a formal motion and then it will be considered. So, for moving a formal motion, a notice is required.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ेज़ २१ और २३ के बारे में माननीय अध्यक्ष के कुछ ऑब्ज़र्वेशन्स थे। क्लॉज़ेज़ पास हो गये थे, फिर भी उनको री-कन्सीडर करने का माननीय अध्यक्ष की तरफ से आदेश था; इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों का भी सुझाव था कि इन दो क्लॉज़ेज़ को री-कन्सीडर किया जाय।

श्री पी. के. चौधरी : Rule 72 (2) says that the amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question. The House has taken a decision on this clause which is just opposite what the Hon'ble Minister is trying to bring by an amendment. Hon'ble Speaker said that rules cannot be taken lightly and the Hon'ble Minister should bring a motion and only after that it should be moved.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): Rule 106 is also there.

Page No.86

श्री पी० के० चौधरी : This motion cannot be permitted.

श्री सोहनलाल भटनागर : It is very expedient to get this clause passed. Hence I think the Hon'ble Minister has submitted that under rule 106 he may be allowed.

श्री उपाध्यक्ष : But where a notice is required ?

श्री पी० के० चौधरी : Just to rectify the obstinate mistake of the Minister who refused to hear and admit.

श्री सोहनलाल भटनागर : It was not.

श्री पी० के० चौधरी : Is the House going to suspend the rules of procedure, I don't think that it will be a very good thing ?

श्री सोहनलाल भटनागर : That is not the point. It was moved.

श्री पी० के० चौधरी : The Member is asking to suspend the rules just to rectify the obstinate mistake of the Minister.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : What is the Application ?

श्री उपाध्यक्ष : That I have just read over. Your only contention is that this amendment needs a prior notice ?

श्री पी० के० चौधरी : What I said is, even this motion requires a notice, second thing what I quoted from Rule 72 is that the amendment shall not be inconsistent with...

श्री उपाध्यक्ष : I follow.

श्री पी० के० चौधरी : So if it is inconsistent it shall not be permitted. It says, it shall not be inconsistent and this amendment is inconsistent. Because he is trying to re-introduce them.

श्री उपाध्यक्ष : So far the question of notice is concerned, the Hon'ble Speaker has allowed this motion after condoning the condition of notice. As to the other part of your contention I also overrule it. Only because the House has reopened...

श्री पी० के० चौधरी: It is different from re-opening the clause.

श्री उपाध्यक्ष : Now the question before the House is:

"खण्ड २१ में माननीय मन्त्री ने री-ओपन करने का जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?"

It is a motion for permission of the House. That is the question before the House.

(स्वीकृत)

खण्ड २१ री-ओपन किया गया ।

Page No.87

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): मोशन पर डिबेट होगी अभी तो। मोशन पर डिबेट होगी, डिबेट चाहिये इसमें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिबेट काहे की? अमेन्डमेन्ट तो मूव करने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Amendment to be moved.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): 'Omit part (b) of clause 21'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : (बी) पार्ट को ओमिट कर दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २१ के पॉर्ट (बी) को ओमिट कर दिया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्लॉज़ २३ में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :–

"Substitution of new section for section 30, Rajasthan Act 21 of 1953: For section 30 of the principal Act, the following shall be substituted: 30 Peanties: 'A Nayaya Panchayat shall be not competent to impose on any person convicted of any offence tried by it any sentence other than a sentence of fine not exceeding fifty Rupees''

उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड २३ को रिओपन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड २३ को री-ओपन किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २३ रिओपन किया गया।

(विराम)

अमेन्डमेन्ट मूव करिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : It may read as follows:—

"Substitution of new section for section 30, Rajasthan Act 21 of 1953. For section 30 of the principal Act, the following shall be substi tuted namely: "30 Penalties: A Nyaya Panchayat shall not be competent to impose on any person convicted of an offence tried by it any sentence other than a sentence of fine not exceeding fifty rupees."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

Page No.88

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २३, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड २३, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं खण्ड ४१ को री-ओपन करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ४१ को री-ओपन करने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री पी. के. चौधरी(फुलेरा): On a point of order Sir,- "None of these reopening amendments have been supplied to us. We must have these, then the motion is allowed. Copies of the amendments should be allowed. Neither 21 nor 23 is supplied and now 41 is being supplied.

श्री उपाध्यक्ष : The amendment is a simple one.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): यह तो मालूम पड़े कि आखिर ४१ री-ओपन क्यों किया जा रहा है ? बिना जाने हम क्या राय दे सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : I read over the reasons which were given to me.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने तो मूव किया ही था और माननीय सदस्य खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : "Clauses 37,38 and 40 of the above Bill have been passed, thereby vesting the powers under section 56 of the principal Act and the revisional powers under sec. 59 in a Munsif or Magistrate and divesting the District and Sessions Judge of such powers as originally proposed. Consequently; clause 41 of the Bill which practically defines the expression "District and Sessions Judge" has become redundant. It is, therefore, requested that the Speaker may kindly suspend the rules under rule 306 of the Rules of procedure and permit the moving of the following motions :-

"1. That clause 41 be reopened.

2. That clause 41 be omitted. "

This is the application from the Minister.

प्रश्न यह है कि खण्ड ४१ को री-ओपन करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

स्वीकृति प्रदान की गई। खण्ड ४१ रिओपन किया गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री) : मैं खण्ड ४१ में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूँ :

'Omit clause 41.'

Page No.89

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : यह क्लॉज़ रिडन्डेन्ट हो गया है इसलिये इसकी जरूरत नहीं है।

श्री मोतीलाल(डीडवाना): यह ४१ पुराने एक्ट का या इसका, यह आप और बता दें?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 41 of this.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : You are removing the entire clause 41 ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अनावश्यक है!

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ४१ में प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

परिणाम स्वरूप क्लॉज़ ४१ विधेयक में से पृथक किया गया।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी : What is this ?

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि।

(विराम)

क्लॉज़ १, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ १ में मेरा केवल इतना सा संशोधन है कि यह जो लिखा है : "The provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may by Notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be so appointed for the coming into force of the different provisions of this Act." इसको डिलीट कर दिया जाय। ये जो डिफरेन्ट डेट्स आपने लिखी हैं डिफरेन्ट प्रोवीज़न्स को फोर्स में लाने के लिये, इसकी क्या जरूरत है? यह स्वयं ही एक छोटा सा एक्ट है। इसे लागू करना है राजस्थान में और जिस भावना के साथ सदन ने इस पर विचार किया है और विचार करने के बाद जब इसे पारित करने जा रहे हैं तो उन सारी परिस्थितियों में यह ज्यादा अच्छा होगा कि इस थोड़ी सी धाराओं वाले छोटे से कानून को और इसके सारे प्रोवीज़न्स को एक साथ लागू कर दिया जाय। मैं समझता हूँ, जिस तरह पीस मील में लेजिस्लेशन को पास करना खराब है उसी तरह से पीस मील में उसको एप्लाई करना भी खराब है। इसलिए मैं तो यह निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में कि जो मैंने संशोधन का प्रस्ताव रखा है कि इस कानून की जो सम्पूर्ण धारायें हैं समस्त राजस्थान में एक साथ लागू कर दी जायें; मैं आशा करता हूं कि जो मेरा संशोधन है वह माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है वह भी इसी नेचर का है कि यह शब्द 'And' से लगाकर 'of this Act' तक डिलीट कर दिये जायें। जैसा कि जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा है, ठीक है कि यह न्याय पंचायतों के गठन के बारे में है वह करीब करीब हर तहसील को करना पड़ेगा और अलग अलग डेट्स तब की जाती हैं जब कि कोई कॉम्प्लिकेटेड लेजिस्लेशन हो या जिसमें फैक्ट्स ज्यादा इकट्ठे करने हों; जैसे जागीरदारी विधेयक था और दूसरे भी विधेयक थे। इसमें क्योंकि अलग डेट्स मुकर्रर नहीं करनी हैं और सारे राजस्थान में एक साथ लागू होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको मानने में माननीय मंत्री महोदय को दिक्कत नहीं होगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और बातें तो ठीक हैं। दिक्कत यह है कि न्याय पंचायतें अभी बनी नहीं हैं और उनके बनने में समय लगेगा। एक मुकर्रर समय पर यह लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए चीज़ यह है कि नोटीफिकेशन तक इसको लागू किया जाये। इसलिए दिक्कत की वजह से इसको अलग अलग डेट्स पर ही लागू करना जरूरी था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिए कि यह विधेयक पास कर देते हैं और दस दिन बाद लागू हो जाता है तो तहसील पंचायतों का फंक्शन करना बन्द हो जायेगा और जबकि न्याय पंचायतें बनेंगी नहीं, और वह पंचायत फिर बिना न्याय पंचायतों के काम नहीं कर सकेगी इसलिए जब तक न्याय पंचायतें नहीं बन जाती तो यह कैसे हो सकता है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): फिर इसमें लागू करने के लिए बचा क्या है ? ठीक है, फिर इसको ६ महीने बाद एक साथ लागू किया जाये जब कि सारी व्यवस्था पूरी हो जाये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: अगर आज यह मान लीजिए कि दस दिन बाद यह कानून बनेगा तो न्याय पंचायतें बनीं नहीं और पंचायत समितियां कार्य करना आरम्भ कर देंगी तो बीच में फिर वेक्यूम हो जायेगा ....

श्री मदनसिंह (दातां रामगढ़): इसमें रीज़न यह दिया जाता कि जब तक पूरे चुनाव नहीं हो जाते तब तक....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: इसलिए वेक्यूम को अवॉइड करने के लिए यह रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ में जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने पेश किया वह स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): I beg leave of the House to my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह बिल पारित किया जाये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल का थर्ड रीडिंग है और जहां तक पंचायतों के ढांचे में परिवर्तन करने का प्रश्न है वहां तक मैं इस बिल का स्वागत करता हूं कि राजस्थान के अन्दर आज तक जो पंचायतों का ढांचा था और यह कहा जाये कि ड्यूअल ऑथोरिटी चल रही थी; तहसील पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और इसी तरह की जो तरह तरह की इन्स्टीट्यूशन्स हमारे रूरल एरियाज में थीं आज उनको अलग करके हमारे राजस्थान में एक नया ढांचा और बिल्कुल क्लियर ढांचा सामने आ गया और वह है ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और पंचायत समिति का। तो जो इतने इन्स्टीट्यूशन्स थे उनको हटाकर एक क्लियर ढांचा सामने रखा, इसके लिए मैं माननीय पंचायत मंत्री को कांग्रेचुलेट करते हुए यह कहूंगा कि जो हमारे संविधान का भी डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल था कि हम स्टेट्स के अन्दर पंचायत राज्य कायम करेंगे; पंचायत संघ नहीं, पंचायत राज्य कायम करेंगे वह पंचायत राज्य आज कायम हो रहा है और वह कायम इस तरह हुआ है कि संविधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को हम देखें तो उनके मुताबिक हमने ग्राम पंचायतें कायम कीं और डवेलपमेंट कार्यों का सीधा कनेक्शन पंचायत समिति से रखा और पंचायत समितियों का कनेक्शन जिला परिषदों से रखा है। जहां तक न्याय का प्रश्न है पहले ग्राम पंचायतें न्याय करती थीं और उनकी अपील तहसील पंचायत को जाती थी। अब जो संविधान के अन्दर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एण्ड एग्ज़ीक्यूटिव का सिद्धान्त हमने माना है उसको एग्ज़ीक्यूट करने में हमारे सामने क्लियर पिक्चर आ गई कि ऊपर से जिस तरह से जजेज़ की स्टेजेज़ होंगी उन स्टेजेज़ को नीचे की श्रेणी में जो जस्टिस देंगी वे होंगी न्याय पंचायतें। फिर भी इस बिल में न्याय पंचायतों को अलग रखने जुडिशियरी और एक्ज़ीक्यूटिव को सेपरेट करने के लिए हम यह मान कर चल सकते हैं कि पंचायतें और पंचायत समितियां जिनको कि जुडिशियरी का काम नहीं सौंपा गया है वह राजस्थान की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में जुट जायेंगी और जो छोटे मोटे झगड़े किसी वजह से आते थे या तहसील पंचायतें तहसील में सुप्रीम बॉडी थी या पंचायत समितियां तहसील

(श्री श्रीभानसिंह)

में सुप्रीम बॉडी थी; यह जो एक एनोमोलस पोज़ीशन थी वह हट कर पंचायतें डवेलपमेंन्ट के कामों में पंचायत समिति सुप्रीम बॉडी होकर जरूर काम करेगी। जुडीशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव के सेपरेशन के सिद्धान्त को मानते हुए जहां हमने इस बिल में इस सिद्धान्त को लागू किया उसको दूसरे हाथ से वापिस भी ले लिया। वह ले लिया क्लॉज़ २७ (आई) को डिलीट करके। मेरी समझ में नहीं आता कि पंचायतें न्याय देंगी और उनकी अपील मुन्सिफ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रखी हैं, लेकिन पंचों के रिमूव करने की पॉवर्स स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास ली हैं और उन्हें रिमूव किस ग्राउन्ड पर किया जायेगा—करप्ट प्रेक्टिस पर या मिस कन्डक्ट केस के ट्रायल के संबंध में हो और वह गवर्नमेंट के ध्यान में आये तो गवर्नमेंट पंच को रिमूव कर सकती है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर गवर्नमेंट के पास जजमेंट बायस हो या करप्ट कन्सीडरेशन से जजमेंट दिया गया हो तो इसको नापने का गवर्नमेंट के पास क्या साधन है जब कि रिवीज़न के अन्दर फाइल मुन्सिफ के पास जायेगी या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जायेगी। फिर गवर्नमेंट उनको रिमूव किस प्रकार से करेगी ?

३.३० म. प.

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

तो कन्सीडरेशन उस जजमेंट के देखने से है तो वह तो जजमेंट दूसरी मशीनरी देगी और रिमूवल की दूसरी मशीनरी रहती है तो उसमें यह दीखता है कि राज्य सरकार को किसी तरह से बाध्य किया गया है या राज्य सरकार खुद चाहती है कि पंचायतों के ऊपर अंकुश रखा जाये। मुझे यह नहीं मालूम होता कि उनके पास कोई मशीनरी ऐसी है कि जिस मशीनरी के द्वारा यह देख सकेंगे कि यह जजमेंट मैलाफाइड इन्टेन्शन से दिया गया है। तो यह पॉवर्स गवर्नमेंट ने रखी हैं तो मुझे डाउट होता है और उसमें डाउट इसलिए होता है कि पोलीटिकल आदमियों की सिन्सियरिटी में यह डाउट नहीं करता कि वह पंचायत राज्य को एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसको एस्टेब्लिश करने में कहीं ऐसा न हो कि जिन न्याय पंचायतों में कोई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हों जिनका कि इनफ्लुन्एन्स ऊपर तक हो उनके खिलाफ जजमेंट दे दिया तो वह जजमेंट चाहे मुन्सिफ कोर्ट से बाद में तय हो लेकिन गवर्नमेंट को यह पर्सुएड करके कि करप्ट प्रेक्टिस में वहां से रिमूव कर दिया जायेगा; अगर ऐसी प्रणाली हमारे यहां राजस्थान में हुई और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के खिलाफ जजमेन्ट हो गया तो उस महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इनफ्लुएन्स करके पंच को हटाया तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में पंचायतें कायम होने वाली नहीं हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट को यह प्रावधान रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जजमेंट गलत भी हो तो उसको इनफ्लुएन्स में आकर या मिस कन्डक्ट में इन्टरप्रेट करके न्याय पंचायतों के पंचों को रिमूव नहीं करें और उनको चान्स दें कि वे सुधारें और न्याय को ठीक तरह से दें।

श्री श्रीभानसिंह : ज्यादा अच्छा तो यह था कि जब कुछ क्लॉजेज़ रीकन्सीडर करने के लिए ओपन की गई थीं तो इस २७

(श्री श्रीभानसिंह)

(१) को भी रीकन्सीडर करना चाहिए था और जैसा ओरीजिनल बिल के अन्दर था उस तरह का रखा जाना चाहिए था। यह जो सबसे ज्यादा डेन्जरस पॉवर राज्य सरकार को दिया है मैं उस पॉवर की तारीफ नहीं करता। यह जस्टीफाइड नहीं है कि यह पॉवर स्टेट गवर्नमेंट के अन्दर वेस्ट हो।

दूसरा, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि शिड्यूल के अन्दर शायद वह क्लॉज़ को डिलीट कर दें 'maintenance and running of wine shops.'

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रेग्युलेशन का स्वीकार कर लिया है।

श्री श्रीभानसिंह : दूसरा, एक उसको, शिड्यूल को, चेन्ज करने के पॉवर्स हैं, मैं उसको दोहराना तो नहीं चाहता, मगर राज्य सरकार को शिड्यूल मेंन्टेन करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, या तो शिड्यूल जो कन्स्ट्रक्ट किया है उसको उन्होंने देखा नहीं। अगर शिड्यूल को ऑल्टर करके किसी को कुछ पॉवर्स दे दिये, किसी को कुछ पॉवर्स दे दिये, इस बात के शिड्यूल्स को ऑल्टर करके दे दिये तो निवेदन करूंगा कि शिड्यूल के अन्दर ऑल्टरेशन नहीं किया जाय। ऑल्टरेशन में गवर्नमेंट की डिफिकल्टी आती है तो किसी पंचायत के साथ ऑल्टर करके उस शिड्यूल को लागू कर सकते हैं। दूसरी पंचायत के साथ दूसरी तरह से लागू कर सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्शन्स से जहां तक मेरे खयाल से राजस्थान का जो विधेयक बना है, एमेंडिंग बिल से जो पंचायत का ढांचा बना है वह प्रगतिशील और तारीफ के लायक है।

यही नहीं, बल्कि इन चेन्जेज़ में खुद यह समझता हूं कि जो राजस्थान ने नया कदम लिया था डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन का तो इस कदम से हम डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन का जो स्टेप है उसको एक तरह से हेल्प करने जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन को हेल्प करेगा तो निश्चय मानकर चलिये कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेन्दन किया जा रहा है और न्याय पंचायतों के द्वारा जस्टिस की जो प्रणाली है उस प्रणाली को भी अच्छी तरह से एडमिनिस्टर करेंगे। यही नहीं कि जो अब क्लॉज़ री-ओपन करेंगे और री-ओपन करके जो एमेंडमेंट्स लाये गये उनका मैं स्वागत करता हूं, नहीं तो यह डेन्जरस बहुत ज्यादा हो जाता। सब्स्टेन्शियल पॉवर पनिशमेंट को पंचायतों का दिया जाता और दूसरे आदमी को कान्करेन्ट जुरिस्डिक्शन रखा था उसको हटाकर पॉवर्स नहीं देना चाहते थे कि किसी को डिसबिलीफ हो पंचायतों के अन्दर तो वह दूसरी कोर्ट में नहीं जा सके।

दूसरा बेसिस मेरा था कि आज हम इलेक्टेड एजेन्सीज़ के जरिये से यह न्याय, जस्टिस, दिलाना चाहते हैं वह शायद इस बिल का खास तौर से मकसद नहीं रहा और शायद डेमोक्रेसी का नारा भी लगाया गया और यह भी कहा कि पंचायत राज्य को विकृत कर देगा। उनको डिबेट के दौरान में मैं निवेदन कर ही चुका हूं कि आखिर डेमोक्रेसी का प्रिन्सीपल यह नहीं है कि जस्टिस भी इलेक्टेड के थ्रू दिलाया जाय। डेमोक्रेसी के जो प्रिन्सीपल्स, जो सिद्धान्त थे

(श्री श्रीमानसिंह)

वे बता दिये कर दिये और उनको दोहराने की मैं जरूरत नहीं समझता। मगर जहां तक इलेक्टेड का जो सवाल है शायद फिर थर्ड रीडिंग में कहा जाय। आज उन्होंने इलेक्टेड को एक फेक्ट बना लिया है कि जहां कहीं भी हुआ करे उसको इलेक्टेड कहना चाहिए, इलेक्टेड के खिलाफ बोलें तो उनको यह कह देना चाहिए कि इलेक्टेड आदमियों के अन्दर विश्वास नहीं है या गरीब आदमी की पैरवी नहीं करना चाहते हैं। वह एक तरह का ऐसा क्रिटिसिज्म है कि जब किसी के पास आर्गुमेंट नहीं हुआ करे तो हमेशा वह व्यक्ति विशेष पर अटैक करना चाहते हैं। जब इलेक्टेड व्यक्ति सब जगह होते हैं तो इलेक्टेड व्यक्ति, इलेक्टेड एजेन्सीज़ वह पुल ऑफ प्रेशर से फ्री नहीं रह सकती थी, पुल ऑफ प्रेशर से फ्री नहीं रह सकती है तो इम्पार्शियल, इन्डिपेन्डेन्ट न्याय भी नहीं दे सकती है। यदि बहुमत के आधार पर राजस्थान में न्याय को देना स्वीकार कर लिया तो बड़ा डेन्जरस प्रिन्सीपल रहेगा और डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक प्रिन्सीपल रहेगा। न्याय बहुमत के आधार पर नहीं दिया जाता है। जो कानून में आवश्यक होना चाहिए जिस तरह से जुडीशियल एजेन्सीज़ में एवीडेन्सेज़ एक्ट व रूल्स ऑफ प्रोसीज़र को सबको फॉलो करके न्याय दिया जाता है। इस पासिंग में इनको इलेक्टेड बॉडी के फीचर्स मुझको रिमाइन्ड कर दिया है उससे मालूम हो जायेगा कि एग्ज़ीक्यूटिव निश्चित तौर से पब्लिक ओपीनियन से इन्फ्लुएन्स्ड होती है और जुडिशियरी किसी तरह से इन्फ्लुएन्स नहीं होती है। बम्बई में नानावटी का केस हुआ। उसके अन्दर बम्बई में रैलीज़ हुईं। पब्लिक ओपीनियन उसके फेवर में थी, मगर जुडिशियरी का जो कर्त्तव्य था वह बम्बई हाई कोर्ट ने निभाया। वह पब्लिक ओपीनियन से एब्व रहे और जिस तरह का लॉ था उसको इन्टरप्रेट करके जो कुछ पनिशमेंट थी वह दी। दूसरी तरफ एक एग्ज़ीक्यूटिव है, मैं नहीं कहता कि निर्णय गलत है, मगर एक एग्जीक्यूटिव है जिसको अदर कन्सीडरेशन्स अदर देन लॉ गाइड करते हैं। अदर कन्सीडरेशन्स में पब्लिक ओपीनियन आये, मेरिट्स भी आये, उनकी यूज़फुलनेस नेवी के अन्दर भी आये तो एग्ज़ीक्यूटिव ने इनटरफियरेन्स करके लॉ की पनिशमेंट को सेट एसाइड कर दिया। जो मैने एग्ज़ाम्पल दी सदन के सामने; यों दी है, यह दिखाने के लिए कि एग्ज़ीक्यूटिव को पब्लिक ओपीनियन को देखना पड़ेगा। जो इलेक्टेड एलीमेंट है उसको पब्लिक ओपीनियन को रेस्पेक्ट और ओनर करना पड़ेगा और जहां तक जुडीशियरी का सवाल है लॉ को इन्टरप्रेट करना पड़ेगा। चाहे पब्लिक ओपीनियन अगेन्स्ट में हो, चाहे पब्लिक जजमेंट को मानें या न मानें, मगर लॉ एज़ इट इज़ जो है उसको इन्टरप्रेट करके लागू कराये। अगर पब्लिक ओपीनियन यह नहीं चाहती है तो उसको लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के थ्रू लॉ को एमेंड करा सकती है, लेकिन जब तक लॉ एज़ इट इज़ स्टेन्ड करता है तो जुडीशियरी उसको इम्पार्शियली इन्टरप्रेट करती है।

तो मेरा कहना यह है कि रिवीज़न के पावर्स आपने इलेक्टेड बोडी को रखी है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धान्त था और उस सिद्धान्त को इम्प्लीमेंट करने में हाउस के अन्दर मेजोरिटी ऑफ ओपीनियन्स जो

(श्री श्रीभानसिंह)

थीं माननीय मन्त्री महोदय ने उसका स्वागत किया और स्वागत करके यह जो एमेंडमेंट लाये हैं, उसके लिये मैं उनको कोन्ग्रेच्युलेट करता हूँ।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि जहां तक इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स का प्रोवीज़न और रखा है और जब वह क्लॉज़ डिस्कस हो रहा था और उनके साथ में मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट को भी इन्वोल्व्ड किया गया था, कुछ माननीय सदस्यों की यह एक ओपीनियन बन गई है और वह ओपीनियन इस तरह की बन गई है कि जहां भी सर्विसेज़ का, चाहे एग्ज़ीक्यूटिव सर्विसेज़ हों या जुडीशियल सर्विसेज़ हों उनका जहां कहीं नाम आया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर का, तो आपत्तियें करते हैं। मैं नहीं समझता कि क्या सर्विसेज़ विदेशों से आई हैं। मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट विदेशों से आये हैं इसलिये उनसे नफरत करते हैं? हम उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं। आज डमोक्रेसी को सक्सेसफुल वर्क आउट कराना चाहते हैं तो चाहे लोअर लेवल पर डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़शन का हो, चाहे हायर लेवल का हो किसी भी डेमोक्रेसी के अन्दर आपको सर्विसेज़ को ट्रस्ट करना पड़ेगा, रिलाई करना पड़ेगा। सर्विसेज़ का उतना ही इन्ट्रेस्ट है पंचायत राज्य को सफल बनाने में, डेमोक्रेटिक डीसेन्टलाइजेशन को सफल बनाने में जितना किसी सिटीजन का है। आखिर सर्विसेज़ चाहे जुडिशियरी की हों, एग्ज़ीक्युटिव की हों या इलेक्टेड मेम्बर्स की हों, वे कंट्री के सिटिज़न्स हैं। तीनों तरह के सिटीज़न्स इन्ट्रेस्टेड हैं, कंट्री की अच्छाई के लिये वे सब इन्ट्रेस्टेड हैं, उनको ट्रस्ट किया जाय। जो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ न्याय, सच्चाई, ओनेस्टी और ट्रस्ट है वह इलेक्टेड लोगों में ही है, ब्यूरोक्रेसी अनट्रस्टवर्दी है, यह गलत विचार होगा आपका।

मैं किसी माननीय सदस्य का नाम तो नहीं लेता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आपने कुछ जागीरदारों के खिलाफ नारे लगाये। उसका मतलब यह था कि पिछले सात आठ साल तक स्लोगन्स लगा कर चुनाव जीत लिया लेकिन अब यह नारा आगे जाकर पे नहीं करनेवाला है। किसी को जागीरदार कह कर या इस तरह से कह कर, मैं कह सकता हूं कि अब हम भविष्य में राजनीति में सफल नहीं हो सकते क्योंकि अब वह इन्स्टीट्यूशन खत्म हो चुका है। उनका रीओरियेन्टेशन हो गया, उनका माइन्ड चेन्ज हो गया। अब जो पोलिटिकल एम एचीव करना चाहते हैं इस तरह के स्लोगन्स लगा कर उनसे मेरा यह निवेदन है कि उसको खत्म करें। आगे और कुछ स्लोगन्स रचनात्मक काम के लगावें और मेरिट्स पर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे।

अन्त में, सभी पार्टीज़ हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि न्याय पंचायत के लिये कोई भी पोलिटिकल पार्टी डिबार्ड नहीं है, लेकिन यदि पोलिटिक्स को न्याय पंचायत से दूर रखेंगे तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि जो जस्टिस की पॉवर न्याय पंचायत को दी है उसको एडमिनिस्टर करने में सफल रहे और जो अगर इन पार्टीज़ ने हेल्प नहीं की या पोलिटिकल पार्टीज़ और माननीय सदस्यों ने उनको सहयोग। नहीं दिया तो हम यह नहीं कह सकते कि ये सफल होंगी। इसलिये मेरा पोलिटिकल पार्टीज़ और माननीय सदस्यों से

Page No.96

(श्री श्रीभानसिंह)

निवेदन है कि इनको राजनीति या नारेबाजी या और जो कुछ है उनसे परे रख कर मदद करें। जो आदमी वाकई न्याय पंचायतों में लाने लायक हैं उनको लाना चाहिये चाहे वह कांग्रेस की हैसियत से हो या किसी दूसरी हैसियत से हो, जो विलेज में लीडरशिप और कॉन्फीडेन्स इन्सपायर कर सके, डेवलपमेन्ट कार्य में हैल्प कर सके और जो इन्डिपेन्डेन्ट व्यू का हो और जिसका माइन्ड इन्फल्युएन्स से फ्री हो वह न्याय पंचायत में जावे। ऐसे लोगों को सभी व्यक्तियों और पार्टीज़ ने सहयोग दिया तो चाहे इसे ग्राम राज्य कहें, चाहे डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाईजेशन कहें, चाहे और किसी नाम से हो इन डेमोक्रेटिक संस्थाओं को सहयोग देकर सफल बनाना चाहिये।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, हम राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६० को पारित करके एक अधिनियम की शक्ल देने जा रहे हैं। आज से लगभग ७ वर्ष पूर्व सन् ५३ में जिस स्थानीय शासन का समारम्भ किया उससे हम बहुत आगे की मंजिल तक इस विधेयक को पारित करके पहुंच रहे हैं। इस विधेयक में विशेष रूप से, जैसा कि बतलाया गया है, प्रावधान इस चीज का रखा है कि जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, किसान बंधु हैं वे अपने न्याय के लिये दूर दूर अदालतों में न जाकर अपने घर और गांव में ही चुने हुए लोगों के द्वारा न्याय प्राप्त कर सकेंगे। एक तरह से पंचायत का जो असली उद्देश्य हमारे देश में रहा है उसकी पूर्ति न्याय पंचायतों की स्थापना से होती है। यों तो इस युग में हमारी ग्राम पंचायतें हैं वे विकास और प्रशासन सम्बन्धी कार्य करती रही हैं और अब भी करेंगी; लेकिन जो उद्देश्य विशेष रूप से सरकार का रहा है, ग्रामीण जनता को सस्ता सुलभ और समीप न्याय देने का, उसकी पूर्ति इन न्याय पंचायतों की स्थापना से होती है। लेकिन जैसा कि अभी मुझ से पूर्व बोलनेवाले माननीय सदस्य ने बताया, इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब कि न्याय पंचायतों में वास्तव में उसी कोटि के ग्रामीण भाई जायेंगे जो कि इस न्यायासन पर बैठ कर अपने इस पद की जो परम्परा और जो इतिहास रहा है उसको न केवल अक्षुण्य रखेंगे बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को और भी बढ़ायेंगे। इसलिये इसके लिये यह परम आवश्यक है कि हम लोग न्याय पंचायत को, सभी दलों के माननीय सदस्य इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो दलीय दल–दल है उससे सर्वथा दूर रखें और उनको निष्पक्ष न्याय देने योग्य बनावें।

जो बहुत बड़ा मसला इन दिनों में सदन के समक्ष आया वह यह था कि न्याय पंचायतों का जो निर्णय है उसकी अपील के तौर पर फैसला देने का अधिकार किनको हो? इस पर दो प्रकार के मत थे। एक तो मत था कि वह अधिकार चुने हुए व्यक्तियों को ही दिया जाय। वह इस प्रकार कि जिस प्रकार न्याय पंचायत है उसी तरह से वे लोग भी उच्च स्तर पर चुने जांय और चुने हुओं के पास उच्च अधिकार दिये जायं जो अपील पर निर्णय ले सकें। दूसरी ओर यह भी मत व्यक्त किया गया कि वह अधिकार दूसरी चुनी हुई संस्था को न देकर ऐसे अधिकारियों को दिया जाय जो अब तक भी सरकारी तौर पर न्याय का काम करते रहे हैं, मुन्सिफ, मजिस्ट्रेट या जिस प्रकार के हों वे दोनों ही

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

काफी योग्यता वाले हों । इस सम्बन्ध में विचार प्रकट किये गये और अंत में जिस रूप में हमारे सामने आया है उसमें यही स्वीकार किया गया है कि वहां जो अपील हो वे मुंसिफ और मजिस्ट्रेट....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय(पंचायत मंत्री): अपील नहीं रिवीज़न ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : रिवीज़न उनके पास होगी, इससे मैं समझता हूं, हमारे कुछ माननीय सदस्यों के दिल पर इस बात का असर हो सकता है कि आखिर वे चुने हुए व्यक्तियों को अधिकार क्यों नहीं मिले ? मैं समझता हूं, सिद्धान्ततः यह बात मानी जाती कि चुने हुए व्यक्तियों को अधिकार हों लेकिन जैसा कि मैंने उस दिन जब कि जनरल डिबेट थी उस समय भी ....

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : आप क्लॉज़ पर मत बोलिये, बिल पर बोलिये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (जारी) वह चीज़ आज भी कह रहा हूं । आज चुने हुए लोगों को अधिकार नहीं मिले लेकिन मैं समझता हूं यदि न्याय पंचायत ठीक ढंग से न्याय करेगी और लोगों को, जनसाधारण को यह विश्वास हो जायगा कि वहां किसी प्रकार की जाति पांति, दलीय भावना और पक्षपात नहीं है तो जिस वक्त जनता का विश्वास प्रबल हो जायगा तो यह आपसे आप हो जायगा । आज जनता का विश्वास इस बात पर है कि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, अदालतें हैं उनमें ठीक न्याय मिलेगा और चुने हुए व्यक्ति इतना न्याय दें न, दें ।

तो मैं यह चाहता हूं कि यह भावना जनता के दिमाग से दूर हो और फिर इस बात में विश्वास करने लगें कि हमारे चुने हुए लोग उतने ही निष्पक्ष हो सकते हैं, उतना ही उनका दिमाग न्याय की ओर हो सकता है, जैसा जुडिशियरी में लोग रखते हैं । तो इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए और इस चीज को मैं कोई असम्भव भी नहीं समझता कि अगला कदम ऐसा नहीं हो सकता । कुछ दिनों के प्रयास के बाद जब कि अपीलेट कोर्ट हों और उसके ऊपर, जिनके पास रिवीजन के लिए मामले जायें, वह भी हमारी चुनी हुई संस्था हो सकती है । एक आशंका इस दृष्टि से प्रकट की गई है कि आखिर सरकार ने अपने हाथ में उन पंचायतों को भंग करने का अधिकार रखा है, इसमें शायद सरकार का कोई हित निहित है । मैं समझता हूं, ऐसी आशंका ऊपरी तौर से करना कोई जरूरी नहीं है । अब तक भी बहुत से अधिकार सरकार के हाथ में रहे हैं पंचायतों के सम्बन्ध में, और यह भी निश्चित है कि जितनी भी पंचायतें अब तक थीं उनमें से कुछ पंच और सरपंच के ऐसे गम्भीर मामले रहे हैं कि उनको भंग करने की, उन पंचों को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतों के अन्दर बड़ा उपद्रव और विप्लव मच गया होता । तो आखिर किसी न किसी की ऐसी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यदि कोई किसी प्रकार पद का दुरुपयोग करता है, उसके जो दायित्व और कर्त्तव्य हैं उनका उचित रूप से पालन न करे, तो उसको भंग करने का अधिकार किसी न किसी को हो और जहां तक सरकार का

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सम्बन्ध है, जिला परिषद् के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, ऐसा प्रावधान रख लिया गया है कि जिला परिषद् की सलाह से वह ऐसा करेगी। तो एक तरह से जो पंचायतें हैं, उनके ऊपर जो जिला परिषद् हैं, जिनमें भी चुने हुए लोग हैं, उनकी सलाह से सरकार कदम उठाती है तो मैं समझता हूं कि जो शंका जिस हद तक होनी चाहिए उससे कम हो जानी चाहिए। और आखिर एक पंचायत के खिलाफ अगर जिला परिषद् भी हो जाती है तो भी मामला सरकार के पास आता है और दोनों मिल कर बातें करती हैं और जो ठीक समझती हैं, वैसा करती हैं। तो इस हालत में पंचायत भंग होती है तब तो यह मानना चाहिए कि उस पंचायत में कोई न कोई कमी रही होगी। तो मैं यह समझता हूं कि हर दृष्टि से, अब जैसा भी यह विधेयक, जिस रूप में भी आज अधिनियम बनने जा रहा है, वह इस समय की स्थिति को देखते हुए सर्वांग पूर्ण सुन्दर है और उसको स्वीकार करना चाहिए और इसके गठन करने में और इसको इस समय सदन के समक्ष रख कर जो भी कुछ हमारे सरकारी पक्ष की ओर से काम किया गया है, जिस जिस प्रकार से इन्होंने इसमें परिवर्तन भी किया है, सदन के माननीय सदस्यों के जो मत थे, उनको भी उन्होंने स्वीकार किया है, उस दृष्टि से, मैं समझता हूँ कि वे बधाई के पात्र हैं और आज इस विधेयक को हम लोग स्वीकार करके वास्तव में अपने राज्य के अन्दर एक बड़ा ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं और मुझे आशा है कि हम केवल पारित करके ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं समझेंगे बल्कि हम सब के ऊपर दायित्व आता है कि जो हम एक विश्वास पैदा करना चाहते हैं लोगों में चुनी हुई संस्थाओं के प्रति, हम अपने व्यवहार से दिखला देंगे कि हमारी चुनी हुई संस्था, हमारे ग्रामीण लोग उतना ही निष्पक्ष न्याय कर सकते हैं, जैसा कि अब तक सरकारी अधिकारियों पर विश्वास करते रहे हैं। तो इस दायित्व की भावना को लेते हुए हम इसको पारित करें, यह मेरी आशा है और यह मेरी आकांक्षा है।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, जिस पर कि आज करीब एक सप्ताह से वाद-विवाद हो रहा है, इसको सब प्रकार से संशोधन करने के बाद अब हम इस विधेयक को पास करने की स्थिति में लाने जा रहे हैं। सभापति महोदय, इस बिल के पास हो जाने से हमारी ग्रामीण जनता का, एक बड़ा भारी संकट था, वह दूर हो जायगा। आज बहुत अर्से से, खास तौर पर जब से राजस्थान का निर्माण हुआ तब से एक-एक जगह से यह आवाज आ रही थी कि ग्रामीण क्षेत्र में लिटीगेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोगों को न्याय सुलभ और सस्ता नहीं मिलता है। इस बिल के पास हो जाने से यह आवाज अब नहीं उठेगी और लिटीगेशन अब कम हो जायगा और ग्रामवासियों को सस्ता और सुगम न्याय मिलेगा। सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि ये न्याय पंचायतें, जिनके संचालन के वास्ते हम यह बिल बना रहे हैं, कोई राजस्थान के लिए नवीन संस्थायें नहीं हैं; हम हमारी प्राचीन संस्थाओं को नवीन रूप दे रहे हैं। प्राचीन काल में हमारे यहां न्याय पंचायतें थी और गांवों के लड़ाई

(श्री रामचन्द्र)

झगड़े पंचायतों के जरिये दूर हो जाते थे लेकिन समय में कुछ चेंज आ जाने की वजह से इन पंचायतों के द्वारा न्याय नहीं मिलने लगा। अब राजस्थान सरकार ने ग्राम स्तर पर उचित न्याय देने के वास्ते फिर से न्याय पंचायतों का संचालन किया है, उसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बधाई देता हूँ। सभापति महोदय, यहां जो कानून बनाये जाते हैं, इनका ज्यादातर सम्बन्ध पूरे राज्य से नहीं रहता; इनका सम्बन्ध शहरी जनता से होता है। न्याय पंचायतें जो हम बना रहे हैं और उसके संचालक के वास्ते जो कानून बनाया है, इसके पहले पंचायत कानून बनाया और पंचायतें कायम हुई हैं, इसी तरह से और भी जनता के हित के वास्ते कानून बनते हैं लेकिन जब इनका एग्ज़ीक्यूइन होता है तो हम यह देखते हैं कि इन कानूनों की आड़ में बड़े बड़े अन्याय हो जाते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार का इस कानून को बनाने के बाद यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस बात के लिए बराबर ध्यान रखे कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में सभी वर्ग के लोगों को उचित न्याय मिले। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जो कानून बनाया जाता है उसके शिकार ज्यादातर गरीब और हरिजन समाज होता है। अभी अभी इससे पहले पंचायत कानून बना और राजस्थान सरकार ने यह प्रावधान रखा कि प्रत्येक पंचायत में एक हरिजन सदस्य का होना आवश्यक है। उसके लिए हमने जगह जगह देखा कि हरिजन सदस्य नहीं लिया गया। उसके वास्ते राजस्थान सरकार से निवेदन किया गया, आखिर सरकार को बीच में पड़ना पड़ा और उसके बाद हरिजन सदस्यों की नियुक्ति हुई। तो इस प्रकार से हरिजनों के हित में कानून के बनने के बाद भी हरिजनों को अधिकार नहीं मिलता है और उसी कानून की आड़ में उनके साथ अत्याचार होता रहता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस वक्त ये जो न्याय पंचायतें हैं इनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए गवर्नमेंट को सब प्रकार से सतर्क रहना चाहिए कि इस न्याय पंचायत के कानून की आड़ में, कानून की आड़ में गोया गरीब लोगों के साथ विशेष तौर से हरिजनों के साथ अन्याय नहीं हो और उनको उचित न्याय मिले। सभापति महोदय, यही नहीं; मैं तो यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार कानून बना देती है और गरीबों को, ग्रामीणों को बहुत सी सहायता देने के वास्ते नियम बना देती है पर जब पालन होता है तो इसका अधिकतर फायदा ग्रामों के उन धनी-मानी लोगों को मिलता है और गरीबों को जब फायदा मिलने का समय आता है तो उनके रास्ते में जगह जगह अड़चनें पैदा की जाती हैं। मैं और क्या कहूँ, भूमि अलॉटमेंट के लिये सरकार ने नियम बनाये हैं कि प्रत्येक हरिजन परिवार को १५ बीघा जमीन मिलनी चाहिये....

श्री सभापति : आप बिल पर बोलिये।

श्री रामचन्द्र : बिल पर ही बोल रहा हूं। यह तो रेफेरेन्स ....

श्री सभापति : Hon'ble Member to confine his debate to the Bill.

श्री रामचन्द्र : मैं रेफेरेन्स के रूप में निवेदन कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब

Page No.100

(श्री रामचन्द्र)

यह है कि सरकार नियम बना देती है पर उन नियमों का पालन नहीं होता। गरीब उन नियमों की आड़ में सताये जाते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि न्याय पंचायतें बन जायं तो सरकार को निरन्तर देखने की आवश्यकता है कि न्याय पंचायतों द्वारा न्याय राजस्थान के प्रत्येक वर्ग के साथ बराबर हो रहा है, खास तौर से हरिजन इसकी आड़ में नहीं सताये जायं।

मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा कि कानून तो बन गया, पर इस कानून के एग्ज़ीक्युसन के समय सरकार बराबर सतर्क रहे कि इस कानून की आड़ में हरिजन लोग सताये नहीं जायं और जिस प्रकार औरों को उचित न्याय मिले उसी प्रकार सब को उचित न्याय मिलना चाहिये।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री मोतीलाल।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): मैं समझता हूं कि जिन सदस्यों को फर्स्ट और सेकिन्ड रीडिंग में बोलने का मौका नहीं मिला है उनको थर्ड रीडिंग में बोलने का पहले मौका दिया जाय।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! मैं अपनी व्यवस्था हाउस के इन्टेन्शन्स और व्यवस्था को देख कर देता हूं।

श्री मदनसिंह : यह तो श्री श्रीभानसिंह वर्सेज़ श्री मोतीलालजी होता है। जहां श्री श्रीभानसिंहजी बोलते हैं तो मोतीलालजी भी बोलेंगे। He must speak when Shri Sribhan Singh speaks.

श्री सभापति : आप इतने एंक्श्यस थे तो आपको पहले खड़े होना चाहिये था। हाउस का यह व्यू है कि ५-५ मिनट नियत कर दिये जायं, इसलिए निवेदन करूंगा कि आप अपना भाषण ५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : ५ मिनट भी बहुत हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, इस पंचायत (अमेंडमेंट) बिल के तृतीय वाचन पर सरकार को यह बधाई देना चाहता हूं कि हम राजस्थान में पंचायत राज्य का नकशा बना रहे हैं, उसमें हमने इसके द्वारा एक नया कदम आगे बढ़ाया है और खास कर इस बिल में दो प्रावधान रखे हैं वे हिन्दुस्तान में पहले ही होंगे। सबसे पहला एक प्रावधान रखा है कि महिलाओं को पंचायतों में लाने का मौका दिया है और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मौका दिया है। दो महिलाएं हर पंचायत में कोऑप्टेड होंगी। शायद यह पहला मौका है जब हमने महिलाओं को पंचायतों में लाने का मौका दिया है। इससे महिलाओं में जागृति होगी और गांवों में उनको काम करने का मौका मिलेगा जिससे राजस्थान के महिला-वर्ग में जागृति आयेगी और आगे हमें पथ-प्रदर्शन मिलेगा। राजस्थान जिसको सबसे पिछड़ा हुआ मानते हैं वहां महिलाएं और भी पिछड़ी हुई हैं जो राजस्थान में आज भी पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं ! उस पिछड़े हुए राजस्थान के महिला वर्ग में जागृति पैदा करने का यह जो कदम

(श्री मोतीलाल)

उठाया गया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं । इसी तरह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कोऑप्ट करने का प्रावधान किया है इसके लिये भी सरकार बधाई की पात्र है ।

न्याय पंचायतों की जो रूप–रेखा हमने रखी है वह हिन्दुस्तान में सबसे सुन्दर ढंग की है । मेहता कमेटी की रिपोर्ट में है कि पैनल बनाया जाय, उसमें से न्याय पंचायतें बनें, पर राजस्थान सरकार ने न्याय पंचायतें चुनी हुई गठित करने का प्रावधान रखा है, इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि चुनी हुई न्याय पंचायतें नहीं होनी चाहिये । मेरी यह मान्यता है कि चुनी न्याय हुई पंचायतें ही अच्छा न्याय कर सकेंगी, इसीलिए यह रखा है । इस तरह हम मेहता कमेटी की रिपोर्ट से भी एक कदम आगे गये हैं । न्याय पंचायतें, जिला परिषदें और पंचायत समितियां और पंचायतों के निर्माण के सम्बन्ध में मेहता कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने थी । उसको हमारे सामने रखते हुए हमने यह नया कदम उठाया है कि इन तीनों का गठन चुनाव से करने का प्रावधान रखा है । मेरा यह विश्वास है और सरकार को भी विश्वास है कि चुनी हुई न्याय पंचायतें बहुत अच्छा न्याय करेंगी । पहले हमने जिला परिषदों को पॉवर दिये थे कि वे कोऑर्डिनेट करेंगी पर इसमें हमने रखा है कि पंचायतों को तोड़ने से पहले गवर्नमेंट जिला परिषद की राय लेगी, वहां के प्रधान, एम. पी. द्वारा जानकारी करेंगी और जिला परिषद की राय से उसे भंग करेगी । यह गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, इससे विकेन्द्रीकरण में जिला परिषदों को अच्छा काम करने का मौका मिलेगा ।

न्याय पंचायतों के फैसले की अपील की जो व्यवस्था थी उसके सम्बन्ध में सरकार ने जो कदम उठाया है, सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं । न्याय पंचायतों के फैसले की बाद में अपील न रखी जाय, इस प्रकार का निर्णय लेने से न्याय पंचायतों की शक्ति बढ़ी है । सदन में माननीय सदस्यों द्वारा यह राय दी गई कि इलेक्टेड बोर्ड अपील के लिये न रख कर रिवी-के पॉवर दिये जायं । सरकार ने इसे माना । ५-६ पंचायतों के बीच में एक चुनी हुई न्याय पंचायत है तो वह तहसील पंचायत के बराबर है । अपीलेट कोर्ट के रिविज़नल पॉवर्स मजिस्ट्रेट के पास रखे हैं । न्याय पंचायतों को शक्ति, पॉवर्स ज्यादा दिये है । दूसरी स्टेट्स में १५० से ऊपर के केस नहीं रखे हैं, पर हमने न्याय पंचायतों को २५० तक के केसेज़ दिये हैं । सुविधा की दृष्टि से मुंसिफ और मजिस्ट्रेट को रिवीजनल पॉवर्स दिये गये हैं । डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज को रिवीज़न के पॉवर्स देते तो न्याय और अच्छा और उच्च स्तर का मिलता । मैं मजिस्ट्रेट के कोई खिलाफ नहीं था, मुंसिफ का रिवीजन हाई कोर्ट में होता है, इसलिए कह रहा था । तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमने जो रिवीजन रखा है अच्छा रखा है । मुंसिफ सेलेक्शन होते ही हो जाता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी लॉ पास करते ही हो जाता है, पांच, सात साल तक कोई काम करता है तो उसको अनुभव ज्यादा हो जाता है इसलिये मैं उच्च स्तर के न्याय के लिए डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज के लिए कह रहा था । अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे तो वे कह

(श्री मोतीलाल)

रहे थे कि मैं ऐसी भावना रखता था कि मैं सरकारी अधिकारियों के खिलाफ हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी ऐसी भावना कभी नहीं रही है। डेमोक्रेसी इलेक्टेड और अपॉइन्टेड दोनों से चलती है। काम अपॉइन्टेड ऑथोरिटी के हाथ में ही होता है और होना भी चाहिये।

मैं इस बिल का स्वागत करते हुए मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस तरह शान्ति और गांधीवादी तरीके से इस बिल को पायोलेट किया है उसी तरह इस कानून को एग्ज़ीक्यूट करते समय भी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि जो जो प्रावधान हमने रखे हैं उनका पूरी तरह से पालन हो। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइन्ट करने के और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के रिवीज़न के पॉवर्स रखे हैं तो ध्यान रखें कि यदि और ऊंची ऑथोरिटी को मुकर्रर करते तो ज्यादा अच्छा न्याय मिलता या इनको मुकर्रर करने से अच्छा न्याय मिल रहा है। न्याय पंचायतों को सही रूप में काम करने के दृष्टिकोण से हमने दो प्रावधान रखे हैं :—

(१) यदि पंचायतें ठीक तरह से काम नहीं करें तो एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोविजन

(२) फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को न्याय पंचायतों के खिलाफ फैसलों की अपील सुनने का और रिवीज़न सुनने का।

हमने पंचायतों को पॉवर्स दिये हैं और जब हम साल, दो साल तक यह देख लेंगे कि पंचायतें (न्याय) अपना काम अच्छी तरह से करती हैं और हमने जो उनको पॉवर्स दिये हैं उनका गलत उपयोग तो नहीं करती हैं, तो हम आगे उनको देख सकते हैं, फाइनल ऑथोरिटी दे सकते हैं।

राव कमेटी की रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि हमने पंचायतों को बहुत अधिकार दिये हैं और दूसरी स्टेटों में किसी ने पंचायतों को २५०) रुपया तक के केसेज़ सुनने का अधिकार नहीं दिया है और रिवीज़न फर्स्ट क्लास मेजिस्ट्रेट को सुनने के अधिकार दिये हैं। इस प्रकार का राव कमेटी की रिपोर्ट सेक्शन ४६ है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि आप इसके लिए सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसके साथ साथ मैं माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो दो, एक खामियां रह गई हैं और आइन्दा भी अगर कभी भी दिखाई दें तो उनके लिए संशोधन दुबारा लाकर उनका इम्पलीमेन्टेशन ठीक तरह से करावें।

एक माननीय सदस्य ने कुछ कहा था। उन्होंने यह समझा हो कि शायद मैं जमीदार या जागीरदारों का विरोधी हूं। मैं यह कहूँगा कि आज जमीदारी और बिस्वेदारी नहीं है। आज तो वे समाप्त हो चुकी हैं और आज तो वे भी काश्तकार हैं और हम भी काश्तकार हैं। वे भी मेरे बराबर ही हैं। मैं यह कहूंगा कि उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये। मैं ऐसी भावना नहीं रखता हूं। उनको भी इस प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिये। अब तो सब बराबर हैं। जो भरतपुर स्टेट के रहने वाले हैं वे किसी

(श्री मोतीलाल)

बिस्वेदारी खानदान में से होंगे। मगर अब जागीरदारी और बिश्वेदारी नहीं रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब जमीदारी और बिस्वेदारी आदि समाप्त हो चुके हैं। इसलिए अब कोई भावना नहीं रहनी चाहिये कि वे जमीदार या जागीरदार थे। वह भावना समाप्त कर देनी चाहिये।

श्री लादूराम सुलाणिया (दुदु-सु०) : सभापति महोदय, आज न्याय पंचायत के सम्बन्ध में बिल है उसकी तीसरी रीडिंग हमारे सामने आ रही है। इसके विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय न्याय पंचायतों का बिल हाउस में पेश हुआ उस वक्त हम लोगों ने इसका भरसक विरोध किया था कि इसको हाउस में पास नहीं करके इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे। इसका मतलब यह था कि जो खामियां इसमें हैं और जो आज हम इसको पास करने जा रहे हैं वे खामियां शायद इस समिति के सुपुर्द करने के पश्चात् पूरी हो सकें और उसके बाद यह बिल हाउस में आता तो अच्छा था।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज जो न्याय पंचायत पब्लिक की भलाई के लिये, जनता को सस्ता न्याय देने के लिये, यातायात के खर्चों से उनको बचाने के लिये और दूसरी भी सुविधाएं देने के लिये पास किया जा रहा है इसमें बडी खामियां हैं। वे कमियां क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पास करते हुए भी हमने छोड़दी हैं जिससे राजस्थान सरकार को आगे दिक्कत उठानी पड़ेगी और जिससे मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार के प्रति जनता का जो इसमें विश्वास है कम होगा और लोगों में असंतोष बढ़ेगा। आपने जिस प्रकार शुरू शुरू में ग्राम पंचायतों की स्थापना की और उन पर तहसील पंचायतों को रखा और इसको आज आप हटा कर उसके स्थान पर न्याय पंचायतों की स्थापना करने जा रहे हैं; यह ढांचा जो आप रद्दोबदल करने जा रहे हैं उसमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं होगा और अगर कोई अन्तर इसमें आता है तो महज यह कि राज्य सरकार के कदम और बल-बूते हैं किसी प्रकार मजबूत बने रहें। महज इस नीति को लेकर विकेन्द्रीकरण को सामने रख कर इस ढांचे को बनाने में सरकार प्रयत्नशील हुई है। परन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो ढांचा है इसमें और तहसील पंचायतों में कोई विशेष अन्तर आनेवाला नहीं है। वह चुनी हुई बॉडी थी और न्याय पंचायतें भी चुनी हुई बॉडी हैं और तहसील पंचायतों में भी न्याय लोगों को मिलता था और इन न्याय पंचायतों में भी लोगों को न्याय मिलेगा। इसमें और तहसील पंचायतों में क्या अन्तर है? इसमें देखते हैं तो मालूम होता है कि राज्य सरकार के हाथों में अधिक अधिकार लेने के लिये ज्यादा से ज्यादा विचार इसमें ठूंसे गये हैं। जब तक इनके मन पसन्द चुनाव नहीं होंगे पंचायतों को खत्म कर दी जावेंगी। वहां पर राज्य सरकार का शासन होगा, उनकी बागडोर उनके हाथ में होगी और वे उनकी मर्जी के माफिक न्याय देने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसी स्थिति में हम यह चाहते हैं छोटे से राजस्थान को अगर विकास के कामों में आगे लाना है तो यह उचित नहीं है। जैसी राजस्थान के राज्य की जिनके हाथ में

(श्री लादूराम सुलाणिया)

बागडोर है उनकी भावना में ऐसा परिवर्तन जिससे मनुष्य में मनुष्यता की भावना न रहे, उसको अपने अधिकार नहीं मिलें और उल्टे उनके अधिकार छीने जावें और उनमें इस प्रकार की भावना फैले जिससे मनुष्य अपने अधिकारों से सदा के लिये वंचित रह जाता है, उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि लोगों को न्याय मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा कि अभी अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे और इस विषय को लेकर बोल रहे थे कि हरिजनों को और शिड्यूल्ड कास्ट को बहुत ज्यादा अधिकार दिये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल्कुल गलत है। मैं यह बताऊं कि जिनको दो रोटी मिलनी चाहिये उनकी दो रोटी छीन कर उनको एक टुकड़ा दे दें और फिर यह कहें कि उनको बहुत कुछ दे दिया गया है, यह बिल्कुल गलत हैं। बहुत समय पहले जिस समय देश आजाद था उस समय परिगणित जाति, शिड्यूल्ड कास्ट थी उसका राज्य था। उसके पास से लोगों ने राज्य को छीना और वे लोग आज सारे भारत में शासन कर रहे हैं। पहले उनका राज्य स्थापित था। उसके बाद में कुछ ऐसे तत्व देश में पैदा हुए जिन्होंने देश के मनुष्यों की भावना को बदला और चाहा कि देश का विकास हो और मनुष्य को मनुष्य समझे। आज देश को आजाद हुए १२, १३ वर्ष हुए मगर उनको अधिकार नहीं मिले और यह कहा जाता है कि हमने बहुत ज्यादा अधिकार उनको दे दिये हैं। मैं यह कहूंगा कि यह उन जातियों के प्रति आरोप लगाना सबसे बड़ा घातक शब्द होगा। इसलिये जिनके अधिकार आपने छीने हैं उनको आप अधिकार दें और नहीं देना है वह उनके प्रति जुल्म करना है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार की नीति और भारतवर्ष का संविधान है उसको उठा कर देखते हैं तो हमको हर नागरिक के समान अधिकार मिलने चाहिये, वह नहीं मिले हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पंचायत बिल चल रहा था तो मैंने निवेदन किया कि जो हरिजन हैं और 'हरिजन' शब्द है उसकी कोई जरूरत नहीं। इस शब्द को ही हटा दिया जावे।

(हर्ष-ध्वनि)

श्री रामचन्द्र (डग) : 'हरिजन' शब्द में क्या आपत्ति है ?

श्री लादूराम सुलाणिया: आप किसी भी देश के संविधान को देखिये, किसी जगह 'हरिजन' शब्द आपको नहीं मिलेगा। भारतवर्ष में ही ऐसे अभागे लोग हैं जो 'हरिजन' कहलाते हैं। आज आप किसी भी देश को देखें, सब जगह इसी बात की आलोचना होती है, सब इसी बात की आलोचना करते हैं कि भारत दल गत राजनीति और जातिवाद से भरा है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक देश ऊंचा उठाने के लिये जातिवाद को खत्म नहीं किया जावेगा, जातिवाद के झगड़े नहीं मिटावेंगे तब तक विकेन्द्रीकरण सफल नहीं होगा। एकता नहीं करेंगे, तब तक अपने अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि न्याय पंचायतें बना कर न्याय दें; यह इससे सम्भव नहीं

(श्री लादूराम)

है। यह मैं अर्ज करूंगा कि सच्ची बनायें। राजस्थान में १॥। करोड़ लोग बसते हैं उनमें से ७५ लाख शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं। इस बेसिस पर चुनाव हों और इस बेसिस पर ,चुनाव न करके, कोआॅप्शन से उनको लिया जाय तो मैं कहूंगा कि उनका गला घोंटना है। यदि बराबर अधिकार

(हंसी एवं शोर-गुल)

देना है तो इसको बराबर निकाल दीजिये, 'हरिजन' शब्द नहीं लिखा जाय। यह उनके ऊपर जुल्म है। इससे देश में विकास नहीं हो सकता। विकास की पहली सीढ़ी है कि 'हरिजन' शब्द को निकाल ही दिया जाय। नौकरियों को ले लीजिये। कहते हैं कि १२॥ प्रतिशत नौकरी दी जाय। इतने डिपार्टमेंट्स हैं, पॉवर हाउस हैं, मज़दूर ही मज़दूर काम करते हैं, वहां के सेक्रेटरी को, ऑफिसर को, डाइरेक्टर को जाकर आप कहें कि यहां शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को ले लीजिये, वे कहेंगे कि १२॥ प्रति शत से पहले ही ज्यादा हैं। लेना नहीं चाहते। मज़दूर ही मज़दूर ज्यादा हैं, यह कह कर उनको काम न मिले, और कई जगह यह कह कर कि यहां वेकेन्सीज़ नहीं उनको काम न मिले, यह हालत है शिड्यूल्ड कास्ट की। इसी हाउस में मैंने बताया था कि नियमों के अनुसार वेकेन्सीज रखें तब भी उनको जगह नहीं मिलती है। हमारे राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट के सैकड़ों लड़के हैं, जो सेकिन्ड डिविजन मेट्रिक पास हैं। ५५–५६ में जिन्होंने पास कर लिया उनको आज तक भी कहीं पर नौकरी नहीं मिलती है। एक तरफ तो दुहाई देते हैं....

श्री सभापति: ऑर्डर! ऑर्डर प्लीज़!! बिल पर ही बोलिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): ठीक ही बोल रहे हैं। उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, नौकरियां नहीं देते हैं।

श्री लादूराम : मैं ऐसी बात नहीं बता रहा हूं, सभापति महोदय, जो झूठ है। राजस्थान के इस छोटे से टुकड़े में बसनेवाले लाखों लोगों का गला घोट दिया गया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर! ऑर्डर!! बिल पर ही बोलिये।

श्री लादूराम : यह बिल है, उसी पर बोल रहा हूं। सारे मनुष्यों के अधिकारों के बारे में कह रहा हूं।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि एक हरिजन सदस्य बोलते हैं तो ऐसी बातें हाउस में होती हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़। विधेयक पर ही बोलिये। आप मुझे इसमें कोऑपरेट कीजिये। बिल पर ही बोलिये।

श्री लादूराम : मैं निवेदन करूं कि हाउस में ऐसी परम्परा पड़ गई है कि एक सदस्य बोलता है तो दूसरा उसको रोकने के लिए बोलता है! उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों का अमेंडमेंट होता है....

श्री सभापति : विषय पर आइये।

श्री लादूराम : तो सभापति महोदय, मैं राजस्थान में हरिजनों के अधिकारों के विषय में बता रहा था। न्याय पंचायत में एक सदस्य लेते हैं। ५० प्रतिशत वहां बसनेवाले हरिजन हों तो भी एक आदमी। तो मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर उनके साथ यह अन्याय नहीं है तो क्या है? दूसरी तरफ मैं बता रहा था कि सैकड़ों लड़के योग्यता प्राप्त करके नौकरियों में आना चाहते हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलतीं, यह उनके प्रति अन्याय नहीं है तो क्या है?

श्री सभापति : सर्विसेज़ की बात न कहिये।

श्री मदनसिंह : गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया जा रहा है; उसका आगे जाकर क्या हाल होगा, यह बता रहे हैं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहूंगा कि बोलनेवाले माननीय सदस्यों की अधिक संख्या को देख कर ही ५ मिनट का समय रखा गया था। दो–एक मिनट में ही माननीय सदस्य इसको समाप्त कर देंगे।

श्री लादूराम : मैं तो इस बिल पर बोलता तो छः घंटे ले लेता।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज़। माननीय सदस्य, मैं समझता हूं, दूसरे माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करेंगे।

श्री लादूराम: (जारी) पांच–सात मिनट लूंगा।

मैं तो पहले भी इस बिल पर नहीं बोला था। वित्त मंत्री महोदय इसको सतर्कता से पास करायेंगे; इसलिए पहले नहीं बोला था कि इस बिल को जल्दी ही पास कराना चाहते हैं और ज्यादा बोल कर क्यों टाइम खराब किया जाय। मैं समय का पहले ही से ध्यान रखता हूं।

आप न्याय पंचायतें बना कर लोगों को शिक्षित बनाना चाहते हैं। चाहते हैं कि वे लोग न्याय प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें कमियां रह गई हैं। बहुत ज्यादा कमियां रह गई हैं इसमें। इसमें सिर्फ रिविजन रखा है और अपील नहीं रखी है। इससे न्याय देनेवाले पंच पर असर नहीं पड़ेगा कि क्या फैसला दे रहे हैं। यदि अपील का प्रोविजन होता तो उनको डर होता कि सेशन जजी में जावेगा या हाईकोर्ट में जायगा या हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जावेगा। यह नहीं रख कर रिवीजन रखा है। ऐसी स्थिति में उनकी आत्मा में भय न रहे। यह कमी है इसके लिए राजस्थान सरकार को, मंत्री महोदय को आगे जाकर इसमें चेन्ज करना पड़ेगा, यह हमें विश्वास है। इस प्रकार कई अन्य धारायें हैं। उन धाराओं में जल्दबाजी में कमियां रख दी गई हैं। उनमें अमेन्डमेन्ट लाकर शुद्धियां नहीं की जावेंगी तब तक लोगों को सस्ता, अच्छा न्याय नहीं मिल सकेगा। तो सभापति महोदय, उनको सस्ता और अच्छा न्याय देने के लिए जो हाउस में बैठ कर कानून बनाते हैं उनका सदुपयोग नहीं होगा ; दुरुपयोग होगा तो फिर क्या होगा? इससे जबरदस्त नुकसान होने वाला है।

Page No.107

(श्री लादूराम)

कमियां दूर कराने के लिए लोग प्रयत्नशील रहे लेकिन कमियां दुरुस्त नहीं हो सकीं और दुख के साथ इसको पास । करेंगे लेकिन बताना चाहता हूं कि हमारे यहां की जनता इससे संतुष्ट नहीं हो सकती और इससे उनको आपत्ति के साथ विचार करना पड़ेगा ।

दूसरी बात यह है कि चुनाव प्रणाली जो रखी गई है उसमें बड़ी आपत्ति है । उसमें अमेन्डमेन्ट लाकर दुरुस्त नहीं किया जावेगा तब तक पूरे क्षेत्र में पंचायत राज्य नहीं कायम कर सकेंगे और सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

मैंने इस बिल के विषय में हाउस के सामने निवेदन किया और मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि चाहे अभी तो इसको अपनी मेजोरिटी के बल पर पास करा लें, लेकिन इन कमियों को ध्यान में रख कर नागरिकों की सुख-सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा अमेन्डमेन्ट लाकर राज्य सरकार की ओर से सतर्कता और निष्पक्षता बरतनी चाहिये । यही मेरा निवेदन है ।

सदन के समय एवं कार्य-क्रम में परिवर्त्तन करने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री सभापति : श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, नियम २१८ के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित संशोधन टाइम ऑर्डर में परिवर्त्तन करने हेतु प्रस्तुत करता हूं, अत; स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

(१) दिनांक १८ अप्रैल, १६६० को सदन की बैठक ८ बजे से मध्यान्ह १२.३० बजे तक रखी जाय ।

(२) उस दिन प्रातः ८ बजे से ६ बजे तक प्रश्न काल के स्थान पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६५६ को अग्रेतर विचार तथा पारण हेतु लिया जाय ।

(३) प्रातः ६ बजे से १०.४५ बजे तक गैर सरकारी विधेयक अर्थात् राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १६५८ पर विचार किया जाय तथा शेष समय गैर सरकारी संकल्प के लिए दिया जाय ।

सभापति महोदय, कल आखरी दिन है हमारे सेशन का और कई माननीय सदस्यों को जाना है । इसलिए दोपहर के सेशन का समय न रख कर प्रातः काल से ही सेशन करने के लिए निवेदन किया है ।

दूसरा आपको मालूम है कि टिनेन्सी बिल महत्वपूर्ण बिल है । इसलिए क्वेश्चन अवर न रख कर इस बिल को पारित कर दिया जाय और शेष समय जो नॉन ऑफिशियल बिज़नेस के लिए रखा है उसमें से ६ से १० बजे तक समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक पर विचार किया जाय और उसके बाद के समय में गैर सरकारी संकल्प पर विचार किया जाय ।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : सभापति महोदय, मैंने भी एक प्रस्ताव पेश किया था, उसका क्या हुआ ?

श्री सभापति : एक प्रस्ताव और आया

(श्री सभापति

है। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल इस प्रस्ताव में एक अमेन्डमेन्ट रखना चाहते हैं।

श्री शिवचरणदास : मेरे प्रस्ताव का का क्या हुआ ?

श्री सभापति : उसकी कन्सेन्ट नहीं दी है, धारा २१८ के तहत, मस्ट....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनका क्या प्रस्ताव था, सदन को इस बात की जानकारी तो होनी चाहिये।

४.३० म० प०

श्री सभापति : उस प्रस्ताव की कन्सेन्ट स्पीकर महोदय ने नहीं दी है, इसलिये हाउस में उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : इस प्रस्ताव में मैं एक अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पहले मैं खड़ा हुआ हूं, पहले मैं अपना प्रस्ताव रखूंगा।

सभापति महोदय, नियम २१८ के अन्तर्गत दिनांक १८-४-६० के बिजनेस के संबन्ध में मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव करता हूं। जहां सदन की बैठक दिन के १२॥ बजे तक होना रखा गया है वहां १ बजे तक रखा जाय। और गैर सरकारी संकल्प के लिये जो समय दिया गया है उसके अनुसार १०.४५ से १ बजे तक का समय गैर सरकारी संकल्प के लिये रखा जाय। इस तरह से उस दिन की बैठक प्रातः आठ बजे से मध्यान्ह १ बजे तक रखी जाय।

सभापति महोदय, वैसे भी गैर सरकारी संकल्प के लिये बहुत संघर्ष के बाद समय मिल पाया है। जहां सदन की बैठकें दिन को हुआ करती थीं वहां इस दिन को आपने प्रातः रखने का सुझाव दिया है। जहां आपके हिसाब से साढे चार घंटा कार्यवाही होगी वहां मेरे संशोधन को आप मान लेते हैं तो वह समय पांच घंटे का हो जायगा। वैसे हम रोजाना छः घंटा कार्य करते हैं, उस रोज पांच घंटा ही काम करेंगे। नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलने के लिये इस तरह से सवा दो घंटे मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करें। मेरे प्रस्ताव से गवर्नमेन्ट बिजनेस में किसी प्रकार का हेर फेर नहीं होगा और न राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक के समय में भी अन्तर आयगा। वे तो उसी तरह रहेंगे, केवल गैर सरकारी संकल्प के लिये आध घंटे का समय अधिक मिल जायगा। जहां इस महत्वपूर्ण संकल्प का सवाल है सदन इस तरह से अकोमोडेट करेगा जिससे हमें भी सहूलियत हो सके। एक मेम्बर को १५-१५ मिनट भी बोलने के लिये दिये, गये तो केवल चार, पांच ही व्यक्ति बोल सकेंगे। आप तो इसको रखना भी नहीं चाहते थे, किन्तु सत्य की विजय हुई इस तरह से मेरा निवेदन है कि मेरे इस संशोधन प्रस्ताव को सदन स्वीकार करेगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move my amendment, Sir, that the time be changed on account of heat. It is very warm. So on account of heat, we are changing the time.

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) ; माननीय

(श्री हरिदेव जोशी)

सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं जो माननीय सदस्य ने अभी रखा है। जिस समय इस सारे प्रश्न पर विचार हुआ उस समय इन सारे मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ही इस प्रकार का निर्णय लिया गया था कि नॉन ऑफिशियल बिज़नेस होना है उसको टाइम देने के लिहाज से ही खास तौर से क्वेश्चन अवर को हमने नहीं रखा है, इसके बदले में ऑफिशियल बिज़नेस रखा है। जब भी हमारी मोर्निंग की सीटिंग्ज़ होती हैं उस समय हाउस साढे चार घंटे ही बैठता है। इसलिये इसमें किसी विशेष बात को रखा जाय, यह ठीक प्रतीत नहीं होता। उस दिन कोई खास चीज हो रही हो इसलिये समय बढ़ा दिया जाय या घटा दिया जाय, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि कुल मिला कर हमें कितने घंटा काम करना है, हमारे यहां मोर्निंग की सिटिंग्ज़ में कितना बिजनेस होता है ? अमुक इस चीज को नहीं चाहते कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का समय न मिले, यह जो बात कही गई है यह तो उनके दिमाग की बात है। मैं इसी दृष्टिकोण से कि जो समय हमारे यहां चला आ रहा है सुबह की कार्यवाही में वही समय उस दिन भी तय करना वाजिब है और उसी आधार पर हमने यह तय किया है। उस दिन सारी चीजें नहीं आ सकतीं तो दूसरे दिन रख दिया जाय, यह चीज भी मुमकिन नहीं है। इस तरह से जितना समय मुकर्रर किया गया है वह उचित है, इसलिये सदन उस दिन ८ बजे से १२॥ बजे तक बैठेगा ; यही उचित प्रस्ताव है। अतः इसे ही स्वीकार किया जाय।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं इसको कन्ट्रोवर्सी का विषय नहीं बनाना चाहिये। यदि हम आधा घंटा ज्यादा बैठ लेंगे तो कौनसा बड़ा गजब हो जायगा ? मैं तो यही निवेदन करूंगा कि समय का जहां तक सवाल है उसको एमीकेबली सैटल कर लिया जाय तो ज्यादा उचित रहेगा। हमें जरूरत पड़े तो एक बजे तक क्या उससे ज्यादा समय तक भी बैठना चाहिये।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, जौहरी बाजर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव किया है उसका समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि वैसे तो गैर सरकारी कार्य के लिये पूरा दिन होना चाहिये था। आज आप इस तरह से साढे चार घंटे का समय देकर किसी पर एहसान थोड़े ही कर रहे हैं, उल्टा डेढ़ घंटा कम कर दिया गया। आप बहुमत के आधार पर न्याय संगत चीज़ को भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो हम भी आसानी से अपने अधिकार छोड़नेवाले नहीं हैं। हमको इसके लिये पूरा दिन मिलना चाहिये। समय की कमी को देखते हुए हमने केवल आध घंटा ही तो ज्यादा मांगा है। इस पर भी खींचातान होती है तो मैं समझता हूँ, सभापति महोदय, यह तो कौरवों और पांडवों के युद्ध के समान हो गया। कौरव तो कहते हैं कि हम एक इन्च भी भूमि देने के लिये तैयार नहीं लेकिन आखिर सत्य की जय होती है। हम तो निश्चय के माफिक तैयार होकर आयेंगे। अगर सदन हमारे अनुकूल तैयार नहीं होता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ हम भी अपने अधिकार को छोड़नेवाले नहीं हैं। जिस प्रकार से पहले समय निश्चित था उसी के अनुसार कार्यक्रम शुरू करेंगे। अच्छा तो यह होता कि जो उचित बात है उसे सदन

(श्री शिवचरणदास)

स्वीकार करे।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): सभापति महोदय, भीलवाड़ा से आने वाले और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य की बात मैं मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो प्रस्ताव लाया गया है वह उनकी राय से लाया गया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :मेरी राय एक बजे तक के लिए थी।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह गलत बात है। आप भी इससे सहमत थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह ठीक नहीं कह रहे हैं, मैंने कहा था कि एक बजे तक के लिये समय रखा जाय।

श्री सभापति : Order please !

There is no question of 'राय' Since the motion has been moved in the House, it is in the House now. आपकी राय क्या थी, यह अलग बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :मैंने तो यह राय दी थी कि एक बजे तक समय रखा जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर: सभापति महोदय, ज्यादा कन्ट्रोवर्सी पैदा न हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए साढे बारह बजे तक का समय रखा है वह ठीक है। साढे बारह बजे के बाद काफी गर्मी हो जाती है, इसीलिये यह समय तय किया गया है आशा है। सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की राय क्यों ली गई? मेरी समझ में नहीं आता जब कि टाइम फिक्स करने के लिये बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी बनी हुई है, उसकी राय नहीं ली गई और एक माननीय सदस्य को क्यों पूछा गया?

श्री सभापति : They wanted to adjust between themselves.

श्री श्रीभानसिंह : Then in that case I would like to withdraw myself from the Business Advisory Committee, because it has been bypassed.

श्री सभापति : But this does not concern the Business Advisory Commitiee. One Member has moved a motion and another member has moved his amendment to it.

श्री श्रीभानसिंह : According to the Rules of Procedure, it concerns the Business Advisory Committee to fix the time, and since it has been bypassed and your Honour has also said that it concerns one Member and another, I withdraw myself from the Business Advisory Committee.

श्री सभापति : Every Member has a right to move a motion in the House and another Member has a right to move an amenement to it. They can adjust this between themselves outside the House.

श्री श्रीभानसिंह् : Adjustment of the time of the House is not between the mover of a motion and another member. The Speaker has nominated a Business Advisory Committee for fixing the time and that Committee should oave been consulted, when one hon. Member was consulted- as he says he was consulted. I don't know whether the hon. Member is a member of the Business Advisory Committee or whether he was representing the Hon. Member Shri Bhairon Singh, but the thing is that one member of the Business Advisory Committee was consulted and I was by-passed. Therefore, I have no reason to remain in the Committee.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा हैं उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मोहनलाल भटनागर ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री जनार्दनराय नागर।

राजस्थान पंचायत (संशोधन)
विधेयक, १९६०

(पूर्व क्रम से-पारित)।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सभापति महोदय, जो पंचायत (अमेंडमेंट) बिल आज इस सदन के सामने पारित होने के लिये है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो सामाजिक क्रान्ति हो रही है उस दृष्टि से यह एक बहुत बड़ा कदम है।

जब हमने विकेन्द्रीकरण इस राजस्थान में लागू किया तब इस बात की आशंकाएं थीं कि हमारी जो विकेन्द्रित व्यवस्था है समाज की और राजकरण की उसमें सफलता हमें शायद मिले या न मिले, पर हमने थोड़े ही समय में देखा कि विकेन्द्रीकरण राजस्थान में न केवल हम जनसंख्या की चेतना, शासन की दृष्टि से ही, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर साथ ही हममें वह शक्ति भी आ रही है कि जहां तक हमारे ग्राम्य क्षेत्र हैं वहां पर न्याय की सत्ता को भी विकेन्द्रित कर दें और साथ साथ राज्य के द्वारा दिये गये विकास के कामों को भी उसे सौंप दें।

आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सत्ता का अधिक से अधिक विधिवत् विकासशील विकेन्द्रीकरण करें। हमने विकेन्द्रीकरण के द्वारा विकास का काम करने के लिये पंचायत समितियां और जिला परिषदों का निर्माण किया। पर जब तक पंचायतों का सारा ढांचा इस तरह का नहीं कर दिया जाता कि वस्तुत: गांव की छोटी छोटी इकाइयों में बंटे हुए लोग इस बात को अनुभव करें कि उनके पंचों के हाथ में न्याय सत्ता भी आ गई है, तब तक मैं मानता हूं कि कोई भी वास्तविक जनतन्त्र पद्धति विकसित और प्रभावशील रूप से नहीं चल सकती।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): On a Point of Information. This Bill was scheduled to be passed today by 5 P. M.

(श्री पी. के. चौधरी)

So what time has been allotted to the Hon'ble Minister for reply ?

श्री सभापति : Immediately after Shri Nagar concludes the Hon'ble Minister will reply and I will request Shri Nagar to consolidate his debate within five minutes.

श्री जनार्दनराय नागर : एक आशंका इस बात की उठाई गई थी कि कोई रिवीज़न की सत्ता मुन्सिफ और न्यायाधीश को देने पर हम पीछे कदम तो नहीं ले जा रहे हैं और इस बात की ओर इंगित किया गया कि शायद हम इससे अपनी जनता में विश्वास नहीं करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह करके यह हमने नहीं किया है कि जनता में हमारा विश्वास नहीं है।

यह जरूर है कि किसी भी जनतन्त्रीय समाज व्यवस्था के लिये इस बात को मान्यता देना जरूरी है कि हम जनता में विश्वास करें। ऐसी स्थिति में यह सुन कर अफसोस होता है कि हम जनता में विश्वास नहीं करते। जो स्वयं जनता में से निकल कर ऊपर आते हैं वे इस तरह की बातें करने लगते हैं तो मुझे अफसोस होता है। हमारे भारत की प्राचीन परम्परा रही है कि हम पंचों को परमेश्वर के बराबर मानते हैं। मैं इसे धार्मिक दृष्टि से उपयोग नहीं करना चाहता, पर मानता हूं कि जो निर्वाचित इकाई है, जो प्रभु-सत्ता सम्पन्न इकाई है उसे न्याय की व्यवस्था भी सौंप दें तो ठीक होगा। मैं मानता हूं कि छोटे छोटे पंचायतों की इकाइयां करके न्याय पंचायतों के साथ समन्वय करके जिला परिषद् तक जो व्यवस्था की है उससे पंचायत राज का ऊपर से नीचे तक का एक ढांचा बन गया है। इसको सफलतापूर्वक चलाने की हमारी नीति है। पर यह कुछ ऐसा भी है कि हमारी परीक्षा भी हो रही है। यदि हमारी जनतन्त्र के प्रति एकनिष्ठा है तो कोई कारण नहीं कि हम इसके अनुसार ही अपने राज्य की व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि आगे जाकर हमारे राज्य के ऊपरी स्तर में भी न्यायाधिकरण को और राज्य के तन्त्र को अलग अलग कर देंगे।

इस एक्ट को लागू करने के बाद जो सबसे बड़ा फलितार्थ उत्पन्न होने वाला है वह यह है कि हम जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अधिक दिन एक करके नहीं रख सकेंगे, इनको जल्दी ही हमें अलग अलग करना पड़ेगा। जब ऐसा कर पावेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में पंचायत राज्य को पूरे रूप में हम पुनर्स्थापित कर पावेंगे। मैं मानता हूं कि इस बिल के द्वारा वह परिस्थिति धीरे धीरे लाई जा रही है जिससे हम आगे जाकर जिला स्तर पर न्याय प्रशासन को विकेन्द्रित कर सकेंगे और जुडिशियरी को अलग कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

(श्री शिवचरणदास के बोलने को खड़े होने पर)

श्री सभापति : Now there is no time. Hon'ble Minister will reply now, as we have to pass the Bill by 5 P.M.

श्री शिवचरणदास (मांडल) : पांच मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति : समय नहीं रहा है और १५ मिनट उत्तर देने में लगेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मन्त्री): माननीय सभापति महोदय, अब यह बिल पारित होने की अवस्था में है। इन सात, आठ दिनों में जिन माननीय सदस्यों ने भिन्न भिन्न रूप में इसको निर्दोष बनाने के लिये अपने उत्तम और उपयोगी सुझाव दिये हैं उनके सहयोग से जो कुछ उसका अन्तिम रूप बना या बना पाये हैं, उनको मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं।

यह बताया गया कि अभी इस बिल में कुछ खामियां और रह गई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन थोड़े दिनों में, सात, आठ दिनों में मैंने यह कोशिश की है कि जितने भी उपयोगी सुझाव इधर से या उधर से आवें. इसका ख्याल किये बगैर, कि किस ओर से ये आये हैं अथवा किसने किस भाषा का प्रयोग किया है, मैंने कोशिश की है कि उसमें से सार ग्रहण किया जावे और इस सार का उपयोग करके इस बिल को जहां तक बन सके निर्दोष बनाने की कोशिश की जावे।

इस बिल की जो व्यवस्था है, वह यह है कि जो पंचायत के पास न्याय का काम था, उसको उनसे अलहदा किया गया है, इस ख्याल से कि जिससे जनता को वास्तविक न्याय मिल सके, और जहां तक हो सस्ता न्याय भी मिल सके। अब ग्राम पंचायत के पास भी इसका भार हल्का हो जावेगा और इसके स्थान पर प्रशासन का और विकास का काम वह अधिक लगन से कर सकेंगी। इसमें वे अधिक समय और अधिक शक्ति लगा सकेंगीं और साथ ही न्याय का काम होने से जो पेचीदगियां होती थी वे भी दूर हो जावेंगी।

साथ ही न्यायाधिकरण की स्वतन्त्र व्यवस्था होने से जनता को भी उसमें अधिक विश्वास होगा और उनके न्याय में किसी प्रकार के और कोई दूसरे कन्सीडरेशन्स जो आते थे पहले, वे अब नहीं आ पावेंगे।

दूसरे, इसमें कुछ ऐसे संशोधन पेश किये गये हैं जिनसे कुछ माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि सरकार ने अपने हाथ में कुछ सत्ता रखने की कोशिश की है जो बात उनमें ख्याल में नहीं रखनी चाहिये थी। मैं बताना चाहता हूं कि इतने दिनों के अनुभवों के बाद जो ऐसे उदाहरण हमारे सामने आये जिनमें सत्ता का दुरुपयोग हुआ हो, या सही तौर पर न्याय नहीं हुआ हो, उनको ही ध्यान में रख कर कुछ ऐसी थोड़ी सी बन्दिश लगाई है कि जिससे पंचायतों का काम अच्छा चले, जनता का उसमें विश्वास जमे, कि पंचायतों के द्वारा वास्तव में ही सही न्याय मिलता है और वह सत्ता का दुरूपयोग नहीं करती। इन सबके पीछे केवल यह दृष्टि हमारी रही है। इससे भी मुख्य दृष्टिकोण सरकार का इन सब के पीछे यही रहा है कि दिन प्रति दिन जनतन्त्र और विकेन्द्रीकरण को आगे बढ़ाया जावे और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को बल और प्रतिष्ठा दी जावे। इसी दिशा में चलने से इस जनतंत्र के परीक्षण में हमें सफलता मिल सकती है। यह बिल्कुल सही है कि इस जनतंत्र में एक ओर से जनता के लाखों प्रतिनिधि और दूसरी ओर से राजकीय सेवाएं, इन दोनों के सहयोग से ही राज्य का प्रशासन और विकास का काम अच्छी तरह हो सकेगा; इस बिल में इस बात की कोशिश की गई है कि एक ओर जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जावे वहां राज्य के

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

सरकारी अधिकारियों की सेवा का पूरे रूप से सहयोग लिया जा सकता हो वहां उसको लिया जाये। इन दोनों दृष्टिकोणों को रखते हुए इस बिल में आवश्यक संशोधन किये गये हैं। मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से इस सदन में माननीय सदस्यों ने सहयोग दिया है उसी प्रकार से इस बिल के अनुसार सहयोग की और वास्तविक न्याय की भावना फैलाने में और ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में भी उनका हमें पूरा सहयोग मिलेगा।

अब यह आशंका प्रकट की गई कि इसमें न्यायाधिकरण में निर्वाचित प्रतिनिधियों को महत्व नहीं दिया गया है जो कि अपीलेट कमेटी निर्वाचित बना कर पहले दिया जानेवाला था। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यदि सदन को यह प्रावधान स्वीकार हो जाता तो प्रजातंत्र की दिशा में हमारा कदम आगे ही बढ़ता। लेकिन प्रजातंत्र में कोई बात डिक्टेटोरियल ढंग से नहीं चलाई जा सकती चाहे वह कितनी ही अच्छी बात हो। जब तक कि लोकमत के कोई चीज़ अनुकूल नहीं हो तब तक उस विचार को आगे नहीं ले जाया जा सकता। जहां तक इस सदन का सहयोग मिला और सदन की भावना मिली तो मैंने कोशिश की कि उनकी भावनाओं का आदर करते हुए इस विधेयक को अच्छे से अच्छा बनाया जाये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जो आपने अमेंडमेंट रखा था वह तो डेमोक्रेसी को बड़ा स्ट्रेन्थन करने के लिए था और बड़ा प्रोग्रेसिव था। लेकिन सदन ने राय दी उसको अकोमोडेट करने लिए यह अमेंडमेंट लाये तो यह तो आपने रीट्रोग्रेड अमेंडमेंट पेश किया....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पूरा सुन लीजिए।

श्री श्रीभानसिंह : मैंने पूरा ही सुना था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी नहीं सुना है आगे का वाक्य।

श्री श्रीभानसिंह : नहीं, नहीं मैंने पूरा सुना है। आपने कहा है कि व्यक्तिगत राय से जो अमेंडमेंट था इलेक्टेड बॉडी अपीलेट कमेटी को रखने का, तो वह प्रोग्रेसिव था लेकिन सदन की राय को देखते हुए और उनको एकोमोडेट करने के लिए अमेंडमेंट लाये तो यह तो रीट्रोग्रेड है यानि डेमोक्रेसी को स्ट्रेन्थन करनेवाला नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य धीरज रख लेते तो उनके मन में असन्तोष नहीं होता। मैं यही कहने जा रहा था दूसरे वाक्य में ...

श्री श्रीभानसिंह : आपने यह कह कर फुलस्टॉप लगा दिया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं तो यही कहने जा रहा था ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : फुलिश टॉक कहा या फुलस्टॉप कहा ?

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble Member is mis-spelling the word and then it amounts to an aspersion on the Hon'ble Minister.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : No. no.

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble Member is used to using these third rate words in the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Not at all.

श्री श्रीभानसिंह : You have used.

श्री सभापति : Hon'ble Members should not enter into such controversies.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Member must be prevented from distorting things.

श्री सभापति : He himself is very responsible Member and I think due to some mis-understanding he must have used the word.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आगे सभापति महोदय मैं समझता हूं कि....

श्री सभापति : Order. ! Order Please !! Yes, Hon'ble Minister.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि यदि निर्वाचित अपीलेट कमेटी बन जाती तो हम प्रजातंत्र की दिशा में मेरे ख्याल के अनुसार बहुत आगे बढ़ जाते । यह मतलब था मेरे कहने का ।

श्री श्रीभानसिंह : हां, तो यही तो मैं कह रहा हूं ....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए । मेरे सुनने के बाद यदि आप उससे सहमत न हों तो बोल लीजिए ।

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble Minister replying on behalf of Government ? यानी आपने पर्सनल व्यूज़ रख कर गवर्नमेंट के व्यूज़ रख रहे हैं ।

श्री सभापति : He is replying on behalf of Government and he wants to speak fully.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं इस सरकार की तरफ से बोल रहा हूं और सरकार की नीति निश्चित है कि प्रजातंत्र की तरफ आगे बढ़ा जाये और हर दिशा में आगे बढ़ा जाये ।

श्री श्रीभानसिंह : And, therefore, the Appeal Committee should have been there.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेहरबानी करके सुन लीजिए और अगर बोलने नहीं देना चाहते हैं तो बोल लीजिए, यह लीजिए । मुझे कहने भी नहीं देंगे, सुनेंगे भी नहीं मेरी बात ।

श्री श्रीभानसिंह : मैं तो यही कह रहा हूं कि यह तो दोनों रीट्रोग्रेड हैं ।

श्री सभापति : He wants to advance his arguments. We should hear him.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पहले उनका सुनाना खतम हो जाये, आप कह लीजिए जितना कहना चाहते हैं ।

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Members not to enter into direct discussions. Whatever they want to speak, they should address the Chair.

श्री श्रीभानसिंह : फिर तो पहले बिल पास कर दीजिए, आप।

श्री सभापति : Yes, the Hon'ble Minister will continue.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो जो मैंने स्वीकार किया है हम पीछे नहीं हटे हैं, यह मैं कहना चाहता था।

श्री श्रीभानसिंह : तो फिर क्या....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सुन तो लीजिए। पीछे नहीं हटे हैं। जो मैंने स्वीकार किया है उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं बल्कि न्याय पंचायतों को अधिक अधिकार देने की दिशा में एक तरह से आगे बढ़े हैं, यह मैं कह रहा था। सुना तो है नहीं माननीय सदस्य ने और बीच में बोलने लग गए।

तो, माननीय सभापति महोदय, मुझे यही निवेदन करना था कि इस बिल में इस बात की चेष्टा की गई है कि प्रजातंत्र के विकेन्द्रीकरण की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। साथ ही साथ सीधा और सस्ता न्याय देने के लिए जितनी गुंजाइश इसमें की जा सकती थी वह करने की कोशिश की है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि वे इस बिल को पारित कर दें।

एक माननीय सदस्य : एक क्लेरीफिकेशन आपसे पूछ सकता हूं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, समय हो गया है और इस बिल को आज ही पारित करना है।

एक माननीय सदस्य : ये जो न्याय पंचायतें हैं कोई तारीख आपने मुकर्रर की है कि तब से न्याय पंचायतों को आप लायेंगे ?

श्री सभापति : Hon'ble Members please. Let him finish his debate.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो न्याय पंचायतें हैं ...

श्री श्रीभानसिंह : आपने रूलिंग दी है, तो माननीय मंत्री महोदय कह देते हैं कि प्रश्न क्या है ! तो या तो पहले प्रश्न पुट कर लिया जाये....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) **:** आपने कहा कि जल्दी न्याय पंचायत बनाने की कोशिश की जायगी लेकिन कोई तारीख इसमें निश्चित नहीं की जा रही है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सभापतिजी, आप शायद उस वक्त मौजूद नहीं थे। मैंने कहा था कि ३० अक्टूबर तक सब पंचायतों का चुनाव हो जायगा। नई पंचायतें ३० अक्टूबर से लेकर दिसम्बर तक काम करने लग जयेंगी, यह मैं कह चुका हूं।

(करतल-ध्वनि)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६०

(श्री सभापति)

को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६० पारित किया गया

सदन की कार्यवाही १८ अप्रेल, १६६० के ८ बजे प्रातः काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४. ४६ बजे, सोमवार, दिनांक १८ अप्रेल, १६६० के ८.०० बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, १६ अप्रैल, १९६०)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	८५५६	आबू रोड पर राज्य यातायात की बसें।	
भालेरी रोड़ के गैंगमैन व मेट को नौकरी से अलग करने के सम्बन्ध में।		पाली के भूतपूर्व नगरपालिकाध्यक्ष द्वारा उच्छुल के जाव के पास पुरुषार्थियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को जमीन का अलॉट-मेंट।	
नीम का थाना तहसील में स्थित झील को रमणीक स्थान बनाने की योजना।		डाबला-कोटपुतली रोड।	
सेवर से हेलक होती हुई कुम्हेर को जानेवाली सड़क की मरम्मत।		आदर्शनगर, जयपुर में सड़कों, सार्वजनिक नलों एवं रोशनी की अव्यवस्था के बावजूद भी नगरपालिका द्वारा गृह कर की वसूली।	
लार्ज स्केल सोसाइटी, मोहनपुरा, तहसील किशनगढ़ में गबन का मामला।		अजमेर स्टेट पुलिस रेडियो ऑर्गेनाइजेशन का राजस्थान के पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेशन।	
तहसील बामनवास के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में राजमार्ग निर्माण कार्य।		गजनेर तथा कोड़मदेसर के बीच वर्षा से प्रभावित बिजली के खम्भे की मरम्मत।	
सन् १९६१ से पूर्व जयपुर-मकराना बिजली लाइन।		फलोदी एवं शेरगढ़ तहसीलों की सड़क निर्माण-योजना।	
नगरपालिकाओं पर जमीन बेचने के अधिकारों पर रोक लगाने पर भी बेगूं म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जमीन का बेचना।			

स्तम्भ

गंगापुर-करोली तथा दौसा-गंगापुर को बिजली की लाइन।

श्री मोतीलाल वैद्य, लोसल के विरुद्ध जनता की शिकायतें एवं उनकी जांच।

बुरासना बन्ध तहसील रामगढ़, जिला जयपुर पर मिट्टी खुदाई व भराई कार्य।

श्री समुद्रसिंह द्वारा गंगासिंह की औरत को धोखा देकर भगा ले जाने के संबंध में।

राणा प्रतापसागर बांध से विद्युत उत्पादन एवं उसका वितरण।

जोधपुर-बालोतरा सड़क को डामर रोड बनाने का कार्य।

राजस्थान केनाल द्वारा सिंचाई योजना।

गवर्नमेंट होस्टल, जयपुर के कर्मचारी।

अजमेर में अधिकारियों के बंगलों में लकड़ी की जगह सीमेंट की चोखटें।

ठिकाना खेतड़ी के गेस्ट हाउस के

स्तम्भ

सूरजा पुत्र छोटू हरिजन को वेतन का भुगतान।

भरतपुर शहर में हरिजनों के मोहल्लों में पानी के नल।

राजस्थान विद्युत राज्य मण्डल में नियुक्तियां।

स्थगन प्रस्ताव ८५२८

दिनांक १६-२-६० को पुलिस थाना बयाना द्वारा हटीला जाटव को एक चोरी के सिलसिले में हिरासत में लिये जाने आदि से संबंधित जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचना सर्व श्री मोगजी भाई तथा सतीशचन्द्र अग्रवाल ने दी थी उन्हें सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

इस विषय पर श्री रामकिशोर व्यास, गृह मन्त्री, ने एक वक्तव्य भी दिया।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० ८५४५

उपरोक्त विधेयक पर आज भी

खण्डशः विचार जारी रहा :-

खण्ड ६९ :-बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड ७० व ७१ :-संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड ७२ :-बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया

खण्ड ३७, ३८ व ४० :-संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड ५२ :-बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड ५६ :-संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ५९, ६२ व ६३ :-बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड ६५ व ६८ :-संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

निम्नांकित खण्डों पर पुनर्विचार किया गया :-

(१) खण्ड २१ व २३ :-संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

(२) खण्ड ४१ :-विलोपित किया गया।

खण्ड १ आदि :-स्वीकार किये गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, मन्त्री, पंचायत विभाग, के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, निम्नांकित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये :-

१. श्री भीमानसिंह
२. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
३. श्री रामचन्द्र
४. श्री मोतीलाल
५. श्री लादूराम सुलाणियां
६. श्री जनार्दनराय नागर

मन्त्री महोदय के उत्तर के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

सदन के कार्य-क्रम में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव ८६६८

श्री सोहनलाल भटनागर ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया :-

" १. दिनांक १८ अप्रेल, १९६० को सदन की बैठक प्रातः ८ बजे से मध्यान्ह १२-३० बजे तक रखी जाय।

Page No.121

२. उस दिन प्रातः ८ से ६ बजे तक प्रश्न काल के स्थान पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६५६ को अग्रेतर विचार तथा पारण हेतु लिया जाय।

३. प्रातः ६ बजे से १०—४५ बजे तक गैर सरकारी विधेयक अर्थात् राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १६५८ पर विचार किया जाय तथा शेष समय गैर-सरकारी संकल्प के लिये दिया जाय।"

सदन की बैठक ४ बज कर ५६

मिनट पर सोमवार दिनांक १८ अप्रेल, १६६० को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

सोमवार, दिनांक १८ अप्रेल, १६६० की कार्य-सूची।

(१) जनलेखा समिति, १६५६—६० के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

(२) राजस्थान भू-धारण (संशोधन) विधेयक, १६५६ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

(३) राजस्थान समाज शिक्षण बोर्ड विधेयक, १६५६ (प्रवर समिति को)

(४) वर्तमान नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०६५ का उत्तर देखिए)

APPENDIX 'B'

Description of the vacancies and their filling up.

S. N.	Description of posts.	No. of vacancies on 1.11.56	Posts filled after 1.11.56	Method of filling up.	Name and post held by the incumbent before promotion.	Date of promotion order.
1.	S. Is.	19	15	Seniority cum merit basis.	1. Sri Atamprakash.	27.3.57
					2. " Nemi Chand.	29.10.57
					3. " MahabirPrasad.	"
					4. " Ramlal.	"
					5. " Hari Shankar.	"
					6. " Bharat Singh.	"
					7. " Kishan Lal.	"
					8. " Daman Singh	"
					9. " Khoob Chand.	"
					10. " Shyam Sunder.	"
					11. " Ram Singh.	"
					12. " Vijai Singh.	"
					13. " P.A. Chandran	"
					14. " Brijnath.	"
					15. " Dhaney Singh.	"
2.	A. S. Is.	13	—	—	—	
3.	Constables.	1	—	—	—	

APPENDIX 'C'

EXTRACT FROM "THE STATES REORGANIZATION ACT, 1956."

115. PROVISIONS RELATING TO OTHER SERVICES:— (1) Every person who immediately before the appointed day is serving in connection with the affairs of the Union under the administrative control of the Lieutenant-Governor or Chief Commissioner in any of the existing States of Ajmer, Bhopal, Coorg, Kutch and Vindhya Pradesh, or is serving in connection with the affairs of any of the existing States of Mysore, Punjab Patiala, and East Punjab States Union and Saurashtra shall, as from that day, be deemed to have been alloted to serve in connection with the affairs of the successor State to that existing State.

(2) Every person who immediately before the appointed day is serving in connection with the affairs of an existing State part of whose territories is transferred to another State by the provisions of Part II shall, as from that day, provisionally continue to serve in connection with the affairs of the principal successor State to that existing State, unless he is required by general or special order of the Central Government to serve provisionally in connection with the affairs of any other successor State.

(3) As soon as may be after the appointed day the Central Government shall, by general or special order, determine the successor State to which every person referred to in sub-section (2) shall be finally allotted for service and the date with effect from which such allotment shall take effect or be deemed to have taken effect.

(4) Every person who is finally allotted under the provisions of sub-section (3) to a successor State shall, if he is not already serving therein, be made, available for serving in that successor State, from such date as may be agreed upon between the Governments concerned, and in default of such agreement, as may be determined by the Central Government.

(5) The Central Government may by order establish one or more Advisory Committees for the purpose of assisting it in regard to:—

(a) the division and integration of the services among the New States and the States of Andhra Pradesh and Madras, and

(b) the ensuring of fair and equitable treatment to all persons affected by the provisions of this section and the proper consideration of any representations made by such persons.

(6) The foregoing provisions of this section shall not apply in relation to any person to whom the provisions of section 114 apply.

(7) Nothing in this section shall be deemed to affect after the appointed day the operation of the provisions of Chapter I of Part XIV of the Constitution in relation to the determination of the conditions of service of persons serving in connection with the affairs of the Union or any State.

Provided that the conditions of service applicable immediately before the appointed day to the case of any person referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall not be varied to his disadvantage except with the previous approval of the Central Government.

116. PROVISIONS AS TO CONTINUANCE OF OFFICERS IN THE SAME POSTS:—(1) Every person who immediately before the appointed day is holding or discharging the duties of any post or office in connection with the affairs of the Union or of an existing State in any area which on that day falls within another existing State or a new Part A State or a Part C State shall, except where by virtue or in consequence of the provisions of this Act such post or office ceases to exist on that day, continue to hold the same post or office in the other existing State or new PartA State or PartC State in which such area is included on that day, and shall be deemed as from that day to have been duly appointed to such post or office by the Government of, or other appropriate authority in, such

State, or by the Central Government or other appropriate authority in such Part C State, as the case may be.

(2) Nothing in this Section shall be deemed to prevent competent authority, after the appointed day, from passing in relation to any such person any order affecting his continuance in such post or office.

———

APPENDIX 'D'

Abstract copy of sub para(C) of Para 2 of the decision of the Services Integration Committee:—

Para 2 (C) ASSISTANT S. Is. :—These posts now exist only in the Wireless Branch of the Rajasthan Police Deptt. In the Ajmer State there are seven Head Consts. and 21 Consts., the former working as Supervisors and the latter as Operators. It was decided that all the seven Head Consts. should be absorbed as A.S. Is. and that 21 Consts. should be similiarly absorbed as A. S. Is. according to their seniority and number of vacancies available.

PARA 5 SENIORITY. As regards Ajmer Wireless Head Consts. and Consts. those of them who will be promoted as A. S. Is. will take seniority as from Ist Nov. 1956 in the Rajasthan A. S. Is. Codre.

————

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०६७ का उत्तर देखिये)

तहसील शेरगढ़ तथा फलोदी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बननेवाली सड़कों की सूची

१. ग्रेविल रोड ओसेन से फलोदी वाया लोहावत

२. ग्रेविल रोड डेच्चू से मथानिया वाया चामू तथा टिनवारी

३. ग्रेविल रोड पोकरन से नोखा वाया फलोदी तथा बाप

४. ग्रेविल रोड फलोदी से पोकरन वाया रामदेवरा।

५. एप्रोच रोड मालार झील।

परिशिष्ट ३

[कृपया (स्थगित) तारांकित प्रश्न संख्या ८१६ का उत्तर देखिये]

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

(Accounts Branch)

Statement showing particulars about retired re-employed personnel in Accounts Orginisation.

S. No.	Name	Designation	Pay.	Date of Appointment	Special Qualifications.	Bonafide residence	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Shri Nek Ram Sood	(i) Accounts Officer. (ii) Dy. Secretary. (Accounts)	Rs. 427.96 plus pension & allowances	(i) 28.2.59. (ii) 9.11.59.	He has varied Experience of 35 years in Punjab Electricity Department.	Chandigarh. (Punjab)	Retired on 27.2.59.
2.	Shri P. R. Bootra.	Accounts Officer.	Rs. 426.35 plus pension and other allowances.	10.10.59.	About 34 Yrs. service in the Indian Audit and Accounts Department and retired as an Assistant-	Jaipur. (Rajasthan)	Retired on 2.3.58.

1	2	3	4	5	6	7	8
					Accounts Officer on 2.3.58 from Accountant General, Rajasthan, Jaipur also re-employed in the Finance Department, Rajasthan.		
3.	Shri Wazirchand Sehgal.	(i) Superintendent. (ii) Budget Officer	Fixed pay. Rs. 300.00 and other allowances.	(i) 9.12 58 (ii) 10.9.58.	He is retired hand of the Punjab Electy. Deptt. having 36 yrs. of experience in various Deptts. He was laterly re-employed in M.P. before appointment in the R. S. E. B.	Delhi.	Retired on 5.2.58.
4.	Shri Dayal Lal Puri.	Accounts Officer.	Not yet fixed.	1.3.60	Service in Audit & Accounts Deptts. for 20 yrs. (i) C. A. O. in Central Excise & Customs for 6 yrs. (ii) Principal, Accounts Training School under	Settled in Jaipur for the last three yrs.	Retired on 31.8.56.

1	2	3	4	5	6	7	8
					Finance Deptt. Raj. for 3 yrs.		
5.	Shri R.N.Saxena.	Accounts Officer.	Rs. 204.00 plus pension and other allowances.	Nov., 1956.	42 yrs. experience in Indian Audit & Accounts & other various deptts. He retired from A. G., Rajasthan in July, 56.	Jaipur. (Rajasthan)	Retired on 13.3.56. His appointment was made in the E.&M. Deptt. & was continued by the Board on short term extensions.
6..	Shri C.B. Lal.	O.S.D. (Coal)	Rs. 551.50 plus pension & other allowances.	1958 Exact date not available.	Not available.	Alwar. (Rajasthan)	" "

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Shri Tikam Das Purohit.	Internal Auditor.	Rs. 250.00 fixed pay plus pension & other allowances.	1.12.58.	30 yrs. experience of Audit Accounts and Estt.	Jodhpur. (Rajasthan)	Retired on 24.8.58.
8.	Shri Narain Das Bora.	Stock Verifier	Rs. 142.75 np. plus other allowances.	21.7.59	Clerk in Electric Deptt. in the Jodhpur State and Rajasthan Govt. for 27 yrs. 8 yrs. experience as Store Keeper and Stock Verifier.	Jodhpur. (Rajasthan)	Retired on 30.1.59.

परिशिष्ट

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

(General Administration Branch)

Statement showing particulars about retired re-employed personnel in the Boards' General Administration Branch.

S. No.	Name	Designation.	Pay.	Date of appointment.	Special Qualifications.	Past residence.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Shri Devi Das Lodha.	Superintendent.	Rs. 195.00 excluding retiring benefits.	9.6.58.	Retd. Office Superintendent.	Jodhpur. (Rajasthan)
2.	Shri Nand Lal Gupta.	Superintendent.	Rs. 195.00 excluding pension etc.	23.6.58.	Retd. Office Superintendent of Govt. Secretariat.	Jaipur. (Rajasthan)
3.	Shri Ram Kishor Mathur.	U. D. C.	Rs.118.00 excluding pension etc.	22.4.58.	Retd. U. D. C.	Jaipur. (Rajasthan)
4.	Shri Man Mohan Lal-Mathur	U. D. C.	Rs. 75.00 excluding pension etc.	13.11.59.	Retd. U. D. C.	Jaipur. (Rajasthan)

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
5.	Shri J. P. Martin.	U. D. C.	Rs. 200.00 excluding retiring benefits.	24.2.60	Retd. Inspector Police.	Jaipur. (Rajasthan)
6.	Shri Girdhari Lal.	U. D. C.	Rs. 80.00 excluding Retiring benefits.	2.3.60.	Retd. U. D. C.	Jaipur. (Rajasthan)
7.	Shri Brahm Deo Bhargava.	L. D. C.	Rs. 60.00 excluding Retiring benefits.	5.2.60.	Retd. L. D. C.	Jaipur. (Rajasthan)
8.	Shri Mitha Datt Mathur.	L. D. C.	Rs. 60.00 excluding Retiring benefits.	11.3.60.	Retd. U. D. C.	Jaipur. (Rajasthan)

S. No.	Name.	Designation.	Date of appointment.	Grade.	Qualification.	Past Exp, if any.	Date of Birth & age.	Bonafied Residence Based on his address given on 1st. Apptt.	Whether retired.	Salary at the time of Retirement.	Remarks.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Shri P. M. Changappa.	Addl. Chief Engineer.	5. 11. 56.	1750/-fixed. Pay	B. E. A. M. I. E.	S. E. Madras State Elec. Deptt.	24. 1. 1900.	Bangalore.	Yes.	1100/-	Expert in Construction of High Tension lines.
2.	„ R. P. Sareen.	Supdtg. Engineer.	14. 10. 58	950-50-1400.	D. M. E. C (A Grade) A. M. I. E. (India)	Electrical Engr. in C. W. P. D. (Central Govt.)	23. 10. 1904 (55½ yrs.)	Displaced person from Pakistan	Retired re-employed.	1100/-	No such qualified and experienced hands were available at that time.
3.	„ H. S. Bijlani.	Asstt. Engr.	20. 8. 58.	250-25-500-EB-25-750.	N.E.D. (Civil) Engineering Karachi.	20 year service in P. W. D. Bombay.	1. 3. 1902.	—do—	—do—	—	—do—
4.	„ Sita Ram Bhatnagar.	Asstt. Engr.	14. 10. 58.	—do—	—	32½ years service in P. W. D. Elect. Branch. Punjab.	14. 1. 1903.	Punjab.	—do—	300/—	—do—
5.	„ Misri Lal.	Asstt. Engr.	31. 12. 58.	—do—	—	Long service.	1. 10. 1904.	Rajasthan.	—do—	375/—	—do—
6.	„ N. K. Sakxena.	Asstt. Engr.	21. 8. 59.	—do—	—	Retired hand.	21. 8. 1904.	—do—	—do—	550/—	—do—
7.	„ Abnash Chandra.	Asstt. Engr.	11. 4. 60.	—do—	—	—do—	23. 9. 1903.	—do—	—do—	550/—	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Shri Mohan Lal Mathur.	Office Supdt.	19. 12. 59.	Rs. 150-10-220-EB-10-250-12½-300.	—	Retired O. S. of the Office of the S. E. (Chambal)	19. 12. 1904.	Jodhpur.	Yes.	200/—	
2. " Subhkaran.	Cashier (U.D.C.)	5. 2. 60	Rs. 80-5-120-EB-8-160-10-200.	—	Retired Cashier of the Office of the X EN (G), Jaipur.	5. 2. 1905.	Jaipur.	Yes.		
3. " Rudradutt.	Office Supdt.	11. 7. 1960.	Rs. 175-10-245-EB-10-275-12½-350-	—	Retired O. S. of the Office of the C. E., R. S. E. B, Jaipur.	11. 7. 1905	Jodhpur.	Yes.	265/—	

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक १६ अप्रैल, १६६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८४६०	शीर्ष	श्री हरिशचन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
८४६२	अन्तिम से३	प्लांट	प्लॉट
८४६६	प्रथम	योजना से	योजना में
८४७७	अन्तिम मे२	फौलदी	फलोदी
८४८८	४	ह रही तो	हो रही है तो
८४८६	अन्तिम से३	वह ।	यह
८४६२	२	करूंगा किक्या	करूंगा कि क्या
८४६६	२३	क्य ! जबाब?	क्या जवाब है ?
८४६८	१०	अगवाल	अग्रवाल
,,	२२	सार्वजनिक	सार्वजनिक
८४६६	६	आता जब । कभी	आता । जब कभी
,,	२५	श्री ह्रिश्चन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
८५०६	२१	सविस	सर्विस
८५१०	८	फैक्टस	फैक्ट्स
८५१३	७	दे दी जियेगा	दे दीजियेगा
८५१७	१४	en quiry	enquiry
८५२३	१०	receiveddl	receives
८५२४	प्रथम	Formorly	Formerly
८५२६	२२	If thikhar Ali	Iftekhar Ali
८५२७	२२	Snri	Shri
८५२८	प्रथम	ch rges	charges
८५३०	१७	शनख्तगी	शनाख्तगी
,,	३०	शख्त	सख्त
,,	अन्तिम से२	जिसने	किसने
८५३४	६	पहला पोइट	पहला पोइन्ट
८५३६	३	अवग्राल	अग्रवाल
८५४१	७	चैधरी	चौधरी
८५४२	शीर्षक	श्री हीराभाई स्थगन प्रस्ताव क	श्री हीराभाई के स्थगन प्रस्ताव
८५४६	२८	परिवर्पन	परिवर्तन
८५४८	१६	Removal O	Removal of
८५४६	१६	गेरे तर्क की	मेरे तर्क की
८५५३	१०	विराम)	(विराम)
८५५५	१६	egulation	regulation
८५५६	६	(यिगम)	(विराम)

१	२	३	४
८५६२	१४	aome of	some of
,,	२५	suffsr the	suffer the
८५६७	४	उसके जो	उसके ऊपर जो
८५६८	२८	स्वय एक्शन	स्वयं एक्शन
८५६९	५	शियोमोटो	सुओ मोटो
,,	२१	अवग्राल	अग्रवाल
८५७०	२४	जिबेट	डिबेट
८५७१	३–४	पंचायतों रिडक्शन	पंचायतों के जुरिस्डिक्शन
८५७९	११	प्रश्म	प्रश्न
८५८२	८	Magisrtrate	Magistrate
८५८८	१२	सवाई माधौपुर	सवाई माधोपुर
८५९१	६	में डेमोक्रेसी के	मैं डेमोक्रेसी के
८५९२	२४	मे	में
८५९३	अन्तिमसे ४	मैं फंसा	में फंसा
८५९६	२७	revisiona courts	revisional courts
८६००	अन्तिम	लड्ढ	लड्ढा
८६०२	शीर्ष	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)	(श्री मोतीलाल)
८६०४	३१	एवीन्डेस	एवीडेन्स
८६०९	अन्तिम	उ ाध्यत्त	उपाध्यत्त
८६११	२२	Hou:e	House
८६१४	३	श्री उपायध्त्त	श्री उपाध्यत्त
८६२०	२२–२३	dipute	dispute
८६२१	३–४	rule mating under hstclause	"rule making under that clause''
८६२९	३–४ व ५	Substitute d:30 Peanti s 'A Nayaya Panchayat shall be not	Substituted 'ANyaya Panchayat shall not be
८६३०	१६–१७	Suppli-to ed us.	supplied to us.
८६३५	अन्तिमसे२-१	House to my amendment	House to withdraw my ame ndment.
८६३९	१६–१७	मुन्फसिफ कोर्ट	मुन्सिफ कोर्ट
,,	अन्तिम से३	श्री श्रीमानसिंह: ज्यादा अच्छा	ज्यादा अच्छा
८६४३	४	से एब्व	से एब्व
८६४५	अन्तिम	सदस्यां से	सदस्यों से
८६५२	१६	एग्ज़ीक्यूइन	एग्ज़ीक्यूशन
८६५४	२३	पहले मक	पहले मौका
८६५६	१५	चुनो न्याय हुई पंचायतें	चुनी हुई न्याय पंचायतें

(३)

१	२	३	४
८६६१	२७	होंगे पंचायतें	होंगे, ये पंचायतें
८६६३	१४	(डग)	(डग–मु०)
८६७३	६	माननी :	माननीय
,,	२०	छेड़ने वाले	छोड़ने वाले
८६७५	शीर्षक	परिवर्वन प्रस्ताव	परिवर्तन प्रस्ताव
,,	१७	Commitiee	Committee.
८६७६	७	oave been	have been
८६८१	१०	उनमें	उनके
८६८७	४	लग जयोंगी	लग जायेंगी
८७०२	अन्तिम पंक्ति	codre	cadre